राजस्थान विधान सभा

बीसवीं बैठक, दिनांक २५ मार्च, १६५३

सदन का कार्य ८ बज कर २१ मिनिट पर प्रारम्भ हुवा

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ६३६

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को पता है कि Rajasthan Subordinate Administrative Service के नतीजों का एलान होने पर करीब ९० परसेन्ट कर्मचारियों में असन्तोष और भी बढ़ गया है ?

(२) क्या सरकार इस सर्विस की Seniority R.A.S. में किये गये सिद्धान्तों पर विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) सरकार के समक्ष सबोर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सिलेक्शन की नाराजगी से सिर्फ १७ प्रतिशत प्रार्थना-पत्र पेश हुए हैं।

(२) अधिकांश सबोर्डिनेट सर्विस में सीनियोरिटी का निर्णय अभी सरकार के विचाराधीन है।

(अ) दूसरे शहरों में इस प्रकार की कठिनाई पर राज्य सरकार ने ध्यान दिया परन्तु यह प्रतीत हुआ कि इतने बड़े सरकारी मुलाजिमों के अमले को ज्यादा कठिनाइयां शहरों में हैं। इस परिस्थिति को और राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मकान किराये का भत्ता दूसरे शहरों में लागू नहीं किया गया।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जवाब किस प्रश्न का दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—Replying in advance.

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—दूसरे प्रश्न का उत्तर इसके साथ मिक्स अप (mix up) हो गया, अतः मैंने इसको पढ़ दिया है। खैर! प्रश्न का जवाब तो आपको मिल गया है।

श्री असवन्तसिंह—तो इस प्रश्न के जवाब का पिछला हिस्सा रहा या पहला हिस्सा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का भी जवाब मिक्स होने से पढ़ा गया है। खैर! आपको सोचने का समय इससे मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री सन्तोषसिंह कछवाहा।

प्रश्न संख्या ६४०

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सरकार अपने कर्मचारियों को केवल जयपुर व जोधपुर में मकान किराया क्यों दे रही है?

(अ) यह किराया देना सब जगह लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिये?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जन-गणना के हिसाब से जयपुर व जोधपुर राजस्थान में सबसे बड़े शहर हैं। इन्हीं शहरों में निवासस्थानों की कमी पाई गई व किराए ज्यादा हो गये।

(अ) दूसरे शहरों में इस प्रकार की कठिनाई पर राज्य सरकार ने ध्यान दिया। परन्तु यह प्रतीत हुआ कि इतने बड़े सरकारी मुलाजिमों के अमले को ज्यादा कठिनाई इन्हीं दो शहरों में है। इस परिस्थिति की ओर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मकान किराये का भत्ता दूसरे शहरों में लागू नहीं किया गया।

श्री हिम्मतसिंह—क्या कोटा शहर में कोई मकान किराया देने की तजवीज नहीं है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—कोटा शहर में मकानों की इतनी कठिनाई नहीं है जितनी कि जयपुर व जोधपुर में है।

श्री हिम्मतसिंह—जब कोटा शहर में मकान की कोई कठिनाई नहीं है तो कर्मचारियों को फोर्ट में क्यों रखा गया है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मकान कोटा शहर में अभी भी काफी खाली पड़े हैं।

श्री हिम्मतसिंह—जब मकान खाली हैं तो फिर कर्मचारियों को फोर्ट में क्यों रखा गया है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—कुछ कठिनाइयों के कारण खाली मकान नहीं दिये जा सकते थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.3

प्रश्न संख्या ६४१

श्री सन्तोषसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सरकार नॉन गजटेड स्टाफ का, चाहे दफ्तर में काम करने वाले हों और चाहे बाहर अपने डिविजन के बाहर तबादला करना क्यों नहीं रोकती ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—राज्य सरकार ने इस विषय में सर्क्युलर नम्बर एफ १(१८) इन्ट (ए) ५१; तारीख ४-८-५१ जारी किया है जिसके जरिये यह आज्ञा दी गई थी कि राज्य कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र के अलावा छोटे दर्जे के कर्मचारियों का जिले के बाहर, और अपर डिविजन क्लर्कस् और सुपरिन्टेन्डेन्ट्स का डिविजन के बाहर, जहां तक हो सके, तबादला नहीं किया जावे।

चूंकि इस विषय में आज्ञा हो चुकी है, ऐसी दशा में इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री सन्तोषसिंह—ऐसी आज्ञा हो चुकी है, तो फिर तबादला क्यों किया जा रहा है।

श्री जयनारायण व्यास—बहुत जरूरी होगा तो वह भी अपवाद हो सकता है और अपवाद तो मेरे इस कथन का समर्थन करता है।

श्री सन्तोषसिंह—ऐसे भी केसेज हैं जो अपवाद नहीं गिने जा सकते।

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे अगर केसेज ध्यान में आवेंगे तो जरूर उन पर ध्यान दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४२

श्री सन्तोषसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—सरकार ने पिछड़ी हुई जाति के लोगों के वास्ते हर विभाग में नौकरियां कुछ तो सुरक्षित रखी हैं, परन्तु क्या ग्रामीणों व करसों से सम्बन्धित विभागों में कम से कम १।३ नौकरियां इन लोगों के वास्ते रिजर्व रखने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार ने शिड्यूल कास्ट्स व शिड्यूल ट्राइब्स के लिये जो सुरक्षित स्थान रखे हैं वे भारत के संविधान के अनुसार सभी राजकीय विभागों के लिये रखे हैं। ग्रामीणों व कृषि से सम्बन्धित विभागों में अलग इनके लिये सुरक्षित रखने का संविधान में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री सन्तोषसिंह—इसके अनुसार सुरक्षित स्थानों की पूर्ति होती है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—इसकी लिस्ट पहले दी जा चुकी है।

प्रश्न संख्या ६४३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री अवनीकुमार।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

Page No.4

प्रश्न संख्या ६४४

श्री **संग्रामसिंह**—(वि. संख्या १३४)—क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग, निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) दौलतपुरा नामी ग्राम जो तहसील देवगढ़ में है वहां का तालाब तैयार कराने के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट का क्या विचार है ?

(२) सोपुरी के पास खारी नदी को बांधने की योजना थी, वह कब तक पूरी होगी ?

(३) क्या सरकार इसको बांधना जरूरी समझती है ?

(४) अगर इसका जवाब "ना" में है तो क्यों ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—(१) तहसील देवगढ़ में दौलतपुरा तालाब जागीरी तालाब है अतः उसकी मरम्मत सरकार द्वारा कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(२) सोपुरी के पास खारी का काम पंचवर्षीय योजना में रख दिया गया है। निधि प्राप्त हो जाने पर कार्य चालू कर दिया जावेगा।

(३) जागीरी तालाबों की मरम्मत आमतौर पर सरकार फिलहाल नहीं कर रही है।

(४) खारी का तखमीना १५ लाख का है। यह काम पंचवर्षीय योजना में शामिल है। इसका एस्टीमेट भारत सरकार की मन्जूरी के लिये तैयार किया जा रहा है।

श्री **संग्रामसिंह**—क्या इससे हम यह समझें कि अगर जागीरी इलाके में कोई तालाब है तो सरकार उसकी मरम्मत की जरूरत होते हुए भी नहीं करेगी।

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मैंने "आमतौर पर" शब्द इसी लिये काम में लिये थे। पर स्वयं प्रश्न कर्त्ता जागीरदार हैं। होता यह है कि जागीरदार अपने निजी स्वार्थ वश मरम्मत की आवश्यकता होते हुए भी उसकी मरम्मत के काम में रोड़े अटकाते हैं। जनता के हित में सरकार उनकी मरम्मत करवादे इससे भी वे सहमत नहीं होते, न स्वयं कराते हैं। वे अपने स्वार्थवश ऐसा सरकार को लिख कर देने को भी तैयार नहीं होते; इसका दुख है।

श्री **संग्रामसिंह**—"स्वार्थवश" से क्या प्रयोजन है ? क्या खुदकाश्त के नाम पर तालाब से और किसी को पानी नहीं लेने देते? अगर ऐसा है तो सरकार क्यों इसको मान लेती है?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—तालाब तो खुदकाश्त के लिये नहीं होता, पर फिर भी जागीरदार आमतौर पर महज अपने व्यक्तिगत कारणों से आक्षेप करते हैं और काम नहीं करने देते।

श्री **संग्रामसिंह**—क्या सरकार ने जागीरदार साहब से कभी यह दरख्वास्त की कि जनता के हित के लिये उस तालाब की मरम्मत सरकार कराने को तैयार है ?

Page No.5

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह प्रश्न पूछने से पूर्व इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते तो ठीक रहता और सरकार अवश्य जवाब देती।

श्री संग्रामसिंह—माइनर इरिगेशन वर्क कानून के माफिक क्या सरकार यह जरूरी नहीं समझती कि जागीरी इलाकों में भी काफी कूए और तालाब बनाए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार काफी कूए और तालाब वहां भी बना रही है। पर जहां इस तरह से जागीरदार ऐतराज उठाते हैं और रोड़े अटकाते हैं वहां कुछ देर लग जाती है।

श्री चन्दनमल वैद—सरकार ऐसे जागीरी क्षेत्र के कूए, तालाबों आदि को अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक के लिये तो रिट चल रही है। न मालूम दूसरी के लिये क्या हो ? सोच समझ कर काम करना चाहिये।

श्री संग्रामसिंह—तो क्या रिट के डर से ऐसा नहीं किया जा रहा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, लेकिन सुविधा की दृष्टि से जिन मामलों में वाद-विवाद नहीं हो वैसे पहले कर लें और जो विवादास्पद हैं उनके लिये तब तक मार्ग प्रशस्त हो जावेगा तो अपने आप ठीक हो जावेंगे।

श्री चन्दनमल वैद—इस तालाब के लिये कुछ विवाद है क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसा केस मेरे सामने तो नहीं आया है। पर जागीरदार साहब स्वयं अगर ऐसा चाहते हैं कि उसकी मरम्मत हो तो सरकार जल्दी से जल्दी उसके बनाने की कोशिश करेगी।

श्री तेजमल बापना—जागीरदार देने में भी लोभ कर रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४५

श्री प्रतापसिंह (डि० नं० ११७)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सच है कि बीदासर म्युनिसिपल बोर्ड सन् १९४६ में स्थापित हुआ था ?

(ब) अगर प्रश्न (अ) का उत्तर 'हां' में है तो क्या यह सच है कि इन सात वर्षों में इस बोर्ड का कोई चुनाव नहीं हुआ ?

(स) क्या यह भी सच है कि इस लम्बे अरसे में दो बार चुनाव के लिये तारीख मुकर्रर की गई लेकिन चुनाव नहीं हुआ ?

Page No.6

(ड) क्या यह भी सच है कि तीसरी बार सन् १९५२ की अप्रेल में कलेक्टर चूरू ने बोर्ड की मियाद खत्म बतला कर चुनाव कराने के लिये तहसीलदार सुजानगढ़ को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया परन्तु १० महीने बीतने पर भी चुनाव आज तक नहीं हुआ ?

(इ) क्या यह भी सच है कि इन सात वर्षों में बोर्ड की मियाद भी कभी नहीं बढ़ाई गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) हां।

(ब) हां।

(स) नहीं।

(द) हां। पर पहली बार रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर ली थी परन्तु वहां की निर्वाचित सूची में कुछ त्रुटियां होने के कारण उनका फिर से प्रकाशन करना पड़ा और अब कार्यक्रम के अनुसार २१-४-५३ को चुनाव हो जावेगा।

(इ) हां। कारण यह था कि बीकानेर म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड उस समय तक कार्य करता रहता है जब तक कि दूसरा बोर्ड का निर्माण न हो जावे। राजस्थान टाउन म्युनीसिपल एक्ट, १९५१ की धारा २ के अनुसार ऐसे स्थापित हुए बोर्डों का कार्यकाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद—अब कितने अरसे में नगरपालिका का चुनाव हो जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने अभी बताया है कि २१-४-५३ को हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री प्रतापसिंह (११७)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार को मालूम है कि बीदासर म्युनिसिपल बोर्ड की आर्थिक हालत बिलकुल बिगड़ गई है ?

(आ) क्या यह सच है कि बीदासर म्युनिसिपल बोर्ड के हिसाब का ऑडिट करने पर ऑडीटर ने रिपोर्ट दी है कि हिसाब की किताब मुकम्मिल तौर पर नहीं रखी गई है। अगर ऐसा सही है तो सरकार ने क्या किया एवं आगे क्या करने का इरादा रखती है ?

(इ) क्या आर्थिक हालत के बिगड़ने का कारण टैक्स वसूल न करना और मेम्बरों द्वारा गैर-जिम्मेदारी का कार्य और अपने पदों का दुरुपयोग करना है ?

(ई) क्या यह सच है कि चुनाव करवाने में बोर्ड के मेम्बर रोड़े अटकाते हैं ?

[श्री प्रतापसिंह (११७)]

(उ) उपरोक्त हालत को देखते हुए क्या सरकार महसूस करती है कि बीदासर म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव जल्दी से जल्दी हो ?

(ऊ) अगर सरकार चुनाव जल्दी करवाना महसूस करती है तो क्या चालू बोर्ड को तोड़ कर (dissolve) उस बोर्ड के रिटर्निंग ऑफिसर सुजानगढ़ के तहसीलदार को हिदायत कर देगी कि बोर्ड का चुनाव जल्दी से जल्दी करवाया जाय ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(अ) आय व व्यय के आंकड़ों को देखने से तो इस बात का पता नहीं चलता कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है—

	आय	व्यय
१९५१-५२	१०,७५२-	७,९४२-
१९५२-५३	१०,०००	८,७५२

(आ) हां। नगरपालिका को ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार हिसाब रखने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट १७-१२-५२ को इस कार्यालय में प्राप्त हुई। नगरपालिका को २१-१-५३ को आदेश भेजे जा चुके हैं और रीजनल इन्सपेक्टर को भी आदेश दिये जा चुके हैं कि इस नगरपालिका के हिसाब की जांच करके रिपोर्ट करें।

(इ) नगरपालिका की आय में कमी होने का मूल कारण मोटरों पर टर्मिनल टैक्स का बन्द हो जाना है, जिसके द्वारा नगरपालिका को ३,५००) रुपये की हानि हुई है। बोर्ड को, नये कर लगा कर, अपनी स्थिति को सुधारने का आदेश दिया जा चुका है।

(ई) इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

(उ) किसी कारणवश नहीं, बल्कि नियमानुसार नगरपालिका का चुनाव जल्दी ही होना चाहिये।

(ऊ) तहसीलदार सुजानगढ़ को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। निर्वाचन के पूर्व नियमानुसार बोर्ड का तोड़ना आवश्यक नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—बोर्ड को डिजोल्व करने का जवाब नहीं आया है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने जवाब दिया तो है। मेरे उत्तर का (ऊ) भाग देखें।

श्री भीमसिंह—जो म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में रोड़े अटकाते हैं उनके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—इस प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है; प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.8

श्री **भीमसिंह**—माननीय मन्त्री महोदय फरमाते हैं कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पर मैं कहता हूं कि आप प्रश्न का (ई) भाग देखें। उसमें यह प्रश्न भी पूछा गया है। फिर आप कैसे फरमाते हैं कि यह सवाल नहीं उठता ?

श्री **रामकरण जोशी**—कौन से सवाल की बातें करते हैं आप ?

श्री **भीमसिंह**—इसी ६४६ वें प्रश्न का (ई) भाग है।

श्री **रामकरण जोशी**—इस विषय में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली।

श्री **जसवन्तसिंह**—यह सवाल अब दुबारा पूछा गया है तो आपने कहा कि कौन से सवाल की बात करते हैं। प्रश्न यही चल रहा था। अगर इस बोर्ड से सम्बन्धित प्रश्न नहीं था तो इतनी देर आप किसका जवाब दे रहे थे ?

श्री **रामकरण जोशी**—जब काफी विलम्ब हो जाता है तो पूछने की आवश्यकता पड़ जाती है। मैं अन्तिम उत्तर दे रहा था। अब बीच में किस बात से उनका मतलब था।

श्री **जसवन्तसिंह**—चुनाव की व्यवस्था में यह विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री **रामकरण जोशी**—चुनाव की व्यवस्था बोर्ड नहीं करता है। रिटर्निंग अधिकारी के हाथ की बात होती है। रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार या कलेक्टर आदि होते हैं।

श्री **जसवन्तसिंह**—जब हिसाब में घोटाला आदि हुआ तो उसे डिजोल्व क्यों नहीं किया गया है ?

श्री **रामकरण जोशी**—डिजोल्व करने के लिये कुछ कारण होते हैं, वे हमारे सामने नहीं आये। अतः डिजोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री **जसवन्तसिंह**—वे क्या कारण हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**—इस तरह के काम कर डाले जायें कि जिनकी वजह से इनएफिशियेन्सी मालूम होती हो या काम करने के लिये विश्वासपात्र न समझे जाते हों आदि।

श्री **जसवन्तसिंह**—यदि मैं यह कहूं कि सरकार अगर इसके लिये एक योजना तैयार करे और उसके अनुसार चले तो अधिक अच्छा होगा।

श्री **रामकरण जोशी**—म्युनिसिपल बोर्ड की योजना के लिये साल भर तक इन्तजार किया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह—जो हिसाब ठीक तरह से न दे तो क्या डिजोल्व करने का यह कारण नहीं समझा गया है ?

Page No.9

श्री रामकरण जोशी—इसमें घोटाला जैसी कोई बात नहीं है। हिसाब रखने के तरीके में फर्क का सवाल था।

श्री प्रतापसिंह—डिजोल्व करने का फिर क्या कारण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—As regards dissolution' the provisions are perhaps laid down in the Municipal Act.

श्री चन्दनमल वैद—He can read them.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिदेव जोशी—दो प्रश्न अभी पहले के बाकी हैं। इनके बारे में माननीय अध्यक्षजी, आपने हिदायत दी थी कि वे नेक्स्ट टाइम पर लिये जावेंगे। मेरी प्रार्थना है कि उन सवालों को पहले प्रायोरिटी दी जावे।

श्री अध्यक्ष—We will take them but not in the middle.

प्रश्न संख्या ६४७

श्री घासीराम—क्या पुनर्वास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि अलवर जिले में शरणार्थियों को जो पम्प सेट २८००) रु० में दिये गये हैं उनकी बाजार में कीमत १४००) रुपये हैं ?

(ख) अगर सही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(ग) अगर सरकार गलत समझती है तो क्या इसकी जाच की जायगी ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)—अलवर जिले में शरणार्थियों को जो पम्प सेट दिये गये हैं वे भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख फर्म मेसर्स पेरी एन्ड को०, बम्बई, के यहां सन् १९५१ म क्रय हुये थे। जो मूल्य दिया गया था उसमें पम्प सेट लगाने तथा उसकी एक वर्ष तक की देख रेख का व्यय भी सम्मिलित था।

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या दो वर्ष पूर्व बाजार में इनकी कीमत १,४००) रुपये थी और क्या उपरोक्त शर्तों पर इन दामों में ये प्राप्त हो सकते थे।

श्री अमरसिंह—क्या यह सही है कि सन् ५१ में यह बात सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई थी ?

श्री अमृतलाल यादव—इस बारे में मुझे मालूम नहीं है।

श्री अमरसिंह—तो यह किससे मालूम किया जाय ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके लिये आप अलग सवाल कीजिये। मैं ही उसका जवाब दूंगा।

श्री भैरूंसिंह खेदला—इन पम्पों का मेक क्या था ?

श्री अमृतलाल यादव—मेक मुझे मालूम नहीं।

श्री सन्तोषसिंह—क्या साइज था इन पम्पों का ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री एच. के. व्यास—क्या सरकार को विदित है कि जो पम्प गत साल आये, वे बाद में चार शरणार्थियों को दिये जा रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—हो सकता है कि जो पम्प फिट नहीं हो पाये थे और दो साल का अरसा गुजर गया, कीमतों के बारे में पैसा ठीक से नहीं बताया जा सकता।

श्री एच. के. व्यास—२८००) रुपये की कीमत के पम्प सेट जो डेढ़ साल तक पड़े रहे, जो फिट नहीं हो पाये और जिनकी अच्छी तरह देख भाल नहीं की गई शरणार्थियों से २८००) रुपये की मांग किस कानून के मातहत की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी बात ध्यान में लाई जायगी तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह सच है कि अलवर जिले से इस सम्बन्ध में १०-१५ शिकायतें पिछले ११ महिनों से सरकार के सामने विचाराधीन हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अगर विभाग में आई होगी तो जांच हो रही होगी।

श्री एच. के. व्यास—क्या इस विभाग के पास शिकायतें आती हैं तो क्या वे आपके पास आई हुई न समझी जायं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

प्रश्न संख्या ६४८

श्री खेतसिंह—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील शेरगढ़ में पिछड़ी हुई जातियों की क्या जन संख्या है ?

(ब) सरकार ने उनकी उन्नति के लिये क्या क्या कार्य वहां प्रारम्भ किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स) सरकार अब उनके लिये क्या योजनायें बना रही है ?

[श्री खेतसिंह]

(ड) सरकार की ओर से तहसील शेरगढ की पिछड़ी हुई जाति के लोगों को क्या व कितनी इमदाद मिली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) उपलब्ध नहीं है ।

(ब) राजस्थान की पिछड़ी हुई जातियों के हित को लेकर सरकार ने उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा सम्बन्धी उन्नति के लिये समय २ पर जो आज्ञायें निकाली हैं व आर्थिक सहायतायें समस्त राजस्थान में दी गई हैं वे ही तहसील शेरगढ के लिये भी हैं ।

(स) योजनायें समस्त राजस्थान का पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिये बनाई गई हैं । शेरगढ़ तहसील के लिये जुदा नहीं बनाई गई हैं ।

(ड) सरकार व्यक्तिगत रूप से केवल वजीफा देती है । सामूहिक रूप में संस्थाओं को केवल सहायता दी जाती है । इमदाद के लिये तहसील शेरगढ़ से कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं हुआ । इस तहसील के एक छात्र को शिक्षा के लिये वजीफा जरूर दिया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या ६४६

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर व तहसील शेरगढ़ के किन किन गांवों की जनता अपने पीने के लिये पानी को आठ आठ व दस दस मील की दूरी से लाती है ?

क्या सरकार वहां की जनता के लिये ग्रामों के पास कोई कुआ खुदवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन किन गांवों को कितनी कितनी रकम कब दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—जैसलमेर जिले के लिये कोई ग्राम पंचायत अभी तक न होने के कारण वहां पर पंचायतें अभी स्थापित नहीं की जा सकी हैं । इस कारण से इस विभाग के पास कोई जरिया न था कि जिसके द्वारा सही तौर पर यह पता लगाया जा सकता कि किन किन गांवों में किस किस प्रकार के पानी की कमी है और उसको दूर करने के लिये क्या उचित व्यवस्था की जा सकती है ।

राजस्थान के ग्रामीण भागों में जहां जहां भी पानी की कमी है सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा उचित व्यवस्था करने के लिये लगातार प्रयत्न कर रही है । पंचायत विधान के पास होते ही जैसलमेर जिले में भी पंचायतें स्थापित की जावेंगी और उसी के साथ साथ जहां पर आवश्यक होगा पीने के पानी के साधन उपलब्ध करने का आवश्यक प्रयत्न किया जावेगा ।

श्री जसवन्तसिंह—यह समझा जाय कि जहां पंचायत नहीं होंगी वहां पर पानी का बन्दोबस्त नहीं किया जायगा । क्या पंचायतें ही एक ऐसा जरिया है जो पानी का प्रबन्ध कर सकती हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल पंचायत विभाग से ताल्लुक नहीं रखता ।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जहां जहां पंचायतें मौजूद हैं वहां पर इन बातों का इन्तजाम कर दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—निश्चित शर्तों के आधार पर ही पंचायतों द्वारा ये काम पंचायतों के आधीन देने पड़ते हैं ।

श्री हिम्मत सिंह—माननीय मन्त्री ने इस सवाल को जब गलत एक्स्पेट कर लिया तो सम्बन्धित मन्त्री महोदय के पास भेजने का कष्ट उन्होंने क्यों नहीं किया ?

श्री खेतसिंह—मैंने तो यह सवाल आपसे ही किया था और मुझे आपसे ही जवाब चाहिये ।

श्री एच. के. व्यास—क्या यह समझा जाय कि पंचायतों के अभाव में सरकार के पास इस बात की जानकारी प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के पास ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं । दूसरे विभाग से प्रश्न किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या ६५०

श्री मोतीराम—क्या सहकारी विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

सहकारी कृषि समितियां जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उन्हें अभी तक आयोजित जमीनें नहीं दी गई हैं । क्या सरकार "अधिक अन्न उपजाओ" नीति को सफल बनाने के लिये ऐसी सोसाइटीज को जमीनें देगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री अमृतलाल यादव—सहकारी कृषि समितियों की संख्या और जो जमीनें उन्हें दी गई हैं उनकी तादाद निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या नाम युनिट	संख्या समिति	जमीन जो मिल चुकी है
१. अलवर	२६	६९६ बीघा
२. जयपुर	९	३,९८४ बीघा
३. कोटा	१०	४,२६५ बीघा
४. भरतपुर	२	७१६ बीघा
५. उदयपुर	२	९०० बीघा
६. गंगानगर	१४	००
७. जोधपुर	१	००

[श्री अमृतलाल यादव]

समितियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर जमीन प्राप्त करने के विषय में उचित कार्यवाही की जाती है। अलवर, गंगानगर, जोधपुर आदि युनिटों में कृषि समितियों को जमीन मिलने के लिये जिला कलेक्टर आदि से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

श्री गुरुदयाल सिंह—गंगानगर में ये चौदह समितियां कब बनीं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह अलग सवाल है। इसके लिए आपको अलग से सवाल पूछना चाहिये था।

श्री हिम्मतसिंह—कोटा सहकारी समिति को जो उम्मेदगंज जंगल के पास की जमीन काश्त के लिए दी गई उनमें खुदकाश्त हो रहा है या कुछ बाकी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह सवाल भी अलग से पूछिये तो जवाब दिया जा सकेगा।

श्री एच.के. व्यास—पत्र-व्यवहार कितने दिनों से चल रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जब से समितियां रजिस्टर हुई हैं तब से।

श्री एच.के. व्यास—क्या सरकार अब तक निर्णय करने में कामयाब नहीं हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—सहकारी विभाग का काम तो सिर्फ मदद करने का होता है, किसी बात का निर्णय करने का नहीं।

श्री एच. के. व्यास—क्या सहकारी विभाग के ध्यान में यह बात है कि रेवेन्यू विभाग के कुछ आदेशों के कारण सहकारी विभाग को जमीनें नहीं मिल रही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई बात नहीं।

प्रश्न संख्या ६५१

श्री हनुवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जैसलमेर नगरपालिका के चुनाव किन कारणों से अब तक नहीं हुए ?

(२) क्या अब चुनाव होने की उम्मीद रखी जाय ?

(३) अगर उत्तर 'हां' में है, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) जैसलमेर नगरपालिका को एक वर्ष की अवधि के लिए भंग किया गया जो मई, १९५३, के अन्त तक समाप्त होगी।

Page No.14

[श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)]

(२) अवश्य।

(३) अवधि समाप्त होते ही चुनाव हो जायेंगे।

प्रश्न संख्या ६५२

श्री संग्रामसिंह (डि० नं० १३४)—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भीम और देवगढ तहसील में जंगलात के ठेके किस रेट से और किन किन ठेकेदारों को दिये गये हैं ?

(ख) ठेके की रकम ठेकेदारों से कितनी वसूल हुई और कितनी बकाया है ?

(ग) यदि बकाया है, तो किन कारण से ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—इसमें माननीय सदस्य ने यह खुलासा नहीं किया है कि किस सन् में यह दिये गये इसलिये मैंने अपनी ओर से सन् १९५१-५२ और १९५२-५३ के आंकडे तैयार करवा लिये हैं। तो मैं १९५२-५३ के आंकड़ों को हाउस के सामने रखता हूं। वे इस प्रकार हैं:—

क्रम संख्या	नाम कूप	एकड़	नाम ठेकेदार	जमा ठेका	वसूली हो बकाया चुकी
१.	मंडावर पीपली	५५	श्री गुलाम मुस्तफा	५८९०	दो किस्तें वसूल हो चुकी
२.	वडी का चीरा	१६२	श्री कालूराम	१४७५१	
३.	छापली	१३२	श्री नूरमोहम्मद	८३१६	
४.	मंडावर पीपली	१०१	श्री उदलदास	१०७०६	
५.	शोपुरा	७४	श्री मीठाराम	१८५०	
६.	टांका बाडिया	७२	श्री टीकमदास	१४४०	
७.	दबेर	१११	श्री इब्राहीम उमर	२७७५	
८.	दबेर		श्री इब्राहीम उमर	३१३२	७८६ रु.
९.	सांडमाता		श्री दर्शनसिंह	२७९०	७२२ रु. ८ आ.
१०.	आमेनर		श्री फागुनमल	५५८०	१३८० रु.
११.	बघाना		श्री मोहम्मदहसन	६८८०	१७८० रु.
१२.	भगावड		श्री गागनदास	४४८०	११२० रु.

Page No.15

[श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)]

इस साल के ठेकेजात में से जो किश्तें वसूल तलब थीं वे वसूल हो चुकीं और बकाया नियत तारीखों पर वसूल होंगी।

ठेकेजात सन् १९५१-५२

१. छापली	१३६	श्री नूरमोहम्मद	९५९०	कुल वसूली हो चुकी
२. इंधन माता	८०	श्री विरदूमल	१०५६०	९२२० वसूल हो चुके और १३४० रुपये का जमा खर्च होना है, ठेकेदार के जिम्मे कोई बकाया नहीं।
३. खजाना	८४	श्री विरमदास	१२९३६	कुल वसूल हो चुकी।
४. बैराठगढ	५०	श्री मीठाराम	३७५०	कुल वसूल हो चुकी।
५. भगावड	५६	श्री मूलचन्द	३५२८	बाईससो पचास रुपये बारह आने वसूल हो चुके। बकाया रकम का जमा खर्च करना है। ठेकेदार के जिम्मे बकाया नहीं है।
६. आमनेर	८५	श्री फागुनमल	४७५०	कुल रकम वसूल हो चुकी।

प्रश्न संख्या ६५३

श्री मोटाराम (डि० नं० १०४)—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(१) बाडमेर तहसील के १६ गांव जो बालोतरा मुन्सिफ के अधिकारक्षेत्र में आये हुये हैं उन्हें सिवाणा तहसील में मिलाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक इन गांवों को सिवाणा में मिला दिया जायगा?

(२) क्या सिवाणा व पचपदरा तहसीलों को तोड़कर एक नई तहसील बालोतरा के नाम से बनाने की सरकार की कोई मन्शा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(१) नहीं।

(२) नहीं।

प्रश्न संख्या ६५४

श्री खेतसिंह—क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान सोल्जर्स बोर्ड के पास कितनी धनराशि है ?

(ब) सालाना राजस्थान के प्रत्येक डिविजन में कितना कितना रुपया इस शाखा द्वारा व्यय किया जाता है ?

(स) जोधपुर सोल्जर्स बोर्ड का दफ्तर कहां है, व उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनकी तनख्वाह व भत्ते के रूप में कितना रुपया व्यय किया जाता है ?

(ड) तहसील शेरगढ़ म सोल्जर्स बोर्ड द्वारा कितना रुपया सालाना व्यय किया जाता है ?

(इ) यह सोल्जर्स बोर्ड कितने समय तक और रहेगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(अ) राजस्थान सोल्जर्स बोर्ड के पास स्वयं की कोई धनराशि नहीं है। यह बोर्ड अखिल भारतीय सोल्जर्स बोर्ड का राजस्थानी प्रतिनिधि है। राजस्थान के फौजी भाइयों की सहायतार्थ २ फन्ड स्थित हैं जिनमें से फौजी भाइयों व उनके कुटुम्ब के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। एक फन्ड का नाम "राजस्थान वार परपज फन्ड" तथा दूसरे का नाम "फलेग डे फन्ड" है। पहला फन्ड भारत सरकार का है और दूसरा राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है। इन फन्डों की वर्तमान धन-राशि क्रमशः १,३१,०७३ रु० १२ आ० ९ पाई जिसमें से १ लाख रुपये के नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट खरीदे हुए हैं और दूसरा ३९,१७७ रु० का है।

(ब) राजस्थान में ६ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं जिनका वार्षिक व्यय इस प्रकार से है—

अलवर	५,०१५ रु०
भरतपुर	५,९५३ रु० १० आ० ९ पाई
बीकानेर	४,९७० रु०
जयपुर	७,२०१ रु०
जोधपुर	५,०३० रु०
उदयपुर	४,६५५ रु०

(स) जोधपुर सोल्जर्स बोर्ड पावटा लाइन्स, रिसाला रोड, म स्थित है। इसमें ५ कर्मचारी काम करते हैं; प्रेसीडेन्ट १, सेक्रेटरी १, क्लर्क्स २, चपरासी १ इनकी तनख्वाह तथा भत्ते का सालाना व्यय ४,२३६ रु० है।

(ड) शेरगढ़ तहसील में कोई सोल्जर्स बोर्ड नहीं है। अतः इस संस्था के निमित्त वहां कोई रुपया व्यय नहीं होता है।

(इ) प्रश्न पैदा नहीं होता

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

श्री खेतसिंह—एक सप्लीमेन्ट्री करना है । जोधपुर स्टेट फोर्सेज बेनोवॉलेन्ट फण्ड का डेढ़ लाख रुपया सोल्जर्स बोर्ड का दिया गया है अथवा वह ए. जी. के पास ही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह अलग प्रश्न है, नोटिस चाहता हूं ।

प्रश्न संख्या ५५५

श्री मोटाराम—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग निम्नांकित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सिवाणा तहसील के गांव मेली के काश्तकारान ने जो कुओं की खुदाई की दरख्वास्तें बाडमेर कलेक्टर के पास कीं, उन पर उन्हें कितनी कितनी रकम सिंचाई विभाग से दी गई है ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार सिंचाई के कुओं को बढ़ावा देने के लिए कोई रकम तहसील सिवाणा को भी दे रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—वैसे तो इसका संबन्ध कृषि विभाग से है, किन्तु मैं इसका जवाब दे रहा हूं ।

(१) कृषि विभाग द्वारा जो रकम कुए खोदने के लिए दी जाती है उसका तहसीलवार कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है ।

(२) प्रथम प्रश्न के उत्तर से यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न संख्या ५५६

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्षजी, मैंने ५ प्रश्न दिये थे जिनमें से ४ तो रह गये; आखरी प्रश्न आया है ।

श्री अध्यक्ष—आप इसको भी नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाड़ा तहसील में कोई नया बन्ध बनवाने की सरकार की योजना है ?

(२) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(१) बिलाड़ा तहसील में गिरी नानवा का बन्ध बनवाने की तजवीज है ।

श्री संतोषसिंह—सुनाई नहीं दिया ।

Page No.18

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—बिलाड़ा तहसील में गिरी नानेवा का बन्ध बनवाने की तजवीज है।

श्री संतोषसिंह—इसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—इसमें ७ लाख रुपया खर्च होने की योजना है।

एक सदस्य—यह बिलाड़ा तहसील में ही है या दूसरी जगह ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—मेरी सूचना के अनुसार तो यह बिलाड़ा तहसील में ही है।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—योजना बनाने में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

एक सदस्य—यह जो नाम बताया गया है वह बिलाड़ा तहसील में तो नहीं है।

श्री भोगीलाल पंडया (सिंचाई मंत्री)—अगर वह जेतारण तहसील में है तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री संतोषसिंह—अगर यह बिलाड़ा तहसील में बान्ध नहीं बन रहा है तो बन्धवाने की योजना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—बान्ध बंधवाने के लायक जगह यदि माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसको प्राथमिकता दी जा सकती है।

श्री संतोषसिंह—वह एक कीवो म बड़ तालाब का नाम दिया था। उसका क्या विचार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि भारत सरकार से माइनर इरिगेशन के लिए जो रुपया मिलने वाला है यदि वह मिल जायगा तो हम सब बैठ कर बातचीत करके तय करेंगे। यह पहले चर्चा हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस विभाग में राजस्थान के भूगोल की पुस्तक रखने की योजना है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गंगासिंह।

प्रश्न संख्या ६५७

श्री गंगासिंह—Will the Minister for Local Self-Government Department be pleased to state:—

Why the Village Panchayat Boards at Mundava and Basani are not being constituted when both of these villages have the population of more than four thousand.

श्री रामकरणजोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—राजस्थान पंचायत विधेयक, सन् १९५२, अभी राजस्थान धारा सभा के समक्ष है और आशा है कि पंचायत विधान शीघ्र ही पास हो जायगा। इस नये विधान के अन्तर्गत राजस्थान में जहां जहां चुनाव करवाना है उनकी सूची में इन पंचायतों के नाम भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न संख्या ६५८

श्री अध्यक्ष—श्री प्यारेलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रोशनलाल शर्मा।

प्रश्न संख्या ६५६

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्री कोठारी को किन २ कारणों को लेकर चीफ कन्जर्वेटर के स्थान से मुक्त किया गया है ?

(ख) मौजूदा चीफ कन्जर्वेटर को किन २ कारणों को लेकर राजस्थान सरकार ने इतने अधिक वेतन पर रक्खा है ?

(ग) मौजूदा चीफ कन्जर्वेटर ने अपना वेतन ट्रेजरी से ड्रॉ किया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(अ) श्री सुगनचन्द कोठारी चुनाव बोर्ड द्वारा वन-संरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए चुने गये थे। (बाधा)

श्री रोशनलाल शर्मा—आवाज साफ आ नहीं रही है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(अ) श्री सुगनचन्द कोठारी चुनाव बोर्ड द्वारा वन-संरक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए चुने गये थे। वे, मुख्य वन-संरक्षक की नियुक्ति होने तक, केवल स्थानापन्न मुख्य वन-संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और ज्यों ही मुख्य वन-संरक्षक की नियुक्ति हुई श्री कोठारी का अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तन (तबादला) हो गया।

(ब) वर्तमान मुख्य वन-संरक्षक को वे ही परिलाभ प्राप्त हो रहे हैं जो अपने मूल राज्य में वे प्राप्त कर रहे थे जहां वे मुख्य वन-संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे।

(स) हां।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या श्री कोठारी को हटाने का एक कारण यह भी था कि वह वर्तमान वन-संरक्षक के आधे से कम तनख्वाह ले रहे थे ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह कारण नहीं था।

Page No.20

श्री रोशनलाल — क्या वर्तमान वन-संरक्षक भारत सरकार से रिटायर्ड हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—वे भारत सरकार से रिटायर नहीं हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या वे उड़ीसा सरकार के रिटायर्ड हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—वे इसके बाद में रिटायर्ड हुए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनको सी. सी. एफ. मुकर्रर करते समय श्री कोठारी को उपयुक्त नहीं समझा गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इनको श्री कोठारी से ज्यादा उपयुक्त समझा गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री रोशनलाल शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरे (ग) प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मौजूदा चीफ कन्जर्वेटर ने अपना वेतन ट्रेजरी से ड्रॉ किया या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— मैंने उत्तर दे दिया है, हां।

श्री रोशनलाल शर्मा—यह प्रश्न पूछने के बाद में वेतन ड्रॉ किया या पहले ही ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह सिलसिलेवार काम होता है। कभी पहले हो जाता है और कभी बाद में लेकिन प्रश्न पूछने के परिणामस्वरूप वह ड्रॉ नहीं किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले या बाद में ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इसका नोटिस चाहिए।

श्री भेरू सिंह (दांतारामगढ़)—क्या यह बात सही है कि उन्होंने तमाम महीनों की तनख्वाहें एक साथ ही ड्रॉ कीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६०

श्री सज्जनसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that Shri P. C. Dave, Director, Backward Classes Welfare, has been appointed directly and not through the Public Service Commission ?

(b) If so, will he also state the reasons why an extraordinary step of by-passing the Public Service Commission was taken in his case ?

Page No.21

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Shri P. C. Dave, Director, Backward Classes Welfare Department, is on deputation from the Government of Bombay and has not been appointed direct. The question of by-passing the Public Service Commission, therefore, does not arise.

प्रश्न संख्या ६६१

श्री केसरीसिंह—Will the Labour Minister be pleased to state:—

(a) Was there any scheme in former Bundi State for Soldiers' Home ?

(b) How much money has been sanctioned for it and in which year ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—यह प्रश्न वैसे तो लेबर मिनिस्टर को पूछा गया है लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं।

(a) Yes.

(b) The Committee of Administration approved for the construction of Soldier's Home at an estimated cost of Rs. 30,660/-. Out of this amount Rs. 20,000 were to be spent from the Fund and the remaining Rs. 10,660/- from Bundi State Budget. This was all on papers and no action was taken.

श्री केसरीसिंह—अब तक यह काम क्यों नहीं हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—बहुतसारी मंजूरियें जो १९४८ से पहले हुई थी वे काम में नहीं ली गई और उनके काम नहीं हुए।

श्री केसरीसिंह—अब कब तक होने की संभावना है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सब काम मेरिट्स पर मुनस्सर होगा। जिन कामों को पहले लेना आवश्यक होगा, पहले वे लिये जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंजूरियें जो दी गई थीं वे वगैर काम के मेरिट्स को देखते हुए दे दी गई थीं ?

श्री जयनारायण व्यास—१९४८ की मंजूरियों के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन मंजूरियों के लिए कोई तो जिम्मेवार होना चाहिये।

श्री जयनारायण व्यास—ये मामले जनरल इन्टीग्रेशन के पहले के मामले हैं, इसलिये उनके लिये इतनी जिम्मेवारी सरकार नहीं समझती जितने कि integration के बाद की। मगर फिर भी उसके काम के मेरिट्स पर लिये जावेंगे।

Page No.22

श्री केसरीसिंह—इस वक्त तक मेरिट्स पर क्यों नहीं लिये गये ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६२

कर्नल श्री दिलीपसिंह (वि. सं. ३१)—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) उदयसागर बांध से दरोली जाने वाली नहर की मरम्मत व विस्तार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(आ) इस नहर का पहले पहल कब निर्माण हुआ ?

(इ) इस नहर के निर्माण के पश्चात् आज तक क्या कभी मरम्मत हुई ?

(ई) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस नहर को पूर्व की ओर दो मील और आगे बढाने से लगभग बीस हजार बीघा जमीन की सिंचाई और हो सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(अ) कोई नहर नहीं है।

दूसरे प्रश्न उठते ही नहीं।

श्री दिलीपसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे साथ चलने की कृपा करेंगे ताकि मैं उन्हें वह नहर बता सकूं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि मैं १० दिन पहले वहां होकर आया हूं। यदि माननीय सदस्य उदयसागर बांध से दरोली कितनी दूर है मालूम करते तो यह प्रश्न नहीं पूछते।

श्री गुरुदयालसिंह—अगर है भी तो (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६३

श्री भोगीलाल पंड्या—यह प्रश्न राजस्व विभाग से संबन्ध रखता है अतः कल उनकी टर्न पर लिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न संख्या ६६३ और ६६९ के उत्तर कल दिये जावेंगे।

प्रश्न संख्या ६६४

श्री **तनसिंह**—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सिवाना (जिला बाड़मेर) में पंचायत कब स्थापित हुई ?

(२) वहां की क्या आबादी है ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) सिवाना, जिला बाड़मेर, में ग्राम पंचायत तारीख २६-१०-५० को स्थापित हुई।

(२) वहां की आबादी ५,५०५ है।

श्री **तनसिंह**—क्या २६-१०-५० को भी आबादी ५ हजार ही थी ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह आबादी १९५१ की है।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री **खेतसिंह**—क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

तहसील शेरगढ़ में कितनी पंचायतें काम कर रही हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**—तहसील शेरगढ़ में अभी तक ३०(तीस) ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं।

श्री **खेतसिंह**—क्या अब यह उम्मीद करें कि नया पंचायत कानून पास होने पर जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पंचायतें कायम हो जावेंगी ?

श्री **रामकरण जोशी**—(अश्रव्य)

श्री **कानसिंह**—पंचायतों का कानून पास होने वाला है। उसके पहले चुनाव होंगे या उसके बाद में पन्चायतों का चुनाव होगा।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री **खेतसिंह**—क्या मन्त्री सहकारी विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) तहसील शेरगढ़ में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ?

(ब) क्या सरकार इन उपलब्ध समितियों को तहसील की आबादी देखते काफी समझती है ?

(स) यदि हां, तो क्यों ?

Page No.24

[श्री खेतसिंह]

(ड) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब वहां कुछ नई समितियां कायम करने का सोच रही है ?

(ई) यदि हां, तो कब तक ?

श्री अमृतलाल यादव—(अ) केवल १ सहकारी समिति है, जिसका नाम ढाढनिया कोऑपरेटिव सेल एण्ड सप्लाई सोसाइटी है ।

(ब) आबादी को देखते हुये यह काफी नहीं है, पर्याप्त संख्या में फील्ड स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण अभी हाल में ही इधर नई समितियां कायम करने की आशा नहीं है ।

श्री खेतसिंह—क्या सहकारी समितियां खोलने में भी दस्तूरी की जरूरत रहती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६७

श्री बी. एन. जोशी—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Why recruitment to the R.A.S. and the R.J.S. through open competition (in which non-Government employees may be eligible to appear) is not being done regularly as in most of the other States in the Indian Union ?

(b) In the absence of any regular recruitment to the above mentioned provincial services, what other alternative avenues and channels for suitable employment does the Government intend to provide to the young men of the State who are coming out of the universities in ever increasing numbers annually and some are well-qualified men to these services ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(a) As a result of the formation of Rajasthan the employees of the various integrating States had to be absorbed first. The work of integration is now nearing completion and rules for the future recruitment to R.A.S. and R.J.S. will shortly be framed.

(b) The proposed rules of recruitment will provide suitable opportunities.

श्री सम्पतराय—Is it in the notice of the Government that in the absence of direct recruitment to R.A.S. and R.J.S. qualified men amongst schedule castes are not given employment ?

श्री जयनारायण व्यास—As a matter of fact there are surplus personnel who are to be absorbed in R.A.S. and R.J.S. and as such if they were not absorbed and others were allowed to come in, no schedule caste members but persons from outside provinces would find better places.

Page No.25

श्री सम्पतराय—No, Sir. Under the Constitution it has been specifically mentioned that reservation will be maintained for 10 years. The same condition will prevail in Rajasthan for the coming 10 years. So will it be possible for schedule castes to get an employment in these two very important services ?

श्री जयनारायण व्यास—The provincial barriers have also been removed under the Constitution, but it was necessary to provide jobs for the existing cadres. So far as the question of schedule castes is concerned, all suitable candidates found within the territory of Rajasthan would be absorbed and if necessary we may give some concessions also for absorbing them.

श्री बी. एन. जोशी—Do the Government propose to hold open competition for recruitment to these services within the year 1953 ?

श्री जयनारायण व्यास—That depends on the absorption of the present cadre.

श्री सम्पतराय—आर.ए.एस. और आर.जे.एस. के लिये खुली परिक्षाएं कब तक की जाएंगी ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! आर्डर !! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६६८

श्री बी. एन. जोशी—Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Why there have been so frequent transfers of officers and subordinate employees in the Police, Revenue and other Government departments during the last ten months ?

(b) Whether in view of the prejudicial effect of so frequent transfers on the stability, economy and efficiency of the administration, the Government realize the desirability of devising a well-considered uniform policy to regulate transfers of Government employees in future ?

श्री जयनारायण व्यास—(a) Transfers of officers are made according to the exigencies of service. But some transfers had to be made as a result of the ntegration.

(b) Unnecessary transfers do not take place, and therefore the question does not arise.

प्रश्न संख्या ६७०

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बिलाड़ा तहसील में भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी, भावी और बिलाड़ा की जनसंख्या क्या है ?

(२) क्या उन स्थानों पर नगरपालिका स्थापित करने की सरकार कोई योजना बना रही है ? अगर बना रही है, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

		जन संख्या
(१)	१. पीपाड़ सिटी	११,२५१
	२. बिलाड़ा	१०,२८७
	३. भोपालगढ़	४,८१४
	४. मावी	३,४४९

(२) पीपाड़ व बिलाड़ा में नगरपालिका स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

भोपालगढ़ और मावी की जन संख्या पांच हजार से कम होने के कारण म्युनिसिपेलिटी स्थापित नहीं की जा सकती।

श्री सन्तोषसिंह—इनके चुनाव कब तक होंगे ?

श्री रामकरण जोशी—शीघ्र ही।

प्रश्न संख्या ३७१

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that the management of the Kotah Textile Mills, Ltd., Kotah, has been refusing to implement the directives of the "Sukhadia Award" ?

(b) Is the Government aware that the said management openly violates the Factories Act and indulges into illegal practices concerning hours of work, payment of wages, overtime work etc.

(c) Has the Government received any representation from the workers of the above Mills concerning the grievances of the workers as also the victimisation resorted to by the management of the said Mills ?

(d) If the answer to (c) is in the affirmative, what steps has the Government taken in order to meet the just demands of the said workers ?

श्री रामकरण जोशी—(ए) नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(बी) नहीं।

(सी) १३-३-५३ को दो आदमियों के रिट्रेन्चमेन्ट की सूचना डिपार्टमेन्ट के पास आई।

(डी) गवर्नमेन्ट इस सम्बन्ध में जांच कर रही है।

Page No.27

प्रश्न संख्या ६७२

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state whether the maintaining of Sirohi as District Headquarters would be considered in the light of Rajasthan's claim for Abu ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—There is no proposal under consideration to shift the District Headquarters from Sirohi at present.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस हाउस को यह आश्वासन देने को प्रसन्न होंगे कि सिरोही को जिले का केन्द्र उस समय तक रखा जायगा जब तक कि आबू का फैसला नहीं हो जाता।

श्री जयनारायण व्यास—इस समय सिरोही से जिले के केन्द्र को कहीं हटाने का कोई प्रश्न सरकार के सामने नहीं है। ऐसी सूरत में आबू का मामला तय होने के समय तक जिले का केन्द्र सिरोही में रखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री जवानसिंह—क्या मुख्य मन्त्रीजी को यह मालूम है कि पुलिस विभाग की ओर से सिरोही के पुलिस अधिकारी के पास हुक्म आया है कि पुलिस का सामान, बंदूकें आदि जयपुर भेज दी जावें क्योंकि सिरोही डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर नहीं रहेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे ऐसी सूचना का पता नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या आप इस सूचना का पता लगाने की कोशिश करेंगे और उस सूचना को सदन की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं सिर्फ सूचना का पता ही नहीं लगाऊंगा बल्कि अगर कोई गलत सूचना हो गई है और उससे सिरोही वालों को गलत आशंका हो गई है तो उसे दूर करने की भी कोशिश करूंगा।

प्रश्न संख्या ६७३

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में सन् ५२-५३ के बजट में बैकवर्ड क्लासेज् विभाग से पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान-कार्य में कितनी रकम खर्च हुई ?

(२) वह अलग अलग डिविजन में कितनी कितनी खर्च हुई ?

(३) बजट की रकम खर्च करते समय किन नियमों का पालन किया जाता है ? क्या उनका पालन हुआ ?

[कंवरलाल जेलिया]

(४) कोटा डिविजन में सन् ५२-५३ में जो रकम पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण-कार्य में खर्च हुई, वह किन किन कार्यों में हुई व कितनी कितनी ?

(५) कोटा डिविजन में सन् ५०-५१, ५१-५२ में कितनी रकम पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण कार्य में खर्च हुई ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (दलित वर्ग उत्थान मंत्री)

(१) १०,१०,००३ रुपये खर्च हुये।

(२) हिसाब डिविजन वाइज न रखे जाने के कारण ऐसी सूचना एकत्रित करने के लिये समय की आवश्यकता है।

(३) बजट में रखी हुई रकम के खर्च करने में मोटा नियम आवश्यकता है और इसी आधार पर मन्जूरी दी जाती है। और इसका पूरी तरह पालन होता है।

(४-५) डिविजन वाइज हिसाब न रखे जाने के कारण ऐसे आंकड़े प्राप्त करने के लिये समय की आवश्यकता है।

श्री धरमचन्द—क्या सरकार अगले साल भी इरादा रखती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां।

श्री कंवरलाल जेलिया—अब तक सूचना प्राप्त नहीं की गई, इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

श्री कंवरलाल जेलिया—डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो खर्चा हुआ है वह किन किन कार्यों पर हुआ है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—६७० हजार रुपया शिड्यूल कास्ट के लिये मिलता है। माननीय सदस्य को काफी रुपया दिया गया फिर भी यह प्रश्न पूछा जाता है, यह अफसोस की बात है। माननीय सदस्य को कोटा के लिये काफी रुपया सरकार ने दिया पर मुझे दुःख है कि वे खर्च नहीं कर सके।

श्री एच. के. व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सदस्यों को रुपया देने का रवैया सरकार ने कब से तय किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह पुराना रवैया है।

श्री एच. के. व्यास—यह रुपया सदन के उस ओर (सरकारी बैंचेज) बैठे सदस्यों को ही दिया जाता है या इस तरफ के (विरोधी पक्ष के) सदस्यों को भी दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस तरफ के सदस्यों की ओर से पीड़ितों की सहायता के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है और न कोई ऐसी योजना बनाई गई है। अगर उनकी ओर से कुछ किया गया है तो यह किया गया है कि एक-दो प्रश्न पूछ लिये गये हैं। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी योजना आयेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

प्रश्न संख्या ६७४

श्री केसरीसिंह (वि. सं. ७५)—Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) How much labour does permanently work in Gangs on the Canals of Barda Bund in Bundi ?

(b) What amount of money does the Government spend yearly on them ?

(c) How much money did the Government spend on repairs of this Bund ?

(d) What amount has the Government to spend towards the maintenance of the Bund and its canals yearly ?

(e) What yearly income does the Government draw out of Irrigation from this Bund ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(a) One Gang, consisting of one Moharrir, one Mate and six Beldars, permanently works on Bardha canal.

(b) Expenditure in 1951-52 was Rs. 2,922/- and in 1952-53 expenditure incurred so far is about Rs. 3,400/-

(c) In 1951-52 Rs. 60,119/- were spent on the repairs of this Bund and in the year 1952-53 Rs. 48,605/- were spent.

(d) The yearly expenditure on the maintenance of the Bund and the canal is about Rs. 5,000/-

(e) The income from irrigation of the Bund for the year 1951-52 is Rs. 9,936/-.

प्रश्न संख्या ६७५

श्री दिलीपसिंह (डि० नं० ३६)—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to state:—

(1) How many appeal cases are pending against decisions of the Panchayats in the Udaipur Division. ?

(2) How many of them are pending for a period longer than one year ?

Page No.30

श्री रामकरण जोशी—1. No. Such appeals are pending. Revision petitions numbering 732 are of course under consideration.

2. 486 revisions petition are pending for over one year.

प्रश्न संख्या ५०४

श्री रोशनलाल शर्मा— क्या मन्त्री वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्री चीफ कंजर्वेटर ने सन् ५२ में किन किन स्थानों का किन किन कारणों को लेकर भ्रमण किया ?

(ख) उपर्युक्त भ्रमण किन किन स्थानों पर मोटर से कहां से कहा तक एवं ट्रेनों में किन किन स्थानों पर किया ?

(ग) उपर्युक्त भ्रमण में कितना रुपया वर्ष भर में खर्च हुआ ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इस भ्रमण में अधिकतर कार्य शिकार करने का ही था ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मंत्री)—सन् ५२ में निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया— भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बारां, बून्दी, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, किशनगढ़ चित्तौड़गढ़, अलवर, देहरादून इन्दोर,

निम्नलिखित कारणों से उपर्युक्त स्थानों का दौरा किया:—

इन्सपेक्शन के लिये
फोरेस्ट मिनिस्टर से मिलने के लिये जयपुर आये ।
एडहॉक कमेटी बजट कन्ट्रोल का दौरा
फोरेस्ट कालेज देहरादून के उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा में देहरादून गये ।
रेवेन्यु सेक्रेटरी से मिलने जयपुर
एडवाईजरी बोर्ड शिवपुरी स्कूल की मीटिंग में शरीक होने इन्दोर गये ।

उपर्युक्त स्थानों का दौरा कभी ट्रेन, कभी मोटर द्वारा किया गया। इन्दौर व देहरादून ट्रेन से गये ।

चार हजार चार सौ रुपया ग्यारह आना छः पाई

जी नहीं, सत्य नहीं है ।

श्री रोशनलाल—कहां कहां पर मोटरों पर और कहां कहां पर ट्रेनों म दौरा किया ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके लिये बहुत बड़ी लिस्ट हाउस की टेबल पर रख दी गई है और आपके पास भी भेज दी गई है। अगर वह आपके पास नहीं पहुंची हो तो वह आप अब मुझसे ले सकते है।

Page No.31

श्री एन. के. व्यास—तो ऐसी हालत में इस ऑफिसर का नामकरण "ऑफीसर ऑन टूर" कर दिया जाय तो क्या ऐतराज है ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट

प्रश्न संख्या ५७८

श्री रोशनलाल—क्या मंत्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) श्री डूंगरपुर महारावलजी को कौन कौन से जंगल निजी सम्पत्ति में दिये गये हैं ?

(ख) क्या इस प्रकार राजस्थान में अन्य राजाओं को भी जंगल दिये गये हैं ? हां, तो किन किन को ?

(ग) राजाओं के उन जंगलों पर राजस्थान सरकार का फोरेस्ट एक्ट लागू है या नहीं ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—(क) हिज हाइनेस महारावल डूंगरपुर को निम्नलिखित वन निजी सम्पत्ति में दिये गये हैं:—

(१) राजधानी रकवा–१३ वर्गमील

(२) पालीसोडा रकबा–साढे सात वर्गमील

(३) कंलाश रेंज रकबा–पौन वर्गमील

(ख) बांसवाड़ा, बूंदी, जोधपुर, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर के शासकों को निजी संपत्ति में वन दिये गये है ।

राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के शीघ्र ही लागू होने की आशा है। इस बिल के द्वारा संधिपत्रांतर्गत राज्यों के शासकों व अन्य संबन्धियों के शिकार करने, मछली पकड़ने व अन्य अधिकारों की रक्षा की गई है जिनको शिकारगाहों, वनों व अन्य क्षेत्रों में संधिपत्रों तथा तत्सम्बन्धी अन्य लेखों द्वारा मान्यता दी गई है । उन अधिकारों का उल्लेख निजी संपत्ति की सूचियों में भी है । इनके अतिरिक्त अन्य विषयों में साधारण कानून व नियम शासकों पर भी लागू होंगे ।

श्री रोशनलाल—आज जन साधारण पर जो कानून लागू है क्या वे कानून राजा व महाराजाओं पर लागू नहीं हो रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने उत्तर दे दिया है ।

एक सदस्य—उदयपुर के महाराणा को कौन कौन से जंगल निजी संपत्ति में दिये हुए है ?

श्री अमृतलाल यादव—श्री हरिदासजी की मगरी ।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सच है कि डूंगरपुर महारावल अपने उन जंगलों में लगान भी वसूल करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी—क्या माननीय मंत्रीजी को यह मालूम है कि भारत सरकार की तरफ से जो वाइट पेपर (White paper) निकला है उसके जरिये राजाओं और महाराजाओं को उन जंगलों से ईंधन लेने और उनमें अपने पशुओं को चराने का ही अधिकार दिया गया है ।

श्री अमृतलाल यादव—यह उन जंगलों और वनों पर लागू होता है जिनके लिये कुछ राइट्स दिये गये थे, वहां से वे लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं और अपने पशु चरा सकते हैं । जिन जंगलों को पर्सनल प्रोपर्टी में दिया गया है उन पर यह लागू नहीं होता ।

श्री हरिदेव जोशी—इन जंगलों के बारे में, जिनमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जंगल भी शामिल हैं, यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वहां से वे लोग केवल लकड़ी लेवें और अपने पशु चरावें ।

श्री अमृतलाल यादव—डूंगरपुर महारावल की पर्सनल प्रोपर्टी में जो जंगल हैं उनसे केवल घास और फ्यूल (ईंधन) इकट्ठे करने का ही अधिकार नहीं है बल्कि वह उनकी निजी संपत्ति है ।

क्या मैं वाईट पेपर का हवाला दे सकता हूं जिसे मैंने माननीय मंत्रीजी को दिखाया था । उसे देखें, यह कथन सही नहीं है ।

श्री देवीसिंह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने के बजाय इन्फॉर्मेशन देना क्या यह वाजिब बात है ?

श्री हरिदेव जोशी—मैंने पहले माननीय मंत्रीजी को यह बताया था । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अमृतलाल यादव—यह एक अलग प्रश्न है, फिर भी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं । अभी माननीय सदस्य ने मुझे व्हाइट पेपर का अंश बताया था जिसमें फ्यूल (ईंधन) कलेक्ट करने के राइट की बात थी जो उनकी सुविधाओं से संबन्धित है । निजी संपत्ति के जंगलों की जो बात पूछी गई है उसके संबन्ध में मैंने सब बातें स्पष्ट बताई हैं, उन जंगलों को अलग अलग बताया है ।

श्री हरिदेव जोशी—जो निजी जंगल के रूप में होने का नाम लिया जा रहा है वह वास्तव केवल लकड़ी और घास काटने के लिए ही है; क्या यह स्पष्ट नहीं किया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं यह बात स्पष्ट कर रहा हूं कि उस जंगल में घास और लकड़ी काटने का ही केवल अधिकार नहीं है बल्कि वह डूंगरपुर महाराजा की पर्सनल प्रोपर्टी है ।

श्री हरिदेव जोशी—क्या एक सर्क्युलर के जरिये यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस जंगल में केवल घास और लकड़ी काटने का ही उनको अधिकार है और क्या उस पेपर के अन्दर यह बात नहीं है कि दूसरी बातों में एक ऑर्डिनरी सिटिजन की ही तरह साथ व्यवहार किया जायगा ?

Page No.33

श्री अमृतलाल यादव—इसका व्हाइट पेपर में कोई उल्लेख नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह स्पष्ट नहीं है कि इस जंगल में केवल घास और लकड़ी काट सकते हैं ?

श्री माधोसिंह—जब मंत्री जी ने यह कह दिया है कि वह निजी संपत्ति है तब फिर क्या प्रश्न रह गया है ?

श्री हरिदेव जोशी—मेरे प्रश्न को साफ नहीं किया गया है । व्हाइट पेपर के जरिये ही जब सारी बातें साफ हो गई तो फिर लकड़ी और घास काटने के सिवाय और क्या अधिकार रह गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—समान नागरिक अधिकार होते हुए भी उनको लकड़ी और घास काटने का अधिकार है ।

श्री हरिदेव जोशी—(अश्रव्य)

श्री अमृतलाल यादव—रूलर्स को जो प्रिविलेजेज दिये गये हैं उनके अनुसार जंगल में से ईंधन के लिये लकड़ी और चारे के लिये घास कलेक्ट करने का अधिकार है । वहां पूरी स्थिति के बारे में मैं पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और फिर निश्चित रूप से बताऊंगा ।

श्री हरिदेव जोशी—इसका यह तो मतलब नहीं होना चाहिये कि वे सारे जंगल को ही नष्ट कर दें ?

श्री जवानसिंह—क्या डूंगरपुर नरेश से व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी—नहीं ऐसी बात नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जंगल राष्ट्रीय संपत्ति है और उनको निर्दयतापूर्ण ढंग से नष्ट किया जा रहा है, इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो अनुचित होगा । केवल इसी दृष्टिकोण से यह प्रश्न पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष—Questions are only meant for seeking information and the Members who feel that some informations are likely to injure a particular person they should not take it seriously. If the Members concerned feel that the replies are evasive, then so far as time permits they can elicit inforamtion to the extent that is permissible. Otherwise they can table a motion for half-an-hour discussion.

(विराम)

Now we come to the buisness of the day. The question hour is over.

इंगलिस्तान की महारानी मेरी के देहावसान पर शोक-प्रदर्शन

श्री जयनारायण व्यास(मुख्य मंत्री)—हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। वह यह है कि कल रात को इंगलैंड की मौजूदा रानी एलिजाबेथ द्वितीय की दादी और भूत-पूर्व राजा जॉर्ज छठे की माता और राजा जार्ज पंचम की धर्मपत्नि महारानी मेरी का देहान्त हो गया है। क्वीन मेरी का हिन्दुस्तान से काफी संबंध रहा है। हिन्दुस्तान कोमनवेल्थ का एक अंग है और इसलिये मैं उचित समझता हूं कि यह सदन क्वीन मेरी के देहावसान पर शोक प्रकट करे और एक या दो मिनट के लिये मृत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

श्री जसवन्तसिंह—विरोधी पक्ष की ओर से मैं माननीय सदन के नेता के साथ सम्मिलित होता हूं। हर इम्पोरियल मेजेस्टी क्वीन मेरी के देहान्त पर हमें अफसोस जाहिर करना चाहिये और अंग्रेज राजघराने के साथ हमें सहानुभूति प्रगट करनी चाहिये और सदन को एक मिनट के लिये शान्त रह कर मृतआत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। माननीय सदस्यों को भली भांति मालूम है कि अंग्रेजों का हिन्दुस्तान के साथ सैंकड़ों वर्षों तक संबंध रहा है। संबंध ही नहीं रहा बल्कि समय आने पर जिस खूबी के साथ अंग्रेजों ने भारतवर्ष से बिदा ली वो यह सबको मालूम है और बिदाई के बाद भी भारत का उनसे अच्छा संबंध है। कई साल से संघर्ष करते रहने के बाद आज भी हम उनके मित्र हैं और कोमनवेल्थ के सदस्य हैं। जब ब्रिटेन की महारानी कोमनवेल्थ की हैड है तो ऐसे मौके पर यह स्वाभाविक बात है कि ब्रिटिश राज घराने के साथ सहानुभूति प्रगट करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विरोधी दल की ओर से इस शोक में सम्मिलित होता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हाउस को एक मिनिट के लिये मृतआत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करनी चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I cannot associate myself with it.

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! ऑर्डर!!

मैं सदन के नेता और विरोधी दल के नेता ने जो भाव प्रकट किये हैं उनके साथ अपने भावों को सम्मिलित करता हूं अपनी ओर से और सदन की ओर से भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे एक मिनिट के लिये खड़े होकर मृत-आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(श्री हरिकृष्ण व्यास, साम्यवादी, के अतिरिक्त सदन के समस्त सदस्यों ने खड़े होकर मृत-आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की।)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before we proceed on to the next item, I want to submit that I can not associate myself. . . . . .

श्री अध्यक्ष—Order please. General discussion on the Budget.

श्री एच. के. व्यास—Do I take it, Sir, that I have not your permission to speak on the motion before the House ?

श्री अध्यक्ष—No, unless I permit.

(श्री एच. के. व्यास, बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Order, please.

श्री एच. के. व्यास—Then I am seeking your permission, Sir.

श्री अध्यक्ष—I refuse the permission.

श्री एच. के. व्यास—In protest againt this I want to walk out of the House, Sir.

(श्री एच. के. व्यास सदन से बाहर चले गये)

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर जो दो तीन दिन से ....

श्री अध्यक्ष—I do not want to say anything, but I take serious notice of these things when the whole House stands and a particular member remains conspicous by not obeying the whole House. I take a very serious view of it. If any member does not want to associate himself with the feelings of the House he has a right to walk-out of the House or keep quiet.

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, बालिग मताधिकार के ऊपर चुनी हुई राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने आय-व्यय का जो यह दूसरा बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उस बजट के देखने से वित्त मंत्री महोदय को बधाई देने की भावना पैदा होती है। गत वर्ष का जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत हुआ था उससे यह बजट आय और व्यय के बहुत से हिस्सों में काफी प्रगति करने वाला है। इसके साथ ही साथ हम वित्त मंत्री महोदय से इस बात की आशा चाहते हैं कि क्या जितने प्राविजन्स इस बजट में रखे गए हैं वे सब उसी मुताबिक इस आयन्दा साल में लागू होंगे, और कामयाब होंगे और यदि कामयाब हो सके तो यह हमारे लिये बहुत संतोषप्रद होगा। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, मेडीकल और बहुत सी बातों में काफी रुपया खर्चे में बढ़ाया गया है और इससे हम अपनी उन्नति का मार्ग आगे बढ़ा सकेंगे; डेवेलपमेन्ट की यही काफी दिलचस्पी और प्रोत्साहन देने वाली बात है। यदि बजट के ऊपर काफी लम्बी दृष्टि से देखा जाय तो इस वर्ष भी हमें यह बात कहनी पड़ेगी कि दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा किस हिस्से में अधिक खर्च होना चाहिये और किस हिस्से में कम खर्च होना चाहिये; कोई ध्यान नहीं रखा गया है। जो हिस्से काफी बढे हुए हैं या जो बढ़ने जा रहे हैं उनको बहुत बडी मात्रा में पैसा दिया जा रहा है और जो हिस्सा पीछे रहने वाला है उसकी तरफ आज भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे तो हर डिविजन में डेवलप्मेन्ट के लिये, ईरिगेशन पर, शिक्षा पर, मेडिकल पर, पब्लिक हेल्थ पर, कुछ पैसा रखा गया है किन्तु डिविजन वाइज जो पैसा सरकार की तरफ से रखा गया है उसका वितरण ठीक तौर पर नहीं किया गया है, मेरी ऐसी मान्यता है। मसलन उदयपुर डिविजन में मेजा एक प्राजेक्ट है, जिससे ४३

[श्री तेजमल बापना]

हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और भूतपूर्व राजस्थान ने उस स्कीम को मंजूर कर लिया था और पैसा भी मंजूर कर लिया था, किन्तु दुर्भाग्य से वृहद् राजस्थान बन गया और उसमें यह सारी स्कीम खतम हो गई। मैंने गत वर्ष भी सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था किन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इस वर्ष भी इसके लिये साधारण पैसा रखा गया है।

भीलवाड़ा जिला राजस्थान का और उदयपुर डिविजन का बहुत महत्व का जिला है और भीलवाड़ा नगर तो काफी उन्नति पर चल रहा है। मेरा खयाल है कि भीलवाड़ा से काफी पैसा सरकार को आमद के तौर पर प्राप्त होता है लेकिन फिर भी इस स्कीम को क्यों निग्लेक्ट किया गया, क्यों इस तरफ ध्यान न तो दिया गया और न दिया जाता है, इस बात का कोई पता नहीं चलता। इसके साथ ही साथ सरकार को तरफ से बहुत अनइकोनोमिक बातें हो रही हैं जिनको मिटाने के लिये कोई खयाल नहीं किया जा रहा है ताकि हमारी आमदनी में बढोतरी हो और हमारा सारा फिजूल खर्चा मिट जाय। उदाहरण के तौर पर मैं आपको भीलवाड़ा में जो पॉवर हाउस है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पॉवर हाउस का २३००) रु० प्रति माह का खर्चा है और ११००) रुपये की इस से आमद है। वहां पर काफी डिमान्ड है और एक नए एन्जिन की वहां आवश्यकता है। यदि यह एन्जिन वहां पर भेज दिया जाय तो उससे काफी आमदनी हो सकती है, काफी गृह उद्योग और कल-कारखाने वहां चालू हो सकते हैं। यदि उस तरफ सरकार का ध्यान हम आकर्षित करते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी बात आपको अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि भीलवाड़ा नगर में सरकार द्वारा किराए के लिये प्रति माह दो हजार रुपये खर्च किये जाते हैं और सरकार ने चार-पांच साल में करीब १ लाख रुपया खर्च कर दिया है। यदि यही रुपया भीलवाड़ा म इमारत पर खर्च कर दिया जाता तो वह राजस्थान की एसेट हो जाती और किराया भी इतना खर्च नहीं करना पड़ता। मुझे उम्मीद है कि वित्त मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और मेरा सुझाव ह कि जो इस प्रकार की अनइकोनोमिक कन्डीशन्स हैं उनको मिटाया जाय और आमदनी के जो साधन हैं उनको बढाया जाय।

रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट के लिये जो प्रोविजन बजट में रखा गया है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीलवाड़ा में चार-पांच साल से एक पैसा भी सरकार ने इस ओर खर्च नहीं किया और लाखों रुपया उदयपुर शहर में खर्च किया गया है। माननीय अध्यक्ष, इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि उदयपुर शहर में खर्चा नहीं किया जाय, किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि उदयपुर शहर और भीलवाड़ा में शरणार्थियों की संख्या बराबर सी है और एक जगह तो एक पैसा भी नहीं लगाया जाय और दूसरी जगह लाखों रुपया लगाया जाय, यह कैसी बात है। इस आयन्दा साल के बजट में उदयपुर में १०० टेनमेन्ट्स के लिये १। लाख रुपया प्रोवाइड किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि आज भी उदयपुर शहर में सैकड़ों मकान (घर) खाली पड़े हैं और शरणार्थी रहने वाले नहीं हैं। जहां शरणार्थी रहने वाले न हों वहां फिर १। लाख रुपया लगाया

[श्री तेजमल बापना]

आ रहा है और भीलवाडा शहर में जहां शरणार्थी रहने वाले हैं वहां एक पैसा भी नहीं रखा गया है। यह कहां तक न्यायोचित है, यह आपके ही सोचने की बात है।

इसके साथ साथ में यह कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उस सब का केवल एक ही आशय है और वह यह है कि जन-हित किस प्रकार से हो और जन-साधारण को किस प्रकार राज्य-कार्य से राहत मिल सके, किन्तु उसकी तरफ आज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। रिश्वत-खोरी काफी बढ़ रही है और मैं तो यह देख रहा हूं कि जो बहुत से अधिकारी हैं और जिनको इमानदार मानते आ रहे हैं उनका भी मन विचलित होता जा रहा है। सरकार को इस ओर विशेष कदम उठाने चाहियें थे। एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट का जो प्रोविजन बजट में रखा गया है मैंने उस ओर भी देखा है। इसमें गत वर्ष से कुछ खर्चा बढ़ाया गया है, किन्तु यह खर्चा ऐसे महकमे के लिये सन्तोष प्रद नहीं है। ऐसे महकमे तो ऐसे कर्मचारियों से भरे हुए होने चाहिए कि जो पूरे इमानदार हों और जिनका अपने जीवन काल में बहुत ऊंचा स्तर रहा हो। उनको तनख्वाहें काफी अच्छी दी जानी चाहियें ताकि उनको किसी प्रकार का टेम्पटेशन नहीं हो; तब ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। सदन में कुछ सदस्यों ने बताया कि रेवेन्यु विभाग व सप्लाई विभाग में काफी रिश्वतखोरी चल रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मानता हूं कि सरकार का कोई भी ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं है जो कि रिश्वतखोरी से बचा हुआ हो। इसके लिये तो ड्रास्टिक (drastic) एक्शन लेने की आवश्यकता है। तब ही यह बीमारी मिट सकती है। किन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और जब तक सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देगी तब तक जन-सेवा और जन-हितका काम नहीं हो सकता और भी उसके द्वारा जनता को राहत मिल सकती है, मैं नहीं मानता। आज सरकार जन-हित के कामों में काफी खर्च कर रही है, लेकिन वह जितना इन जन-हित के कामों में खर्च कर रही है उसका अधिक हिस्सा ही लोगों की जेबों में जाता है, जिसको सोचने और समझने के लिये बहुत बड़ी समझ चाहिये। इस विषय में मैं ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की तारीफ करूंगा। इंगलैन्ड की जो सिविल सर्विसेज् हैं, वह ओनेस्टी और इन्टीग्रीटी में बहुत ऊंची हैं। जो सरकारी पैसा उनके हाथ में होता है उसका बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग होता है।

अध्यक्ष महोदय, उनकी ईमानदारी से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिये। हम यह चाहते हैं कि जो पैसा जन-हित कार्यों के लिये खर्च किया जाता है वह वास्तव में उसी काम के लिये पूरा का पूरा खर्च होना चाहिये। इस पर काफी सोचे जाने की गुजांइश है। आज होता यह है कि सरकार किसी डेवलप्मेन्ट के काम मसलन, ट्रान्सपोर्ट या बिल्डिंग अथवा रोड में लाखों रुपया प्रोवाइड करती है। इसमें मान लीजिये एक लाख का काम है तो आज स्थिति यह है कि इसमें से २५-३० हजार रुपया मात्र उस काम में लगाते हैं और बाकी रुपया ऊपर का ऊपर खत्म हो जाता है। यह परिपाटी ऐसी बुरी है जिसमें से निकल कर हमें अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंचने में काफी देर लग सकती है। हमें इस पर गहराई से सोचना है।

इस बात को मैं जरूर मानता हूं कि हमारे यहां सिविल सर्वेन्ट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये और जरूर मिलना चाहिये, पर साथ साथ इसका भी प्रोविजन होना चाहिये कि अगर किसी पर थोड़ा सा भी शक का मामला हो तो कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिये।

Page No.38

[श्री तेजमल बापना]

करप्शन मिटाने का जो तरीका है इसका सीधा सा जवाब यही मिलता है कि अदालत में जावो। लेकिन कितना मुश्किल होता है आज के इस जमाने में किसी के खिलाफ पूरे-पूरे सुबूत देकर मामला साबित करने में? हमें हमारे सरकार के हित को भी सोचते रहना चाहिये। और जब तक यह भावना हमारे कर्मचारियों को अथवा समस्त उच्चाधिकारियों की नहीं होगी तब तक हम चाहे जितनी कोशिश करें हमारे आजादी के बाद के स्वप्न पूरे नहीं हो सकते।

इरिगेशन के सम्बन्ध में भी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊं। यह तो मैं मानता हूं कि दरअसल राजस्थान में ही नहीं, सारे देश में आज इस बात की कोशिश की जा रही है कि हम खेती को बढ़ावें। हमारे कृषि प्रधान देश का यही सब से बड़ा जरिया है आमदनी का और आम जनता के भरण-पोषण का। इसके लिये इरिगेशन के काम में काफी रुपया लगाया जाना चाहिये। हमारी सरकार इस ओर भी प्रशंसनीय काम कर रही है। काफी बड़े बड़े बान्ध इस स्कीम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं और इसमें करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है।

लेकिन हमारे प्रान्त में इस बात की ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे राजस्थान में कौनसा ऐसा हिस्सा है जहां कम खर्चा किया जाकर अधिक से अधिक पानी एकत्रित किया जा सकता है और जल्दी से ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा से अधिक से अधिक सिंचाई की जा सकती है। तभी जा कर हम कम समय में, कम खर्चे में काफी अधिक पैदावार बढ़ा सकते हैं और जो बन्जर जमीन पड़ी है बड़ी तादाद में उसे खेती के योग्य बना सकते हैं।

आज सरकार की ओर से भी कुछ एग्रीकल्चर के फार्म अलग अलग डिविजनों में अलग अलग जगहों पर हैं। पर वित्त मन्त्री महोदय ध्यान दें इस बात की ओर कि जो खर्चा इन पर किया जा रहा है और जितना खर्चा इन गत सालों में इन पर किया गया है उसके बदले में कितनी आमदनी इनसे हुई है। मैं ठीक सूचना आपको दे रहा हूं कि उनके पीछे एक रुपया खर्च होता है उसके बदले में एक आना भी आमदनी नहीं होती। फिर भी सरकार ने इनके लिये लाखों रुपये खर्चे के इस बजट में रखे हैं। यह अन-इकानोमिक व्यवस्था क्यों रक्खी जा रही है ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

हम अगर ठीक तरह से मैनेज नहीं कर सकते तो छोड़ देना चाहिये इस तरह के धन्धे को और अपना रुपया और इनर्जी दूसरी तरफ लगानी चाहिये जिससे कि हमारी रेवेन्यु बढ़े।

ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर दूं। हमारे इस राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा आमद और रफ्त से बचा हुआ है। इससे बड़ी असुविधा होती है और वह असुविधा तब और भी बढ़ जाती है जब हमें दूर बसे हिस्सों की पैदावार को प्रान्त के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाना पड़ता है। इससे हमारे व्यापार और व्यवसाय की प्रगति भी रुकी पड़ी है। उदयपुर डिविजन इस मामले में सबसे पीछे है और उसके लिये बहुत थोड़ा प्रोवीजन इस ट्रान्सपोर्ट में रक्खा गया है। इसे थोड़ा और

[श्री तेजमल बापना]

करने की जरूरत थी। अगर हमारे यहां ट्रान्सपार्ट के पूरे पूरे साधन मिल जायं तो हम काफी उन्नति कर सकते हैं।

मेरे एक मित्र ने इस बजट के लिये यह कहा कि यह सामन्तशाही बजट है, पर मुझे कोई खास बात ऐसी नहीं मालूम पड़ी कि यह किस प्रकार सामन्तवादी बजट है? सामन्तवाद के बजट तो कभी प्रस्तुत ही नहीं होते थे। इसमें तो जन-हित के कई काम हैं।

श्री बलवीर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजाद हिन्द होने से पूर्व मजदूरों को जितनी आशायें थीं वे पूरी नहीं हुईं। उनका ख्याल था कि आजादी मिलने पर सामन्तवाद और पूंजीवाद खत्म होकर इस प्रकार का जनतन्त्रवाद आवेगा जिसमें गरीब किसानों और मजदूरों का हित होगा और वे अपने बाल-बच्चों के लिये शिक्षा का और जीवन की अन्य आवश्यक सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे और जो कानून बनेगा वह सब उनके हित का बनेगा। लेकिन वे तमाम बातें एक स्वप्न के रूप में परिणत हो गईं और जिन लोगों के हाथ में आज शासन की बागडोर है उन्होंने आजादी से पहले आम जनता से जो वायदे किये थे वे सब झूठे निकले। उनके सब के वायदे नाकामयाब रहे। उन्होंने बार, बार, हर जगह मीटिंग में और हर प्लेटफोर्म से एलान किया था कि आजादी मिलने के बाद आम जनता को हर जिवनोपयोगी वस्तु की सुविधा होगी, तमाम श्रमिकों और किसानों के बच्चे भी उसी तरह शिक्षा एवं अन्य वस्तुओं का उपयोग करेंगे जैसे कि राजे-महाराजे और सेठ साहूकार के बच्चे करते हैं और यह भी कहा करते थे कि आज निरंकुश शासन में जो कुछ जैसा होता है वह आजादी आने के बाद कभी नहीं होगा। पर वे चीजें इस तरह चली गईं जैसे स्वप्न आता है और उसी समय खतम हो जाता है।

यह बजट जो हमारे हाउस के सामने प्रस्तुत है मालदारों को ज्यादा मालदार बनाएगा और गरीबों को और अधिक गरीब। इससे अधिक इस बजट में और कुछ नहीं है।

इसके आंकड़े हाउस के सामने कई रोज से पेश किये जा रहे हैं पर इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही पूछता हूं कि जो गरीब काश्तकार लोग गांवों में बसते हैं और जिनकी आमदनी से सरकार का नव्वे प्रतिशत खर्चा चलता है उन लोगों के लिये उसके बदले में सरकार ने क्या किया है, सिवाय इसके कि शिक्षा और पब्लिक हैल्थ का सारा का सारा रुपया शहरों में खर्च कर दिया गया है। शहरों का अधिक ध्यान रक्खा गया है। एजुकेशन के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि गांवों में नये स्कूल खोलने के लिये कितना रुपया रखा गया है, कितनी नई स्कूलें खोलने का प्रोवीजन रखा गया है, जहां कि हर १५ मील के एरिया तक कोई स्कूल नहीं है और २०-२०, ३०-३० माइल के एरिया में कोई अस्पताल नजर नहीं आता? तो इस तरह से यह कहना कि यह जनतन्त्र का जमाना है कितनी झूठी बात है।

(करतल-ध्वनि)

आप लोग यह कहेंगे कि इस तरह से स्कूलों और अस्पतालों के इन्तजाम के लिये बजट में पैसा कहां है। इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि जिन शहरों से कोई आमदनी नहीं होती वहां ज्यादा खर्चा

[श्री बलवीर]

क्यों किया जाता है? जिन गांवों से ८० परसेंट आमदनी आती है वह ८० परसेंट उन्हीं के लिये क्यों नहीं खर्च की जाती है? इनकम दूसरी जगह से होती है और खर्च दूसरी जगह किया जाता है, यह विषमता क्यों बरती जा रही है? यह कोई कायदे की बात है?

"बजट में गुंजाइश नहीं" एक तरफ तो ऐसा कहते हैं और दूसरी तरफ ट्रान्सफर्स कितने हो रहे हैं! काफी से ज्यादा पैसा इनके टी. ए. और डी. ए. पर खर्च हो जाता है।

पुलिस के लिये यह कहा जाता है कि इसके लिये ज्यादा खर्चा इसलिये रखा गया है कि पुलिस के इन्तजाम के बगैर राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसमें फेवरेटिज्म जितना चलता है उतना किसी महकमे में नहीं चलता। ट्रान्सफर की जाती हैं ऐसी कि नये व्यक्तियों को उन जगहों पर भेजा जाता है जिस जगह के हालात के वाकिफकार वे न हों। आप सोच सकते हैं कि वे वहां जाकर क्या काम कर सकेंगे। वे नये होने के कारण इन्तजाम ठीक से नहीं कर सकते, चाहे आप कितना ही पैसा इस विभाग पर क्यों न खर्च करें जब तक एक व्यक्ति को काफी अर्से तक एक ही जगह पर नहीं रखा जाता। एक सब-इन्सपेक्टर, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को एक जगह पर तब तक नहीं रखा जावे जब तक कि वह उस जगह की हालात से पूरी जानकारी प्राप्त न करलें, जिस तरह की आज बद-इन्तजामी फैल रही है वह फैलती ही रहेगी। कभी भी शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।

हमारे बजट की खास इन्कम के सोर्सेज रेल्वे थी। लेकिन जब से राजस्थान रेल्वे सेन्टर ने अपने हाथ में लेली, उसका कम्पेन्सेशन उन्हें क्या दिया, यह सोचने की बात है। इस रेल्वे से हमारे राजस्थान को पांच करोड़ की आमदनी थी उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। या तो यह होना चाहिये था कि रेलवे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार या तो दस साल के लिये रेल्वे हमारे पास रहनी चाहिये थी या हमें कम्पेन्सेशन या मुआवजा मिलना चाहिये था। इस तरह से न तो रेल्वे हमारे पास रही और न उसका कम्पेन्सेशन ही हमें मिला। यह सोचने की बात है कि इनकम के जो सोर्सेज हमारे थे वे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने हमारे से छीन लिये। अब तो सिर्फ राजस्थान के इनकम के सोर्सेज हमारे वे खेत ही रह गये हैं जो हमारी सरकार को पीले ही पीले नजर आते हैं।

किसी भी जगह में इस तरह का कायदा नहीं है कि गवर्नमेन्ट और रेल्वे पुलिस अलग अलग हों। प्रोवीन्शियल पुलिस ही रेल्वे पुलिस हुआ करती है। सिर्फ दो पुरानी रियासतों जयपुर और जोधपुर को छोड़कर बाकी सब जगह प्रोवीन्शियल पुलिस और रेल्वे पुलिस अलग अलग है। इस तरह से होता यह है कि किसी किसी मुजरिम को पकड़ना हो और यदि वह दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो इस कारण उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। इससे लोगों को ज्यादा असुविधा है, यह सोचने की बात है।

इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीकर स्टेशन पर एक कान्स्टेबल कोर्ट या जिसने रेलवे कर्मचारी को पकड़ा था और जिससे जयपुर सरकार को करीब ३७ लाख रुपये का फायदा हुआ

Page No.41

[श्री बलबीर]

था। इस तरह से फायदा कराने वाले कर्मचारी को सरकार ने इनाम तो नहीं दिया किन्तु उस व्यक्ति को प्रॉमोशन ही दिया। आज कल तो केवल उनको ही प्रॉमोशन या तरक्की मिलती है जिनके या तो कोई बड़े रिश्तेदार होते हैं या सरकार में उनका कुछ हाथ हुआ करता है, चाहे वे रिश्वत भले ही लेते हों। इसके अलावा जितने छोटे छोटे कर्मचारी हैं उन सब छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह एक तरफ और उस डिपार्टमेन्ट के हेड की तनख्वाह एक तरफ। उन सबकी तनख्वाह मिलाकर भी इतनी नहीं होती जितनी कि एक हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को मिलती है। काम सारे बेचारे क्लर्क करते हैं, हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट तो नाम मात्र का होता है; फिर भी उनके वेतन में कितनी असमानता है कि इससे नीचे के कर्मचारियों की क्या हालत हो सकती है, आप जान सकते हैं। अतः वे रिश्वतें लेते हैं इसके जिम्मेदार वे कर्मचारी नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री भेरूं सिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान का यह बजट जिस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत किया गया उससे पूर्व इस सदन के माननीय सदस्यों को और जनता को यह विश्वास था कि इस बजट से जनता को अधिक से अधिक राहत मिलेगी। परन्तु जिस वक्त यह बजट इस सदन के समक्ष पेश किया गया उस वक्त इस सदन की सारी आशाएं; जनता की सारी आशाएं निराशाओं में परिणत हो गई। बजट को सन्तुलित रूप से पेश किया जाना वाकई में माननीय मुख्य मन्त्री की तारीफ का एक नमूना है। बजट को सन्तुलित पेश करते वक्त जिस तरह माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने बजट स्पीच को पढ़ते वक्त जो यह कह कर सुनाया था कि (Cut . our coat according to the cloth) (कट यूवर कोट अकोर्डिंग टू दी क्लोथ) इससे इस प्रकार का अन्दाज मालूम होता है कि यह जो बजट के आंकड़े प्रस्तुत किये गये उसमें आमदनी और खर्चे के आंकड़े तैयार करके एक बात का प्रिन्सिपल बना लिया गया है कि इस बजट को सन्तुलित बनाना चाहिये। उसी प्रिन्सिपल के अनुसार आंकड़ों को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है। इस बजट म जो कुछ आय में वृद्धि हुई है या आय में कमी हुई, प्रशासन विभाग के खर्चे में कमी हुई है या वृद्धि हुई है अगर इसको देखा जाय तो स्पष्ट मालूम होता है कि किस प्रकार से आंकड़ों को तोड़ा मरोड़ा गया है, किस तरह से आंकड़ों को अपने असली रूप में नहीं रहने दिया है। यदि ५००) रुपये की कमी एक तरफ की है तो दूसरी तरफ उतने ही ५००) रुपये की बढोतरी कर दी है।

दोनों तरफ परेलल लाइन चलाया जाकर बजट को संतुलित बताया है। अब वास्तविक आंकड़ों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्षजी, इनमें लैन्ड रेवेन्यू, जागीर, इन्टर स्टेट ड्यूटीज यह चार मद विशेष प्रकार ध्यान देने योग्य है।

लैन्ड रेवेन्यू के जो आंकडे बजट में प्रस्तुत किये गये हैं उनके बारे में यह कह सकता हूं कि जिस सरकार की ढिलमिल नीति हो, जो सरकार अपने आप में स्थायित्व नहीं समझती हो, जिसके मन्त्रियों को हर वक्त यह खतरा बना रहता है कि वे रहेंगे या नहीं, वह सरकार लैन्ड रेवेन्यु के कलेक्शन के

[श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)]

अन्दर ज्यादा कामयाब नहीं हो सकेगी । आज सरकार के कई मन्त्री अपना स्थायित्व नहीं समझते हैं कि वे मन्त्री मण्डल में रहेंगे या नहीं ; तो वे क्या सोचेंगे कि उनको किस प्रकार की स्थाई योजना बनानी चाहिये कि जिस योजना से कलेक्शन ठीक प्रकार से हो सके । इस तरह से राजस्थान के मन्त्रियों का बहुत कुछ समय तो अपनी तोड़ फोड़ के अन्दर ही चला जाता है और इस काम के लिये उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है । ज्यादा समय नहीं देने के कारण लैन्ड रेवेन्यु की बकाया इस प्रकार से पड़ी हुई है कि यदि सरकार इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे तो काफी हद तक राजस्थान की आर्थिक समस्या दूर हो सकती है ।

दूसरी चीज जो बताई गई है वह यह है कि जागीर एबॉलिशन से हमारी आमदनी बढ़ेगी । इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करता हूं कि आज कई रोज से ऐसी चर्चा बनी हुई है कि जागीरदारों और सरकार के बीच कोई समझौता होने वाला है । यदि उस समझौते का अमल जिस प्रकार मुझे मालूम है होता है तो एबॉलिशन का सारा कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यदि सरकार जागीरों को एबॉलिश करती है तो कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा और इस तरह जागीर एबॉलिशन से होने वाली सारी आमदनी कम्पेन्सेशन के मद में खर्च हो जायगी । जिससे मेरी समझ में एबॉलिशन (Abolition) से कोई विशेष आय होने वाली नहीं ।

दूसरा प्रश्न रबी कॉप्स के सम्बन्ध में है । हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपनी बजट स्पीच में फरमाया था कि हमारी रबी कॉप्स बहुत ही सन्तोषप्रद है, इससे हमारी आमदनी बढ़ने की आशा है, लेकिन चाहे जितनी फसल अच्छी हो यदि लगान वसूल नहीं किया गया तो उस फसल के अच्छे होने या नहीं होने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । फसल के अच्छे होने से लैन्ड रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा कभी भी नहीं हुआ करता है, बल्कि यदि सरकार की योजना निश्चित नहीं हो तो फसल अच्छी होते हुए भी वसूली नहीं हो सकती । वर्तमान नीति के कारण राजस्व की आय उतनी नहीं हो सकेगी जितनी बजट में बतलाई है ।

जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उत्तम बजट के द्वारा हम अपने समाज के उत्थान और पतन को देखते हैं । सरकार ने उस ओर ध्यान दिया है या नहीं; राजस्थान के बजट म हम देखते हैं कि राजस्थान में नैतिक उत्थान हुआ है या नैतिक पतन । इन आवश्यक चीजों का ध्यान रखा गया है या नहीं, इसके सम्बन्ध में मैं हाउस के समक्ष अपने विचार प्रकट करूंगा । एक तरफ तो पुलिस के अन्दर काफी बजट बढ़ गया है । मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि प्रशासनीय विभाग को ठीक प्रकार से चालू रखने के लिये, जनता की हिफाजत करने के लिये पुलिस विभाग म वृद्धि करनी चाहिये ; लेकिन मेरे कहने का मतलब यह ह कि ज्यों ज्यों अराजकता बढ़ती गई पुलिस का बजट भी बढ़ता गया । इस कारण यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता का नैतिक स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि अराजकता नैतिक स्तर गिर जाने के कारण से बढ़ती है । यहां के नैतिक स्तर को ऊंचा करने के लिये कोई विशेष खर्चा नहीं कर रहे हैं । आज जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हैं वे नैतिक स्तर को ऊंचा करने वाली संस्थाएं हैं । उनके लिये सरकार खर्च करने की जो योजनाएं बना रही है उनके लिये मैं कह सकता हूं कि कोई एक

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]
प्रकार की नई योजनाएं नहीं हैं। ५-७ वर्षों के बजट को देखते हैं तो एक प्रकार का जो गैप मालूम होता है, और जिस गैप को हम पिछले सालों से पूरा नहीं कर सके हैं और जिसके लिये हमें बराबर आश्वासन दिया गया है कि इस प्रकार से अस्पताल खोले जायेंगे, इस प्रकार से एजुकेशन इन्स्टीट्यूशन खोले जायगे, प्राइमरी स्कूलें खोली जायेंगी, सोश्यल वैलफेयर के लिये कई प्रकार की योजनायें बनाई जायेंगी, उनको पूरा करने का प्रयत्न किया गया है। खास तौर से मैं यह कहूंगा कि पिछले बजट में जो कमी रह गई, ४-५ साल से जो आश्वासन दियें गये थे उनको पूरा करने का भी प्रयत्न किया गया है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

अब इस बजट के द्वारा हमें ऐसा मालूम होता है कि राजस्थान के रिजर्व करीब करीब समाप्त होने आये हैं। रिजर्व समाप्त करने से सरकार की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जल्दी से जल्दी रिजर्व को ठीक प्रकार से मेन्टेन करना बहुत जरूरी होगया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी निकालने के पश्चात् उसकी हालत हो जाती है उसी प्रकार से सरकार की रीढ़ की हड्डी भी जब खतम हो जायगी तो शेष कुछ नहीं रहेगा। इसलिये इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि आयन्दा चल कर प्रशासनीय कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल सके। इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन रखा गया है। उस प्रोविजन में २ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इन दो करोड़ रुपयों में से १॥ करोड़ रुपये तो इन्वेस्ट कर दिये गये हैं। इस पर पूरे विवरण के साथ कहकर आज मैं सदन का विशेष समय नहीं लेकर कट मोशन के समय ही ज्यादा कहूंगा। इस समय तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टमेन्ट किया गया है वह उन कन्सर्न्स में किया गया है जो मर गई हैं या निकट भविष्य में ही मर जायेंगी।

ऐसी मदों में सहकारी विभाग भी है। राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने अपना पिछला बजट पेश करते हुए यह कहा था कि राजस्थान में एपेक्स बैंक खोला जायगा और उसके द्वारा समाज की काफी उन्नति होगी और इस बजट में भी माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रकार का आश्वासन दिया है। जिस प्रकार कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री का आश्वासन निर्मूल सिद्ध हुआ है उसी प्रकार से मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी का यह आश्वासन भी निर्मूल सिद्ध होगा।

राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने यह कहा है कि राजस्थान में स्माल स्केल इन्डस्ट्री को जल्दी से जल्दी इन्डस्ट्रियलाइज किया जाय और उन्होंने चेम्बर ऑफ कॉमर्स की वर्किंग कमेटी की एक मिटिंग में उन मेम्बरों को और उनके द्वारा जनता को आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का इन्डस्ट्रियलाइजेशन किया जायगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं और बातों पर नहीं जाकर कुछ विशेष बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ५-७ दिन पूर्व इस सदन में राजस्थान के रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर साहिब से प्रश्न किया था कि रिहेबिलिटेशन के सम्बन्ध में कितनी रकम सरकार के पास है, कितनी रकम सरकार को मिली है और कितनी खर्च हुई है; तो उस समय बतलाया गया था

Page No.44

[श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)]

कि करीब २ एक करोड़ २० लाख के भारत सरकार से मिले हैं और उसमें से ६० लाख रुपये खर्च हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रान्तों के आंकड़े देखने से ऐसा मालूम होता है कि कोई प्रान्त ऐसा नहीं है जिसने ६० लाख रुपये रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट की मद में बचा लिये हों। यह सरकार की नाकाबलियत है कि वह ६० लाख रुपये रिफ्यूजी प्रोब्लम को सोल्व करने में खर्च नहीं कर सकी और उस रकम को लेप्स करवा कर अगले साल के बजट में प्रोविजन करवा रही है। बम्बई, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, यू. पी. आदि किसी भी प्रान्त को उठा कर देख लिया जाय तो विदित होगा कि जितनी रकम भारत सरकार से उन्हें मिली है उसको इस ढंग से, इस प्रकार से रिहेबिलिटेशन के प्रोब्लम को सोल्व करने में उन्होंने खर्च किया कि जिससे यह मालूम पड़ता है वे इस विषय में काफी इन्ट्रेस्ट लेती हैं; और इन्ट्रेस्ट ही नहीं लेती हैं, बल्कि भारत सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि जो प्रोविजन उनके लिये रखा गया है वह नाकाफी है प्रोब्लेम को सोल्व करने के लिये तथा और ज्यादा रुपयों की आवश्यकता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने उस चीज में भारत सरकार के समक्ष आयन्दा बजट में पैसे बढ़वाने की मांग न रख कर यह बताया कि ६० लाख रुपया डिस्प्लेस्ड पर्सन्स पर खर्च नहीं कर सकी, उनके रिलीफ के कामों के लिये खर्च नहीं कर सकी रुपया लेप्स हो गया और आयन्दा बजट में रख दिया गया है। शरणार्थियों की हालत बड़ी दर्दनाक हो गई है। भारतवर्ष में बम्बई के बाद राजस्थान ही दूसरा प्रान्त है जिसमें सबसे ज्यादा शरणार्थी आये हैं। बम्बई प्राविन्स ने एक कमेटी नियुक्त की है कि वह कमेटी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करने वाली है कि बम्बई सरकार द्वारा उसमें आये हुए शरणार्थियों की समस्याएं किस प्रकार हल की जा सकी हैं। बम्बई सरकार ने भी, उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करके अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को एक कमेटी नियुक्त की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, यह एक ऐसा प्रोब्लम है कि मैं चाहूंगा कि ५ मिनिट का समय मुझे ज्यादा दिया जाय, और कोई विषय पर न बोल कर मैं खत्म कर दूंगा।

चेयरमेन (श्री हिम्मत सिंह)--आपको केवल दो मिनिट और दिये जाते हैं।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--२ मिनिट से ज्यादा में खत्म होगा, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि राजस्थान सरकार शरणार्थियों की समस्याओं को ठीक प्रकार से नहीं सुलझा सकी है। जयपुर शहर में हाउसिंग कमेटी के अन्तर्गत कुछ योजनायें बनाई गई हैं। उन योजनाओं के अन्तर्गत जो जगह, मकान व दूकानें बनाई गई हैं उनकी हालत जाकर देखेंगे तो सरकार को मालूम होगा कि सिवाय लोन्स के गवर्नमेन्ट की तरफ से और कोई फैसिलिटीज (Facilities) नहीं दी गई। न वहां पानी की व्यवस्था है और न बिजली की; बल्कि सरकार अब इन शरणार्थियों से लेवलिंग चार्जेज् तक वसूल कर रही है।

[श्री भैंरूसिंह (वि. स. १६)]

यदि आप फतह टीबा कोलोनी को जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से उन लोगों ने खर्च करके गड्ढे को मिटा कर अपने मकान बनाये हैं। यदि देखा जाए तो डेवलपमेन्ट चार्जेज सरकार द्वारा उल्टा शरणार्थियों को देना चाहिये था लेकिन सरकार आज उनसे डेवलपमेन्ट चार्जेज लेने का हक रखती है। समझ में नहीं आता, यह क्यों? वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार के गड्ढों को ठीक करके जमीन को डेवलप करने वालों को मदद सरकार की तरफ से मिलनी चाहिये थी लेकिन आज सरकार उन्हें मदद देने के बजाय उल्टा उनसे चार्जेज लेने को तैयार है। वहां पर न तो स्कूलें हैं, न कोई पुलिस का प्रबन्ध है, न कोई औषधालय का प्रबन्ध, न लाईब्रेरी है और न कोई रीडिंग रूम है। यदि कोई मरीज अपना इलाज कराना चाहे तो उसको होस्पिटल आना पड़ता है। मगर दुर्भाग्यवश वहां पर कोई तांगा, साइकिल व दूसरी सवारी नहीं मिल सकती और इसके अलावा सड़क भी इतनी खराब है कि यदि कोई मरीज ज्यादा बीमार हो और वहां से तांगे में बैठ कर होस्पिटल जाए तो सड़क के खड्डों के कारण उसकी जान जाने का भी खतरा रहता है। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं।

अभी रिहेबिलिटेशन मन्त्री ने फरमाया था कि लोन उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं जिनसे वापिस लेने की उम्मीद हो। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के सर्क्युलर की ओर दिलाना चाहता हूं और यदि आप मुझे समय दें तो मैं उसको पढ़ कर सुना दूं यदि समय नहीं दें तो सिर्फ यही कहूंगा कि इस सर्क्युलर के द्वारा यह कहा गया है कि प्रान्तीय सरकार को चाहिये कि लोन देते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वे आसानी से वापिस रिअलाइज किये जा सकें। शरणार्थी लोग सिन्ध और पाकिस्तान में अपना सारा माल छोड़ कर आये और यदि उन आदमियों को आप बिल्कुल ही रोजगार या लोन न दें तो उनकी क्या हालात होगी? और यदि आप उनको लोन देंगे तो क्या आप उनसे यह आशा कर सकते हैं कि वे ठीक समय में और ठीक ढंग से जैसा आप चाहें, उसे चुका सकेंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप बड़े बड़े सेठों और जागीरदारों को भी लोन देंगे तो आपको मालूम होगा कि वे भी जब ठीक समय पर और ठीक ढंग से उसे अदा नहीं कर सकते हैं तो फिर शरणार्थियों से यह आशा करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। अतः यदि ६० लाख रुपये इस प्रकार वापिस लेप्स नहीं हो कर शरणार्थियों को मकान बनाने के लिये दिये जाते या किसी रोजगार के लिये उनके लिये खर्च किये जाते, जिसका कि सरकार की तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं है, तो वाजिब था। यदि सरकार इनके लिये तमाम सुविधाओं को दिलाने का प्रबन्ध करती तो हम यह कह सकते थे कि सरकार ने राजस्थान में शरणार्थियों की समस्या को हल किया। लेकिन मौजूदा समय में राजस्थान के शरणार्थियों की समस्या को हल करने में सरकार बिल्कुल नाकामयाब साबित हुई है। यह सदन के सदस्यों व सरकार के लिये कोई शोभा की चीज नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे इस पर काफी कहना था लेकिन समय न होने के कारण इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय चेयरमेन, बजट पर गत दो दिन से बहस चल रही है। मैं भी इस पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। सदन के मेरे कई साथियों ने इस बजट पर अपने

[श्री कंवरलाल जेठिया]
विचार प्रकट करते हुए यह कहा कि इसमें जन-कल्याण के कार्यों के लिये सरकार की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं कई तरह की दलीलें देने के बाद यह बतलाऊंगा कि इस जन-प्रिय सरकार ने जनकल्याणकारी कई कार्यों में रकम खर्च करने के लिये इस बजट में मदें रखी हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता इस बात की है कि गत वर्ष का बजट घाटे का था और इस वर्ष का बजट सन्तुलित है। कहा यह जाता है कि गत वर्ष जब घाटे का बजट था और इस वर्ष राजस्थान की ऐसी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सन्तुलित बजट कैसे हो गया, यह सन्देह की बात है। लेकिन इसमें सन्देह की कोई बात नहीं क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है वह सब दृष्टिकोण से सोच समझ कर पेश किया है। अब मैं बजट पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। बजट बनाते समय खास तौर से दो बातों का ध्यान रखा गया है:—

(१) पंच वर्षीय योजना की ओर, तथा

(२) फाइनेन्शियल कमेटी की सिफारिशों की ओर। इसमें जो भी मदें रखी गई हैं वे पंच वर्षीय योजना के आधार पर रखी गई हैं। इसमें कृषि, ग्राम-सुधार, यातायात के साधन आदि पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि देशी राज्यों के समय में जन-कल्याण के कामों पर इससे ज्यादा खर्च हुआ हो। मेरे एक साथी जब बजट पर बोल रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि भरतपुर में जन-कल्याण के कार्यों पर सरकार ने क्या खर्च किया है? मैं यह कहूंगा कि अभी भी देशी राज्यों की सडकों की हालत बहुत खराब है यह हमें भूतपूर्व राजतन्त्र की एक विरासत स्वरूप मिली है, इसमें विकास करने में समय लगेगा, एक दम सारे राजस्थान के यातायात के साधनों को ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिये हमें सोचना होगा और कम से कम जितने हमारे पास साधन होंगे उतना ही काम होगा। यातायात के साधनों का, जहां तक प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि पंच वर्षीय योजना में इस पर खास तौर से ध्यान दिया गया है। हम मानते हैं कि राजस्थान में यातायात की कमी होने से राजस्थान के व्यापार में जो वृद्धि होनी चाहिये थी वह न होकर काफी कम स्थिति में है और जब तक यातायात के साधन ठीक नहीं होंगे हमारी व्यापारिक स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा हमारी सरकार ने कृषि सुधार की ओर ध्यान दिया है। इसके लिये यहां पर सिंचाई की योजना के लिये खास तौर से ध्यान दिया है। जहां तक भाकरा व चम्बल बान्ध की योजना का प्रश्न है यदि यह योजना सफल हुई तो हमारे यहां राजस्थान में भूमि उपजाऊ बनाई जा सकेगी और लाखों बीघा भूमि की सिंचाई हो सकेगी और हम यह मानते हैं कि हमें हर साल अकाल का जो मुकाबला करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा और ५ साल के बाद यह स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इससे हमारे कृषकों की आर्थिक हालत भी सुधर जायगी और राजस्थान की यह शिकायत कि राजस्थान में हर साल अकाल पड़ता है, समाप्त हो जाएगी और हमें राजस्थान का काफी हिस्सा सरसब्ज नजर आयगा। अब तक हमारा दृष्टिकोण आलोचना की दृष्टिकोण का बना हुआ है लेकिन जब जिम्मेवारी हमारे पर आकर पड़ती है उस समय बहुत सी मुश्किलातें हमारे सामने आती हैं। इसलिये मैं यह

[श्री कंवरलाल जेलिया]
कहूंगा कि यदि पंच वर्षीय योजना को हमने जन-कल्याणकारी योजना समझा और सरकार को कार्य में मदद दी तो हमें इसमें सफलता मिलने वाली है।

जहां तक सरकार के आंकड़ों का प्रश्न है उनको मैं सही समझता हूं और जैसा कि मेरे मित्र आलोचना करने वाले कहते हैं, नहीं है। मैं अपने विधान सभा के सदस्यों से, जो मेरे मित्र हैं और जो लोकतन्त्र के दृष्टिकोण से सोचते हैं, कहूंगा कि मौजूदा सरकार की पंच वर्षीय जो योजना है उसको यदि जन-कल्याण की दृष्टि से देखें और सरकार को मदद दें तो सरकार को इसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। इसमें सन्देह नहीं कि जो राजस्थान के कर्मचारी-गण हैं, उनका दृष्टिकोण जन कल्याण की ओर न होकर सिर्फ शासकीय बना हुआ है। इस दृष्टिकोण को हमें बदलने में समय लगेगा और यह सब जनतन्त्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, हमें इनका ध्यान मनोवैज्ञानिक तरीकों से जन-कल्याण की ओर लगाना होगा, तभी हम सफल होंगे। आज की मौजूदा सरकार पब्लिक की चुनी हुई सरकार है। यदि हम सब लोगों ने इसके जन कल्याणकारी कार्यों के सम्बन्ध में ध्यान दिया तो हमारा कितना हित हो सकता है। हमारे सदन के साथियों ने बजट की काफी आलोचना की है और इस पर प्रकाश डाला है। यह तो जनतन्त्र का युग है। आप और हम सब यहां पर जनता के चुने हुए यहां आए हैं और हर तरह से हर बात की आलोचना करें और अपना असन्तोष प्रकट करें तो सदन में हलचल पैदा हो जाती है और लोग उनको लेकर तथ्यहीन नुक्ताचीनी करते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि बजट में जो जनकल्याण के कार्य हो रहे हैं, जैसे कृषि-सुधार, शिक्षा-सुधार आदि में सरकार वास्तव में कितना खर्च करती है और जो करती है वह वाजिब भी है या नहीं? यदि हम बजट में दिये हुए आंकड़ों को रखते हुए पिछले साल के आंकड़ों को मद्देनजर रखें तो हमें मानना पड़ेगा कि मौजूदा आंकड़े काफी सन्तोषजनक हैं।

पुलिस के खर्च के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि पुलिस पर बहुत अधिक रकम खर्च की गई है। मैं उन साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष मार्च के महीने में जब हम यहां एकत्रित हुए थे तो सदन में एक मत होकर यह कबूल किया गया था कि राजस्थान में कानून, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मौजूदा सरकार ने एक वर्ष में कानून और व्यवस्था पर काफी काबू पा लिया है और अब स्थिति राजस्थान में उतनी खराब नहीं है जितनी कि पहले थी। तो यह मानी हुई बात है कि शान्ति और सुव्यवस्था को बनाये रखने के लिये हमें खर्चा तो करना ही पड़ेगा। यदि शान्ति और व्यवस्था ठीक नहीं है तो कौन से ऐसे कारण हैं कि जिनसे इस खर्च में कमी करने की कोशिश करें।

हो सकता है कि किन्हीं राजनैतिक कारणों से और दूसरे कारणों से पुलिस की ओर से किन्हीं लोगों को परेशानी उठानी पड़ी हो। तो इसके लिये तो हमें सदा जागरुक रहना चाहिये कि इस तरह की बातें हों तो उनको सम्बन्धित अधिकारियों के नोटिस में लाते रहें।

दूसरी, शिक्षा के मद पर जो रकम रखी गई है उसके सम्बन्ध में आलोचना की गई है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि प्राइमरी शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान है। कई सदस्य जो इस

Page No.48

[कंवरलाल जेलिया]

बजट को पुराने राजाओं के बजट के साथ जोड़ कर, इसे दकियानूसी बजट बताते हैं, मैं कहता हूं कि पहले (राजाओं के शासन में) तो बजट किसी को आंखों से भी नहीं दिखाये जाते थे। जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का सवाल है, इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये जो रकम इसमें रखी गई है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये और इस कार्य के लिये और रकम रखनी चाहिये। जब कि हमें भारत सरकार की ओर से इस कार्य के लिये ६ लाख रुपये की सहायता मिलती है तो कम से कम उतनी ही रकम राजस्थान सरकार की ओर से इस कार्य के लिये दी जानी चाहिये जिससे कि राजस्थान की बैकवर्ड क्लासेज़ जातियां आगे बढ़ सकें।

अकाल सहायता की ओर राजस्थान सरकार ने, जितना संतोषजनक कार्य होना चाहिये था वह किया है।

सरकार ने पहले कहा था कि वह सहकारी बैंक खोलेगी और इस वर्ष भी माननीय मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में सहकारी शीर्ष बैंक की ओर प्रकाश डाला है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सहकारिता के लिये कोरे भाषणों से काम नहीं चलेगा, हम काश्तकारों को सक्रिय मदद देंगे तभी हमारा प्रान्त आगे बढ़ेगा।

नये अस्पतालों और आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में कहा गया है कि वे नये नहीं खोले जा सकेंगे। परन्तु मेरी मान्यता है कि यह काम बहुत ही आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिये। इस संबंध के गत वर्ष के आंकड़ों को देखा जावे तो पता चलेगा कि इस कार्य में गत वर्ष से कोई प्रगति नहीं की गई है।

इन सब बातों को देखते हुए मैं देखता हूं कि राजस्थान सरकार का बजट संतोष का बजट कहा जा सकता है और वह असंतोष का नहीं कहा जा सकता। एक दम तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। यदि हम योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ेंगे तो आगे प्रगति कर सकते हैं। केवल आलोचना करने मात्र से काम नहीं चलता। सही माने में निष्ठा से कार्य करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम केवल आलोचना करते रहें और सरकार काम करती रहे, ऐसी आलोचना से कोई काम नहीं चल सकता।

अंत में ग्रामोद्योगों के संबंध में कुछ बातें अर्ज करूंगा। इस ओर राजस्थान सरकार का ध्यान कम है। ग्रामोद्योगों की ओर सरकार को खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह उक्त कार्य में कम्बल बनाने के कारखाने कायम करने की ओर ध्यान दिलाया गया उसी तरह चमड़े के कारखाने और आंवल-छाल की ओर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा छोटे-मोटे घरेलू धंधों को सरकार खोलेगी और उन्हें प्रोत्साहन देगी तो इससे हम लोगों को राहत मिलेगी। यह मानी हुई बात है कि पंच-वर्षीय योजना से हम लोगों को राहत मिलेगी, परन्तु यदि आप घरेलू धन्धे खोल कर आम लोगों को राहत नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा और असंतोष भी दूर नहीं होगा। अगर असंतोष को दूर करना है तो हमें उद्योग-धंधों की ओर ध्यान देना होगा।

महाराज श्री केसरीसिंह (कापरेन)--माननीय अध्यक्ष, सरकारी पक्ष की ओर से बजट के बारे में काफी स्पीचेज़ हो चुकी हैं। विचार यह करना है कि बजट कार्य रूप में परिणित हो जायगा, भली

[महाराज श्री केसरीसिंह]

भांति उसका उपयोग होगा, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी रुपया फिजूल खर्च नहीं करेंगे और वह रुपया दूसरों की जेबों में नहीं जायगा ; तभी जनता इस बजट का फायदा उठा सकेगी।

सरकार ने यह संतुलित बजट पेश किया है और वह गुजिश्ता साल से अच्छा है, पर सरकार को बचत बतानी चाहिये। We must save for any emergency.

इसके बिना सरकार को हमेशा दूसरों की ओर देखना पड़ता है, कर्ज मांगना पडता है। अगर हर साल हम कुछ न कुछ बचत करें तो अकाल के समय हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं, और उस समय हमें दूसरों का मुंह ताकने की, दूसरों से सहायता की उम्मीद की जरूरत नहीं रहती।

राजस्व विभाग को ही लीजिए, इसमें ४ करोड २५ लाख की आय बताई गई है। हम कहां तक आशा कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार यह ४ करोड़ २५ लाख रुपया वसूल कर सकेगी जब कि इसकी मशीनरी इतनी ढीली और गैरजिम्मेवाराना ढंग से काम करती है और किसी के कुछ बहकाने पर वसूली नहीं करती और कलेक्टर केवल सड़कों पर घूमकर भत्ता पका लेते हैं, बराबर देहात में दौरा नहीं करते। क्या इसी तरह सरकार ४ करोड़ २५ लाख रुपया वसूल कर लेगी ?

सरकार ने अपने कर्मचरियों के तबादलों के बारे में जो रवैया अख्तियार कर रखा है यह बहुत ही शोचनीय है। इससे किसी कर्मचारी को कोई तसल्ली नहीं है कि उसे कहीं कितने दिन ठहरना पड़ेगा। ऐसी अनिश्चित सूरत में वह काम में दिलचस्पी नहीं लेता। इस तरह सरकार की वसूली पिछड़ जाती है और सरकार डेफिसिट में चली जाती है।

सरकार के जागीर रिजम्पशन के कानून हो जाने के कारण से ५० लाख रुपयों की बेशी आय होगी। पर पटवारियों की लिस्ट देखते हैं तो वह गुजिश्ता साल में ५५१२ थे और इस साल ५५९४ पटवारी हैं। गुजिश्ता साल से ८२ पटवारी इस साल ज्यादा हैं। तो क्या सरकार इन ८२ पटवारियों से ५० लाख रुपया वसूल कर सकती है ? अगर इन पटवारियों से सरकार ५० लाख रुपया वसूल कर सकती है तो मेरे खयाल से ४ करोड २५ लाख रुपया भी वह बहुत कम पटवारियों से वसूल कर सकती है और अगर इस स्केल से वसूली हो तो सरकार को पटवारियों की संख्या कम कर देनी चहिये; इससे सरकार को बचत होगी और बजट बचत का हो जायगा।

इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि ४ करोड़ २५ लाख रुपया सरकार वसूल करना नहीं चाहती। यह ढोंग बताया गया है कि वह ५० लाख रुपया सिवाय वसूल करना चाहती है।

फोर्मर राजस्थान की जागीरों से जो परसेन्टेज वसूल किया जाता था और जिससे लगभग १० लाख रुपया वसूल होता है उस समय में जागीरदारों को यह आश्वासन दिलाया गया था कि वसूली खर्चे के अतिरिक्त जो खर्चा लिया जायगा वह उन जागीर के गांवों में जनहित के लिये लगाया जायगा। मेरी समझ में नहीं आया कि उन रुपयों से किन किन गांवों की जनता को फायदा पहुंचाया गया। रुपया

[महाराज श्री केसरीसिंह]

जागीरदारों से तो अवश्य लिया गया लेकिन जनता तक नहीं पहुंच सका और बीच ही में हजम कर लिया गया, यह अफसोस की बात है ।

काश्तकारों के तकावी के लिये रकम रखी जाती है लेकिन वह तकावी काश्तकारों को न दी जाकर बड़े बड़े फार्म वालों को दी जाती है। बीज के लिये गुजिश्ता साल में भी मंत्री महोदय को लिखा था और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि बीज भेज दिया गया है और कलेक्टर को इस बारे में आगाह कर दिया गया है। मैं खुद वहां गया और बीज की तलाश की तो पता चला कि तहसीलों में बीज कतई नहीं पहुंचा है और काश्तकारों को कुछ नहीं दिया गया है। यदि किसान पटवारियों के पास पहुचते तो वे चिट्ठी काट देते कि फलां जगह से फलां आदमी से बीज ले आवो पर वहां कहां बीज पड़ा था जो वे बीज ले जाते। राजस्व मंत्रीजी ने कहा था कि ३ हजार मन गल्ला बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिये दिया गया है पर ३ हजार मन तो दूर रहा ३ मन भी गल्ला वहां नहीं पहुंचा।

पुलिस पर बहुतसी रकम सरकार खर्च कर रही है। और जगहों पर शायद पुलिस ने कुछ काम किया हो पर हमारे यहां तो पहले धाड़े का नाम तक लोग नहीं जानते, वहां अब बहुत धाड़े पड़ा करते हैं। ये धाड़े तो जनता को दुखी करते हैं यहां तक कि औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ते। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो भी कुछ नहीं कर पाते धाड़ती आराम से निकल जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं चला कि धाड़ती किधर से और कैसे निकल गये। यदि कहीं पुलिस वाले धाड़ेतियों को देख लेते हैं तो झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और आंखें मूंद लेते हैं।

अब सिविल वर्क्स को देखिये। इस मद में बहुत सी रकम रखी गई है। लेकिन इस विभाग का काम बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से चलता है। कोई सड़क बनती है तो ६ महीने के बाद टूट जाती है। जहां पर सड़क का बनना जरूरी है वहां कोई सड़क नहीं बनाई जाती है और जहां जरूरी नहीं है और उसके लिये किसी का पक्ष है तो वहां सड़क बन जाती है। लाखेरी को देखिये। It is one of its kind लेकिन यहां कोई पक्की सड़क नहीं है। यहां अगर पक्की सड़क बना दी जावे तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। यहां जो सीमेन्ट फैक्ट्री है उसकी काफी रोयल्टी की आय सरकार को होती है। इस स्थान को कलेक्टर के हेड क्वार्टर से और तहसील हेड क्वार्टर से मिलाना जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। मेरे खयाल से यह बजट एक ढोंग है। यह मृग तृष्णा के समान है जिसे सदन के मेम्बर समझ नहीं सके हैं। जिस तरह से मृग पानी की आशा में भटकता फिरता है और मर जाता है उसी तरह से इस सदन के सदस्य बहुत कुछ चिल्लाते हैं पर उनको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। यह बजट बहुत खराब है और जनता को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इससे किसी को फायदा नहीं होगा, सिवाय उनके जो कि बीच में रुपया हड़प कर जाते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के विषय में मैं ५-७ दिन से लगातार बजट के वरके इधर उधर पलट रहा हूं किन्तु देखता हूं कि कहीं गंगानगर जिले का इसमें नाम भी नहीं आया, सिवाय दो तीन जगह के। सन् ४८-४९ में बीकानेर गवर्नमेन्ट ने जो रकम मंजूर की थी उसी का

[श्री गुरूदयालसिंह संधु]

नाम इसमें आया है। उधर बैठने वाले लीडर ऑफ आॅपोजीशन ने एक सड़क का सवाल उठाया था और मेरा भी जिक्र किया था। वे शायद भूल गये होंगे कि जिस समय वे बीकानेर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय सन् ४८-४९ में उन्होंने उस सड़क के बारे में बीकानेर गवर्नमेन्ट की मंजूरी दिलाई थी, उसी का नाम इस बजट में आया है। वह काम तो ३१ मार्च सन् ५० तक पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन बार बार उसे बजट में दोहराया जा रहा है। पिछले साल के बजट में भी इसे दोहराया गया था और इस साल भी दोहराया गया है। वह सड़क पिछले साल ६ मील तक बनी थी जो टूट चुकी है और आगे की १८ मील शायद १०, २० या ४० साल में नहीं बन सकेगी। इसी तरह और सड़कों का भी जिक्र आता है। यदि मिलिटरी पॉइन्ट ऑफ व्यू (Military point of view) से इनकी जरूरत नहीं होती तो शायद सरकार इसका भी जिक्र नहीं करती। इसकी रकम भी पिछले साल की बकाया रकम है।

कई सज्जन कहते हैं कि गंगानगर में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया है जिसमें बहुत खर्चा लगेगा। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि बीकानेर सरकार, पंजाब सरकार और भारत सरकार से मिलकर इस स्कीम को मंजूर नहीं कराती तो इसका कोई जिक्र नहीं होता। यदि बीकानेर सरकार १९ लाख एकड़ जमीन के लिये पानी लाना मंजूर न करा लेती तो शायद यह रकम भी आज बजट में देखने को नहीं मिलती। बीकानेर सरकार ने १९ लाख एकड़ जमीन के लिए मंजूरी ली थी, आज केवल ११ लाख एकड़ हो रह गई है। जो रकम की मंजूरी दी गई है वह भी हर साल लेप्स हो जाती है। इस इलाके का जिक्र दो-तीन स्थान पर लिखना राजस्थान सरकार की मजबूरी थी, वरना इसका जिक्र नहीं आता।

अब मैं वहां की हालत के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि गंगानगर राजस्थान से कटा हुआ इलाका है। वहां रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट हमारे लिए खास तवज्जह नहीं देता। बीकानेर सरकार ने एक एसेसमेन्ट (assessment) कराया था। यह एसेसमेन्ट सन् ४७ में प्रारम्भ हुआ और जितनी रकम एसेसमेन्ट से सन् ४७ में आ जानी थी वह आज तक नहीं लगी। उसका मतलब आज तक राजस्थान सरकार का एसेसमेन्ट डिपार्टमेन्ट नहीं समझ सका है। गंगानगर में बागों पर ढाई रुपया फी बीघा लिया जाना था।

तो आप देखेंगे कि जहां प्रिवी पर्स के बाग हैं वहां ढाई रुपया लागू है, जहां सरकारी बाग हैं वहां २॥ रुपया लागू है और जहां जहां प्राइवेट बाग हैं वहां कहीं कहीं ५) रुपया और कहीं कहीं ३॥) रुपया मामला लगता है। कलेक्टर साफ तौर पर यह भी नहीं समझते हैं कि एसेसमेन्ट किस तरह लगाई जाती है। बीकानेर सरकार के वक्त में जो परची मतलब दी जाती थी उससे लाखों रुपयों का फायदा होता था सरकार को और किसानों को भी। परची मतालब एक दफा भी नहीं दी गई। कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि कहीं कमाद काश्त है और कमाद भी दर्ज है और चारा भी लगा हुआ है। दूसरी जगह आप देखेंगे तो आपको चराई लिखी हुई मिलेगी। इससे जहां गरीबों को नुकसान हो रहा है तो वहां अमीरों को इससे फायदा हो रहा है और सरकार को काफी और लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

Page No.52

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

मैं पुलिस के मामले में भी कह देना चाहता हूं। पुलिस के लिये कहा गया कि राजस्थान में काफी किया गया है। मैं आपको कहूंगा कि गंगानगर में पहले से ज्यादा चोरियां हो रही हैं, पहले से ज्यादा डकैतियां हो रही हैं। पहले कभी इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां, और इतने मर्डर नहीं होते थे, जितने कि आज हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी चोरियां होती हैं वे आज पुलिस अफसरों की मार्फत होती हैं. पुलिस अफसरों का उनमें हिस्सा होता है, और गरीब लोगों पर इल्जाम डाल दिये जाते हैं और उनका चालान कर दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोगों को सजायें हुई हैं और उसका नतीजा यह है कि बहुत से हरिजन, हजार दो हजार नहीं कहूंगा किन्तु इससे ज्यादा हरिजन, पाकिस्तान में जा बसे और वे वहां से चिट्ठियां लिखते हैं कि हम पाकिस्तान में हिन्दुस्तान से सुखी हैं। वे इसलिये गए कि पुलिस जो चोरियां करवाती थीं वह उन लोगों पर, उन गरीब लोगों पर डाल दी जाती थीं और उनका चालान करवा दिया जाता था। असली जो चोरी करते हैं उनको कोई पकड़ने वाला नहीं।

(घंटी)

कितना समय और दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनिट और।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं यह भी अर्ज कर दूं कि गंगानगर में जो शरणार्थी विभाग है उसकी क्या हालत है। मैं, जैसा कि कहा करता हूं कि यदि सबसे ज्यादा कोई करप्ट विभाग है तो वह शरणार्थी विभाग है। मैंने कई दफा कहा था कि वहां का जो आर० ओ० है और जिन्हें गंगानगर का तहसीलदार भी बना दिया गया है उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय। अगर आप जांच करें तो आपको पता चलेगा कि कितना करप्शन वहां फैला हुआ है। पांच लाख रुपया कलकत्ते की जूट मिल में इनवेस्ट किया है उनके लड़के ने। कई एजेन्सियों में उसके लड़के का हिस्सा है। ट्रैक्टरों की एजेन्सी उसके लड़के के पास है। उसका काफी कारोबार चल रहा है। सारे राजस्थान में उसका कारोबार चल रहा है। इस प्रकार उसने लाखों रुपया शरणार्थी विभाग से कमाया। शरणार्थी विभाग में ज्यादातर ऐसे आदमी हैं। मुझे अफसोस होता है जब मैं यह कहता हूं कि जैसलमेर के लोगों को तो वहां आबाद कर दिया जाता है और जो लोग वहां रह रहे हैं उन्हें वहां आबाद नहीं किया जाता है। पंजाब से जो शरणार्थी आए और जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया द्वारा वहां भेजे गए और जिनके नाम पंजाब में जमीनें अलाट की गई थीं उन्होंने उन जमीनों को केन्सिल करवाया और वे उसी खयाल से वहां आए कि वे वहां जाकर आबाद हो जाएं, किन्तु सर्टिफिकेट लेकर आने पर भी उन लोगों को जमीनें नहीं दी गईं और जमीनें दी गई तो इसलिये केन्सल की जा रही हैं कि यह विभाग ऐसे मंत्री के पास है जो उन पंजाबियों को नफरत की दृष्टि से देखते हैं। वे नफरत की दृष्टि से देखते ही नहीं, वे यह भी चाहते हैं कि उनको ये जमीनें नहीं दी जांय, चाहे जैसलमेर वालों को वहां पर बसा दे। मेरे पास ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि इन जमीनों पर उन (जैसलमेर से आने वालों) को बसाया जा रहा है। मैं यह चेलेन्ज के रूप में कहना चाहता हूं कि ६० परसेन्ट से ज्यादा एक वर्ग के लोग मिल जांय तो आप मेरे इस चेलेन्ज को स्वीकार करें और अगर पचास या इससे कम पर्सेन्ट दूसरे वर्ग के लोग आपको मिलेंगे तो गलत।

[श्री गुरुदयालसिंह सन्धु]

यहां पर जो सोशियल वर्कस बनाए गए हैं उनकी भी मिसाल देख लीजिएगा। एक सोशियल वर्कर है, उसके पास ४० एफ में जमीन है, उसके पास ४ एफ की जमीन है। सांगरिया में उसका मकान है और गंगानगर के अन्दर उसके मकान हैं। मुझे अफसोस होता है कि हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी जो एम्बेसेडर रह चुका है उसको बीस मुरब्बा जमीन अलाट की गई। वह और उसका परिवार पाकिस्तान में नहीं गया। उस एम्बेसेडर के पास ६-७ मुरब्बा जो पहले जमीन थी वह आज भी है। तो में कहूंगा कि जितनी भी सारी जमीन है उसकी जांच करवाई जानी चाहिये, भले ही सरकार इस बात को गलत कह सकती है किन्तु यह बात तो जांच करवाने के बाद ही मालूम हो सकती है।

में रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट के मुतल्लिक भी कुछ अर्ज करूंगा। मं देखता हूं कि दो लाख एकड़ के करीब नहरी इलाके में जमीन पड़ी हुई है, उसके अलोटमेन्ट के लिये क्या हो रहा है? जब राजाओं का जमाना था और जब उनकी सरकारें थीं और जिनको खत्म करना चाहते थे, उनके जमाने में भी ये जमीनें अप्रेल और मई में अलोट कर दी जाती थीं किन्तु आज यह हालत है कि ये जमीनें अप्रेल और मई में तो अलोट होना दूर रहा आज जमीनें सेप्टेम्बर और अक्टूबर में जाकर अलाट हुई हैं, जब कि फसलें काटने का समय होता है। दो लाख एकड़ जो जमीन पड़ी हुई है वह किसके अधिकार में है? आपको रिपोर्ट से पता चलेगा कि हजारों बीघा जमीन सरकारी कर्मचारी, तहसील के जो कर्मचारी हैं उनके कब्जे में है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर सरकारी अधिकारियों का कब्जा है। सरकारी कर्मचारी पैसा बना रहे हैं। शिकायतें करने पर चाहे हमारे प्रधान (मुख्य) मंत्री उन्हें जैसलमेर में भेज दें किन्तु इन जमीनों की तकसीमी के वक्त से फिर से रायसिंहनगर या हनुमानगढ़ पहुंच जाते हैं।

इसके बाद में जो यह टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसके बारे में कहना चाहूंगा। मैंने इस असेम्बली में भी इसके बारे में प्रश्न पूछा था। मुझे खतरा नजर आ रहा है कि गंगानगर जिले में कत्ल होंगे, फिसाद होंगे, लड़ाइयां होंगी और यह सब इसलिये होगा कि काश्तकारों की जमीनों की कर्मचारियों द्वारा निजाअज गिरदावरी नहीं की गई अगर आप ४० और ४१ के आंकड़े लें तो आपको पता चलेगा कि दस फी सदी जमीन tenants के पास रह गई है। इसलिये इस इलाके में इस टिनेन्सी एक्ट से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)— अध्यक्ष महोदय, इस आगामी साल के राजस्थान स्टेट के बजट, कल्याण कारी बजट, के लिये में दो शब्द कहना चाहता हूं।

यह कल्याणकारी बजट कितना कल्याणकारी है, यह देखने की जरूरत है। पहले तो जब डेमोक्रेसी राजस्थान में शुरू हुई उस वक्त ऐसा कहा गया था कि रामराज्य हो जावेगा। रामराज्य भी होगया औरइसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज हुआ और इसके बाद अब हमारा कल्याणकारी राज होरहा है।

अब देखना यह है कि कितना कल्याण हमारा यहां होने वाला है इस बजट से।

इसमें जितनी आमदनी बताई है उतना ही खर्चा बताया है।

वास्तव में जो कठिनाइयां हैं और जिनमें से होकर हम गुजर रहे थे, डेढ़ करोड़ रुपया केन्द्र से कर्जा

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

लेकर उन कठिनाइयों से एक बार के लिये तो हम पार होगये पर आगामी साल के लिए वे ही कठिनाइयां फिर नई आवेंगी अथवा हमारा यह बजट जो है उसी से काम चल जावेगा, ऐसी आशा नहीं है। सप्लीमेन्टरी ग्रान्टें भी हमें फिर देनी पड़ सकती हैं।

लेकिन फिर भी जो कुछ इस बजट में प्रोवाइड किया गया है उस पर नजर डालनी जरूरी है कि कितना कल्याण हमारा यहां होने वाला है, इस बजट से।

यह मानी हुई बात है कि 'पहला सुख निरोगी काया'। जिस देश के आदमियों की तन्दुरुस्ती ठीक होती है वही स्टेट कुछ उन्नति कर सकती है और उसी को कल्याणकारी स्टेट मानते हैं। इसके लिए मुझे अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ेगा कि इसका कोई विचार इस बजट में नहीं है। तन्दुरुस्ती कैसे रह सकती है? इसके लिए पहले जलवायु और खाने पीने का उचित साधन होना चाहिये। जलवायु तो ईश्वर जैसी जिस जगह देता है वैसी वहां मिलेगी, पर खाने पीने का कुछ प्रबन्ध तो इस कल्याणकारी स्टेट में किया ही जाना चाहिये। पर खेद है कि बजट में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। देखा यह जा रहा है कि कन्ट्रोल की दुकानों पर केवल गल्ला ही नहीं मिलता अपितु धूल भी खाने को मिलती है और दुकानों पर आम तौर पर देखा जाता है कि एडल्टरेशन इतना होता है कि असली चीज दुर्लभ हो गयी है। दूध ले लीजिये, घी ले लीजिये, शक्कर ले लीजिये, कोई भी खाद्योपयोगी वस्तु ले लीजिये सब इतनी खराब मिलती है जिसका कि कुछ ठिकाना नहीं। ऐसी हालत में कायम रहे तो कैसे? किसी भी प्रकार इन मिलावटी चीजों से मनुष्य की तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रह सकती।

अच्छा होता कि जैसा पहले कहा जाता था कि दूध, दही और घी की नदियां बहेंगी हमारे राजस्थान में; लेकिन जिसके जरिये से यह दूध, दही और घी की नदियां बहती हैं उस गोधन की रक्षा और उन्नति के लिये भी कोई प्रोविजन इस बजट में देखने को मिलता। पर इस गौ की उन्नति के लिए, उसकी सेवा के लिए इस कल्याणकारी बजट में कुछ भी नहीं रखा गया। हां, एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में (एनिमल हस्बेन्डरी) का अंग जरूर है लेकिन यह भी नाम मात्र ही है।

यह तो सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान की समृद्धि, इस देश और प्रदेश की समृद्धि, जो पूर्व जमाने में थी वह सिर्फ गौ सेवा के ऊपर ही आश्रित थी। गौ कामधेनु है और गौ ही से हमारे देश और प्रदेश को हम फिर समृद्धि शाली बना सकते हैं, लेकिन अफसोस है कि इस तरफ किसी का कतई ध्यान नहीं है। वरन् देखा यह जा रहा है कि बीकानेर और मारवाड़ डिविजन में, जो कि गौ का खास क्षेत्र है उसकी उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। और इस कहतसाली के जमाने में वहां एक-एक रुपया और आठ-आठ आने में गायें बिक रही हैं! इसी से विचार कर सकते हैं कि इनकी उन्नति के लिये यह स्टेट कितनी प्रयत्नशील है। शहरों में देखिये आप कि किस किस्म का दूध, दही लोगों को मिल रहा है। बुड्ढे जो समय देख चुके हैं उनकी बात छोड़ दीजिये पर हमारी जो ग्रोइंग जेनरेशन (growing generation) है उसको दूध-दही शुद्ध मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है, न इस दिशा में कोई प्रयत्न ही है। अगर इन बच्चों के लिए शुद्ध दूध मुहइया करने का काम भी यह स्टेट करती तो भी मालूम होता कि किसी कल्याणकारी कार्य के लिए वह आगे बढ़ रही है।

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

इनके माता-पिताओं के पास तो इतना द्रव्य नहीं है कि ये अपना भी इन्तजाम कर सकें। और खास करके शहरों में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से घर म गाय रख कर अपने बच्चों आदि के लिये दूध दही का इन्तजाम कर सके।

दूसरा स्टेप तन्दरुस्ती को बढाने के लिए मेडिसिन्स का है। यहां जो मेडिकल विभाग है, जिसके ऊपर जो १ करोड़ १६ लाख के करीब रकम खर्च की जावेगी, उसका क्या होगा? क्या यह रकम उपयोग में आवेगी या वेस्ट जावेगी, इसका भी अन्दाज करने की जरूरत है।

जहां तक मेरा खयाल है शायद गलती तो मैंने नहीं की है जानने में पर, करीब २ ७५ लाख रुपये के करीब की रकम तो खाली वेतन ही वेतन में चली जावेगी और शायद १०-१५ लाख की दवाइयां वितरित की जावेंगी। यदि इतनी सी रकम दवाइयों के लिए काफी समझी जावे तो निस्सन्देह यही कहना पड़ेगा कि दर असल हमारी स्टेट ने कल्याणकारी कार्य के लिए कदम अवश्य उठाया है। पर अफसोस है कि यह आटे में नमक के बराबर जो रकम दवाइयों के लिए खर्च की जावेगी वह भी बेकार जावेगी।

देखा क्या जाता है कि अस्पताल में या तो दवाइयां हैं ही नहीं या वहां के डाक्टर लोग झूठ बोलते हैं अथवा वहां की दवाइयां और तरह से बेची जा रही हैं क्योंकि बीमार जो वहां दवाइयां लेने जाते हैं उन्हें जवाब दे देते हैं कि हमारे पास दवाइयां नहीं हैं। मैं एक उदाहरण मामूली सा देता हूं एक साहब ओइंटमेन्ट लेने के लिए अस्पताल में गये तो कम्पाउन्डर ने जवाब यह दिया कि आप बाजार से ग्लिसरीन ले आइये, मैं खड़े दवाई बना दूंगा। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शफाखानों में क्या होता है? यहां तक ही नहीं तीन तीन रोज तक टूटे हुए पैर का मरीज अस्पताल का चक्कर लगाता है पर उसके पट्टियां नहीं बंधती। यह हालत हमारे मेडीकल विभाग की है!

फिर आप फरमाइये कि यह कल्याणकारी-कार्य क्या है और क्यों हम आशा करें कि वास्तव में यह बजट कल्याणकारी-कार्य के लिए ही तैयार किया गया है?

यों तो कहने को बहुत ही गुंजाइश है, पर समय का अभाव है तथा और भी मेम्बर बोलने को उत्सुक हैं इस लिए मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता।

इस कल्याणकारी राज्य में अब भी बेगार प्रथा प्रचलित है। हर किस्म की बेगार ली जा रही है। बेगार सिर्फ पुलिस डिपार्टमेन्ट ही नहीं हर डिपार्टमेन्ट में ली जाती है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मुलाजिम को ले लीजिये। मिनिस्टरों के यहां चपरासी तैनात हैं। वह चपरासी उनके घर का धन्धा करने के लिये है या राजकार्य के लिये चपरासी बनाया गया है? तो क्या यह बेगार नहीं है। यही नहीं, लेकिन गांवों में भी बेगार काफी ली जाती है। यह तो उदाहरण के रूप में बतला दिया है कि बेगार कहां तक ली जा रही है। बहुत दुख की बात है कि इस कल्याणकारी-राज्य में भी छोटे छोटे मुलाजिमों को बेगार देने के लिए बाध्य किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्दनमल वैद—आपने भी ली है।

श्री हिम्मतसिंह--(जारी) बहुत ली है।

हमें पता नहीं कि हाउस को क्यों अन्धकार में रक्खा जाता है? आबू का हमारे साथ मिलना अलग रहा; जहां तक पता चला है, हमारा कुछ भाग मध्यभारत के भी भेंट होने वाला है। यह कहां तक सत्य है, इस पर चीफ मिनिस्टर साहब प्रकाश डालेंगे? सुना जाता है कि डग पिडावा और भवानी गंज मन्डी का इलाका पूरा का पूरा मध्यभारत में मिलाये जाने की संभावना हो रही है। ऐसे क्वेश्चन मध्यभारत की असेम्बली में भी हुए हैं।

अब मैं थोड़े से शब्दों में समाप्त कर देना चाहता हूं। आम जनता कहती है कि मिनिस्टर साहब दौरे में आते हैं, उनसे बातचीत होती है और लोगों की रायें ली जाती हैं और उन्हें आश्वासन दिये जाते हैं। उनका यह कहना है कि आते हैं और कहते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे पर आज हमें सुनते हुए पांच साल हो गये कि यह हो रहा है वह हो रहा है; खाली सुनना ही सुनना है होता कुछ नहीं है।

तो ऐसी कल्याणकारी स्टेट से कल्याणकारी बजट बनाने की क्या संभावना है और जो बजट में रकम रक्खी गई है वह कल्याणकारी कार्यों के लिये ही खर्च होगी, इसकी भी क्या संभावना है। यह समझने की बात है।

कर भी इतने लगा दिये हैं कि गरीब अब यह बोझा ढो भी सकेंगे या नहीं। उनका खून चूसा जा चुका है। सूखे-साख पिंजड़े में हड्डियाँ मात्र बाकी रह गई हैं। इसे भी तोड़-मरोड़ कर यह कल्याणकारी राज्य ले लेना चाहता है। यह तो लेना ही लेना जानता है, देना कुछ नहीं। कहावत भी मशहूर है:

ददाति स्वर्णमुद्राम् या, गता सा पद्मशंखिनीम्।
अहं ढपोरशंखोस्मि वदाम्येव ददामि नो।।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष जी, बजट के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद चला और अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग बातें कही गईं। मैं अपने विभाग तक ही आमतौर पर सीमित रहते हुए इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

सब से पहले इस बात को कहा गया है जो लेन्ड रेवेन्यु के अन्दर ४ करोड़ २५ लाख की आमद बतलाई गई है वह इस बजट को सन्तुलित करने के लिये बढ़ा चढ़ा कर बतलाई गई है और पिछले अस में रेवेन्यु विभाग ने लगान वसूल करने के अन्दर..........

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—Is the Hon'ble Minister replying on behalf of the Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं सिर्फ अपने से सम्बन्धित विभाग के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी पर प्रकाश डालूंगा।

(विराम)

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

लेन्ड रेवेन्यु विभाग की आमदनी के बारे में जो करीब ४ करोड़ २५ लाख के करीब है उसके लिये यह कहा जाता है कि वह ज्यादा बढा चढ़ा कर बताई गई है और वसूल कम की जाती है। में सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जो इसके अन्दर आमदनी की मद रखी गई है इस बात का खयाल रखते हुए रखी गई है कि किसी भी तरह वह ज्यादा न हो ; इसलिये ठीक तरह से रखने का खयाल रखा गया है। पिछले वर्ष जब बजट पेश किया गया था तो लेन्ड रेवेन्यु के हैड के अन्तर्गत तीन करोड़ ७६ लाख के करीब रकम रखी गई थी। उसके मुकाबले में मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जैसा कि बहुत से सदस्यों की मान्यता है कि लेन्ड रेवेन्यु का कलेक्शन बहुत ढिलाई के साथ चलता है व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा है, उनका यह समझना भ्रमपूर्ण है। अब तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि जो बजट एस्टीमेट्स सोचे गये थे उससे ३ लाख से कुछ ज्यादा कलेक्ट करने की बात बतलाई गई है, उससे भी ज्यादा कलेक्शन हुआ है। मैं आप लोगों की सूचनार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी के आखिर तक इस मद के अन्दर ३ करोड़ २८ लाख के ऊपर आमद हो चुकी थी, फरवरी में ४३ लाख से अधिक की आमद की सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं; जिसका मतलब यह होता है कि ३७६ लाख की आमदनी जो बजट में रखी गई है उसके मुकाबले फरवरी के आखिर तक ३७० लाख की आमदनी हो चुकी है। फरवरी और मार्च में जो कलेक्शन होता है, जितना होता है यह सब स्पष्ट मालूम होता है। मार्च के अन्दर कलेक्शन होगा, उसके बाद में इसकी तादाद कई गुना ऊपर जाने वाली है। यह प्रयत्न मैंने इसलिये किया है कि जो लोग यह कहते हैं कि आमदनी को बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है उनका भ्रम दूर हो जाय। हम हमेशा यह बात ध्यान में रखते हैं कि हमारे कन्जर्वेटिव पीरियड्स होते हैं उनके अनुसार आमदनी के आंकड़े तैयार करते हैं।

जागीरों के बारे में आमदनी से खर्चे की मद ज्यादा बढ़ाई गई है। इसका अन्तर स्पष्ट है कि १५ लाख रुपया जो व्यय किया जायगा वह ज्यादा होगा। माननीय सदस्यों को सचेत करना चाहता हूँ कि वह जो केल्क्युलेशन किया गया है वह उन जागीरों का है जिनको रिज्यूम नहीं किया गया है। जागीरों को जब रिज्यूम किया जायगा तो मेरे खयाल से इतनी आमदनी बढ़ने वाली है कि जो खर्च एड-मिनिस्ट्रेशन पर होगा उससे कई गुना ज्यादा आमदनी होगी। इससे अन्ततोगत्वा शायद कुल मिला कर आमदनी की तरफ ज्यादा रकम तो नजर आयगी और खर्चे की तरफ कम।

कुछ व्यक्तियों की तरफ से यह भी कहा गया है कि आमतौर पर किसानों के हित के बारे में वादे किये गये थे, लेकिन आज किसानों के हित की दृष्टि से सरकार काम नहीं कर रही है। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अन्दर राजस्थान के विकास और राजस्थान का जो कुछ योजना-बद्ध कार्य-क्रम चल रहा है उससे यह स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देता है कि हम राजस्थान के किसानवर्ग को किस प्रकार उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। उन चीजों की ओर हम ध्यान देंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि भाखरा-नांगल बांध की योजना जो पुरानी समझी जाती है अगर कार्यान्वित हो गई तो क्या उससे किसानों का फायदा नहीं होगा? जवाई बांध जो जोधपुर डिविजन में है उससे क्या किसानों को राहत नहीं मिल रही है? फिर यह क्यों कहा जाय कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार कुछ नहीं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कर रही है ? चम्बल योजना इस सरकार के आने के बाद स्वीकृत की गई है। इससे स्पष्ट है कि जिन जिन डिविजनों में ये योजनायें कार्यान्वित होंगी उनसे किसानों को लाभ मिलने वाला है।

सेटलमेन्ट का कार्य प्रगति से चल रहा है। राजस्थान का इतना बड़ा भू भाग जो अनसेटल्ड था वहां पर आज यह परिस्थिति है कि अब २८ प्रतिशत हिस्सा ही ऐसा रह गया है जिसके लिये हम यह कह सकते हैं कि वह अब तक अनसेटल्ड है। उस २८ प्रतिशत में जैसलमेर, पोकरन, शेरगढ़ का इलाका भी शामिल आ जाता है जहां पर जनसंख्या के अनुपात से क्षेत्रफल काफी बढा चढा है।

ज्यादातर हिस्सों के अन्दर उस कार्य को पूर्ण किया जा रहा है। किसानों के हित की दृष्टि से रेख जाने में झगड़ा नहीं है। उस दृष्टि के बीच में यह बातें आती हैं, सरकार के सामने भी आई हैं और सरकार उन पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। जहां पर सेटलमेन्ट किया गया है वहां दरें बढ़ती हुई मालूम होती हैं। जहां यह देखते हैं; जैसे सोजत, बाली और देसूरी के इलाकों में, और उसके अलावा और कुछ लोगों की बातें सामने आती हैं तो उनके ऊपर सरकार विचार करती है पूरे तौर से और जो वाजिब हो वह निर्णय करती है। उन निर्णयों के अन्दर सदैव इस बात का खयाल रखा जाता है कि हम जो कुछ करें वह इस तरह से हो कि किसी के प्रति गैरइन्साफी नहीं हो, जो वाजिब हो वह किया जाय। मैं समझता हूं कि जो कुछ किया जा रहा है वह किसानों के हित के लिये किया जा रहा है।

इन बातों को इस बजट के अन्दर देखने से प्रतीत होता है कि कुओं पर, ज्यादा से ज्यादा जहां अकाल की स्थिति होती थी वहां पर आम तौर पर खर्च किया। बजट में कमी के कारण हम बहुत सी बातें नहीं कर पाये, लेकिन इस वर्ष भारत सरकार से बात-चीत करने के बाद उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी और यह तय हुआ कि २५ लाख रुपये नये कुए या पुराने कुओं की मरम्मत के लिये राजस्थान के विभिन्न हिस्सों के अन्दर खर्च किया जाय। वह २५ लाख रुपये जो मिलने वाले हैं वह इसलिये मिलने वाले हैं कि किसानों के ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन बढें। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह अर्ज करूं कि एक बात आम तौर से हरेक सदस्य स्वीकार करेंगे, जिसका स्पष्ट ही परिणाम देखेंगे, उसे रखना चाहता हूं। पिछले २-३ सालों से बारिश कहीं कम हुई, कहीं ज्यादा। पिछले वर्ष भयंकर अकाल पड़ा; लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे यहां खेती में उन्नति हुई है, खती बढ़ी है, लोगों की काश्त की तरफ तवज्जह गई है, छोटे-बड़े तालाबों और कुओं का विकास हुआ है। इसलिये हमने अनुभव किया है कि हमारे यहां अनाज की तंगी उस तरह से राजस्थान में नहीं हुई जैसी कि आम तौर से दूसरी जगहों पर हम अनुभव करते हैं। इस तरह के हालात के अन्दर राजस्थान में बाहर से कोई अनाज नहीं मंगाना पड़ा है, और इन वर्षों के अन्दर और यहां कि परिस्थिति को देखते हुए कोई ऐसी संकट-प्रद स्थिति पैदा नहीं हुई। इन सबसे यह स्पष्ट है कि हमारे राजस्थान के अन्दर कृषि-उत्पादन बढा हैं। अलग अलग हिस्सों के खेती के परिणामों से हम इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर खेती की तरक्की हुई है, खेती की तरक्की की तरफ लोगों का ध्यान गया है। और धीरे धीरे उस तरक्की के लिये ज्यादा आवश्यकता प्रतीत होती है। वह इस बात से प्रतीत होता है कि पहले कृषि विभाग के अन्दर कम्प्रेशर्स काम में नहीं आ रहे थे। पिछले वर्ष ८०० कुए तैयार किये

Page No.59

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

और उन कुओं के द्वारा हमने यह अनुभव किया कि राजस्थान के कई हिस्सों में कम्प्रेशर्स से बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिये ४३ कम्प्रेशर्स और मंगाये हैं। जब ये राजस्थान में काम करने लगेंगे उन भागों में और चट्टानों के कारण कुए गहरे करने का जो काम रुक गया है उन चट्टानों को तोड़ कर कूए गहरे बनेंगे तो उसका लाभ किसानों को मिलने वाला है। राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का उपयोग होने वाला है और इस तरह से आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचेगी। उसी दृष्टि से भारत सरकार ने करीब करीब उनके लिये १० लाख रुपये देना स्वीकार किया है। साथ ही साथ में अर्ज करूं कि खाद की कमी की दिक्कतें कई जगह हैं। इस दिक्कत को भारत सरकार के कृषि विभाग से बातचीत करके यह तय किया है कि जहां वे ७००-८०० टन खाद दिया करते थे इस वक्त ३० हजार टन खाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों को देंगे। वह इस शर्त पर पहले लोन पर दिया जायगा कि फसलें होते ही चुका दिया जावे। काश्तकारों को, जिनको वह देते हैं उनको तत्काल ही रुपया नहीं चुकाना पड़ेगा। यह सारी की सारी व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने और उनको प्रोत्साहन देने के कार्य किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस अरसे के अन्दर राजस्थान के अन्य लोगों की कृषि की ओर दिलचस्पी बढी है और इस सबूत को देते हुए मुझे हर्ष होता है, इस सदन में कि, भारतवर्ष में जो आलू की खेती के अन्दर सबसे बड़ा रेकार्ड आज तक बुलन्दशहर के एक व्यक्ति जय पाल चन्द्र को था, उन्होंने एक एकड़ में ७३५ मन २५ सेर आलू पैदा किये; इस वक्त राजस्थान के भरतपुर जिले के एक चौधरी राम सिंह हैं। उन्होंने एक एकड के अन्दर १००३ मन ५ सेर आलू पैदा किये हैं (करतल ध्वनि)। यह राजस्थान ने, जो भारतवर्ष का रेकार्ड है उसको तोड़ा है। मैं समझता हूं कि सब जगह के परिणाम जब आ जायेंगे तो भारतवर्ष के अन्दर सब से ज्यादा एक एकड में आलू पैदा करने का यह गौरव राजस्थान को प्राप्त होने का अवसर आज हमारे सामने पहुंचा है। मैं इस बात को सदैव मानने के लिये तैयार हूं कि तरक्की करने की बहुत आवश्यकता है, तरक्की अधिक से अधिक की जानी चाहिये। हम कभी भी इस भ्रम में नहीं रहते हैं कि जनता की हालत सुधर सकी है, उनका माप दण्ड काफी ऊंचा उठ गया है वह लक्ष्य पूरा हो गया है। लक्ष्य को कभी भी हम पूरा हुआ नहीं मानते हैं। हमें बहुत दूर उस लक्ष्य की ओर जाना है। उस लक्ष्य की ओर जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बोलजी भाई ने कहा कि बांसवाडा में काम नहीं मिलता है, वहां पर राहत के काम नहीं खोले गये हैं। मैं समझता हूं कि वहां अकाल है और अकाल के सम्बन्ध के आंकडे मैं पहले दे चुका हूं और आवश्यकता होगी तो और विस्तार से कहा जा सकेगा, पर इस वक्त इतना तो जरूर कह सकता हूं कि बांसवाडे में हर तहसील के अन्दर काम चालू किये गये हैं, लोगों को राहत दी गई है, सिंचाई विभाग के द्वारा भी वहां तालाब वगैरह का काम चालू हुआ है। इस वर्ष भी जिन भिलों को वहां कई तरह की तकलीफें हैं उन लोगों को राहत मिली है। पिछडे हुए लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और दूसरे लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इस बारे में आगे बढाने की कोशिश की जा रही है।

मेरा यह ख्याल है कि जागीर एबोलिशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई। कुछ ने यह भ्रम जाहिर किया है कि यह परिणाम आयेगा या नहीं, आयेगा तो कब आयेगा और जो बातचीत चल रही

Page No.60

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हूं उसके बारे में कई तरह की कल्पनायें की जाती हैं। माननीय जसवन्त सिंह जी, विरोधी दल के नेता, ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था अपने भाषण के दौरान में। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि आज जो भी बात चीत चल रही है उसका लक्ष्य यही है कि हम आपस में मिल-जुल कर जल्दी से जल्दी राजस्थान के अन्दर जो मौजूदा जागीरदारी प्रथा है उसको समाप्त करके नये समाज की रचना करें। उसके अन्दर कुछ समय टालने या और कोई दृष्टि कोण नहीं, बल्कि सभी मसलों पर गहराई के साथ विचार करें। परिवर्तित समाज रचना की ओर जाने का सरकार का लक्ष्य है और मैं कहता हूं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की हमें आशा है। शीघ्रातिशीघ्र उसका परिणाम हमारे सामने आयेगा। सदन को अपने-आप यह बात मालूम होगी। तो इस नवीन समाज-रचना की यह स्थिति काफी कामयाबी के साथ आएगी, ऐसी मैं आशा करता हूं।

अब कोर्ट ऑफ वार्ड्स को लीजिये। फोर्मर राजस्थान के बारे में यह बतलाया गया है कि सरकार के आधीन उसका इन्तजाम है और लगान वसूली जब सरकार करती है तो फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स से ठिकाने कर्जदार क्यों हो रहे हैं। कर्जदार होने पर भी उन पर कोर्ट ऑफ वार्डस का खर्चा क्यों पड़ रहा है ? मैं उनको आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का कोई इरादा नहीं है कि अनावश्यक खर्चा उनके ऊपर डाला जाय। जहां जितना खर्चा आवश्यक होगा उतना ही खर्चा उन पर लगेगा। उसके अनुसार जहां पर ज्यादा खर्चा होगा उन खर्चों को दूर करने के लिये सरकार सदैव तैयार रहेगी। हमारा कभी भी यह इरादा नहीं है। लगान तहसीलों में वसूल होता है तो उनके ऊपर किसी तरह का और भार डालें।

कुछ और तरह की बातें, बातचीत के दौरान में की जाती हैं। बहुत से ऐसी बातें किया करते हैं कि जमीन का एलॉटमेण्ट कई ऐसे आदमियों को कर दिया है जो रिश्तेदार हैं। जो तकावी दी जाती है वह इनको दे दी गई, इनको दे दी गई। मैंने सुना है कि भाषणों के दौरान में एक सदस्य ने यह समझकर कि मैं अनुपस्थित इसलिये हुआ कि मैंने एक रिश्तेदार को तकावी दे दी। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने जीवन में न तो कभी कोई ऐसी चीज की है और न अपने रिश्तेदार के साथ किसी तरह का पक्षपात किया है और न उनको मेरे पद के कारण किसी तरह का लाभ हुआ है। इससे माननीय सदस्य के उनके ही स्तर का अन्दाज लग सकता है। कहने को तो यह भी कहा है कि मेरा कोई रिश्तेदार नायब तहसीलदार हो गया। मैं तो नहीं जानता हूं कि मेरा कोई रिश्तेदार नायब तहसीलदार हो। उन्होंने मेरा कोई रिश्तेदार नायब तहसीलदार पैदा कर दिया हो तो मुझे पता नहीं। मेरा तो कोई रिश्तेदार नायब तहसीलदार नहीं है। इस तरह की बातें यहां पर लाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होता है। उनको संतोष हो सकता है इस सदन में खड़े होकर इन बातों को कहने से।

और भी मामलों में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता हूं, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी का समय जो उन्होंने निर्धारित किया है वह निकट आ रहा है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समस्त राजस्थान में हमने इस बात का प्रयत्न

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किया है कि जो अब तक दबा हुआ वर्ग था, जिनको आज तक इस तरह का मौका नहीं था कि वे स्वतन्त्रता पूर्वक आगे बढ़ सकें, वे आज आगे बढ़े हैं। उनको अपनी जमीन पर अपना अधिकार है, जो कुछ कमाते हैं, उसका उपयोग वाजिब तौर से कर सकते हैं। यह सब हुआ मुझे जब में हमारे विरोधी दल के सदस्य श्री हिम्मतसिंह जी द्वारा यह कहते हुए सुनता हूं कि किसानों का खून खतम हो गया, उनका चमड़ा खतम हो गया और मालूम नहीं उनकी हड्डियों का क्या होने वाला है।.......

श्री हिम्मतसिंह---ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, में सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि में "किसान" शब्द यूज (Use) में नहीं लाया।

श्री मोहनलाल सुखाडिया---मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारे विरोधी दल में ऐसी भावना तो पैदा हो गई है। तो में यह समझता हूं कि यदि हम सब मिल कर शासन चलाने में मदद देंगे तो राजस्थान को जल्दी कामयाबी होगी। यह बात निश्चित है और में यह भी कह देना चाहता हूं कि आज के हालात को देखते हुए, हमारी स्थिति दिनोंदिन सुधर रही है। सरकार, जो जो खामियें व कमियें हैं उनको दूर करने के लिये हमेशा तैयार है और जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है वह वास्तविक माने में कल्याणकारी है। इसमें जो जो मद रखे गये हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी।

अब में दो शब्द ट्रान्सफर के संबंध में, जो रेवेन्यु विभाग में होती हैं, कहना चाहता हूं। ट्रान्सफर तो, आपको पता होना चाहिये कि बराबर होती ही रहती हैं। कुछ इकोनोमिक कारणों से सरकार किन्हीं विभागों को कम कर रही है और उनके कम करने के फलस्वरूप कुछ जगह तो कम होती ही हैं। अभी लेन्ड रेकॉर्ड और सेटलमेन्ट ऑफिसेज को रेवेन्यु बोर्ड में दिया तो कुछ अफसर कम हुए और उनको दूसरी जगह लगाना लाजमी हो गया। कभी यह बात सामने आती है कि जो नायब तहसीलदार किसी तहसीलदार की जगह काम करता हो, वह जगह टूट जाने पर वहां से रिलीव होकर तहसीलदार की पोस्ट पर तो जा नहीं सकता, वह तो नायब तहसीलदार की जगह पर जाएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसकी ट्रान्सफर करना अत्यन्त आवश्यक हो उन्हीं का ट्रान्सफर हो। इसके अलावा कुछ ट्रान्सफर्स स्वाभाविक हो जाते हैं। इसलिये सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि हरएक ट्रान्सफर जो हो रहीं हो उसके लिये यह कहना कि किसी को खाने के लिये ट्रान्सफर का सिलसिला किया गया है, सत्य नहीं है।

में समझता हूं कि अब माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को बोलना है, अतः में इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री)— (विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) अध्यक्ष महोदय, सब से पहले में उन महानुभावों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे बजट भाषण पर अपनी टीकाटिप्पणी करते हुए मेरी सरस हिन्दी को पसन्द किया और बजट भाषण को मनोरंजक, कलापूर्ण, बाजीगर की कला, रोमान्टिक उपन्यास आदि अन्य अन्य नामोंसे संबोधित किया। मुझे इस

[श्री जयनारायण व्यास]

बात का संतोष है कि मेरे साथियों को बजट भाषण सुन कर मनोरंजन तो हुआ। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट पर टीका-टिप्पणी की और टीका-टिप्पणी करते समय बहुत सारे आंकड़ों को और बहुत सी बातों के तथ्यों को तोड़ मरोड़ किया और इससे मुझे उन बातोंका स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा, सदन को बहुत सी नई बातें जानने को मिलेंगी।

मैं समझता हूं कि बजट भाषण में बहुत सी बातें एक तो रह गई हैं और कोई भी इस बात को नामंजूर नहीं करते, जैसा हमारे यहां राजस्थान में एक कहावत है दूल्हे को एक अच्छे और सीधे घोड़े पर चढ़ना चाहिये, सरकस घोड़े पर नहीं चढ़ाना चाहिये। सीधे घोड़े पर दूल्हे को चढ़ाने में किसी को एतराज नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर ज्यादा खर्च करना चाहिये, सड़कों पर ज्यादा खर्च होना चाहिये, नीचे के तबके के लोगों पर ज्यादा खर्च होना चाहिये, उनको ज्यादा वेतन मिलना चाहिये वगैरह, यह चीज अच्छी है, वाजिब है और इस संबंध में जो सलाह दी है वहभी वाजिब है। लेकिन इसके लिये भी अपने पास जो साधन हों उनके भीतर रह कर ही काम कर सकते हैं। उसके बाहर तो काम नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह कहूंगा कि सदस्यों ने यह फरमाया कि बहुत सी खराबियें, रिश्वतखोरी फैली हुई है और बिना रिश्वत के काम नहीं चलता और यह भी कहा गया है कि डकैतियें होती हैं, घी और दूसरी चीजों में एडल्ट्रेशन होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि खराबियें किसी अंश में मोजूद हैं। मैं मानता हूं कि इनको इस तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता जैसे कि बिजली का बटन दबाया और रोशनी हो गई। यह तो हो नहीं सकता। हां, कहीं भी, कोई भी खराबी है उसको निकालने के लिये कोशिश करनी रहती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जितनी खराबियें बताई गई हैं उतनी खराबियें नहीं हैं और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले जितनी खराबियें थीं उनसे वे कम अवश्य हुई हैं। यह एक जनरल रिमार्क है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बजट पर भाषण बहुत से सदस्यों के हुए। कुंवर जसवन्तसिंह जी ने अपने तरीके से और अपनी तरह से बहुत सारी टीका टिप्पणी की, श्री गोपीलालजी ने भी तथा और भी बहुत से सदस्यों ने भी इस पर टीका टिप्पणी की। माननीय महाराज ने भी अपनी टेढ़ी तिरछी बहार छोड़ कर क्या कहना चाहिये, वार और प्रहार करके बहार पैदा की। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनमें कोई सान नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जो मुख्य २ बातें हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा।

सबसे बड़ी बात जो कही गई है वह है हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में। कई तरफ से यह कहा गया है कि बेलेन्स्ड बजट तो कभी हो ही नहीं सकता है, रुपये, आने, पाई न इधर और न उधर; यह कैसे हो सकता है? यह तो दुनियां में एक ही मिसाल है, कुछ तो इधर उधर होगा ही। मैं यह कहूंगा कि यह तो बजट एस्टिमेट है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जितना खर्चा लिखा है वह बराबर हो ही और जो आमदनी बताई गई है उससे ज्यादा आमदनी न हो। लेकिन हमने सदन के सामने जो एस्टीमेट रखा है। यह कहना कि बराबर कैसे आया, यह तो ठीक नहीं। बड़ी बात यह है कि सरकार का दिवाला निकला हुआ है और कांग्रेस

[श्री जयनारायण व्यास]

सरकार बराबर दिवाला निकाल रही है, हमारे पास जो रिजर्व हैं वे खतम हो चुके हैं और हमारी जेब में कुछ नहीं है यह कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यह एक ऐसा बजट है जो बाजीगर की झोली की तरह से घुमा-फिरा कर बना दिया गया है। मैंने बाजीगर का खेल नहीं खेला है और न मेरे दूसरे साथियों ने भी बाजीगर के खेल खेल कर दूसरे की जेब से रुपया जो उसकी जेब में नहीं है निकालना चाहा है। दरअसल बाजीगर का खेल उसे कहते हैं कि किसी की जेब में रुपया डाले और उससे कहे कि रुपया निकालो और जब वह रुपया उस व्यक्ति से नहीं निकले तो बाजीगर उसको निकाले; तब हम यह कह सकते हैं कि बाजीगर ने जेब से रुपया निकाला है और वह निकाल सकता है। इस संबंध में मैं आपको आंकड़े दूंगा और मैं समझता हूं कि आंकड़े झूठ नहीं हो सकते। वे तो बिल्कुल ढंग की बात कहते हैं और मेथामेटिकल केल्कुलेशन खुद ही सच है क्योंकि ४ और ४ हमेशा ८ ही होते हैं कभी ७ नहीं होते। मैं सदन के सामने आंकड़े रखूंगा और बताऊंगा कि दरअसल यह कोई बाजीगर का खेल नहीं है। राजस्थान की स्थिति सतोषजनक है और दिनों दिन संतोषजनक होने की आशा है और जिस कल्याणकारी राज्य की हम कल्पना करते हैं उस कल्याणकारी राज्य तक हम पहुंचेंगे।

हमारे इस बजट को बाजीगर का खेल इसलिये बताया गया कि बजट में जो फीगर्स दिये गये उसमें ओवर ड्राफ्ट के अंक सदस्यों के पास बाद में पहुंचे अब वे आपके सामने हैं और इस पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं।

ओवर ड्राफ्ट की कैफियत आपके सामने है। इसमें यह बताया गया है कि राजस्थान बनने के बाद राजस्थान सरकार ने बराबर रुपया लिया है और बराबर लेती रही है। मगर मैं यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में यह स्थिति नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जब राजस्थान बना उस समय सिक्योरिटीज के साथ साथ लाएबिलिटीज भी राजस्थान के पास थीं। इसके आंकड़े मैं आपको बताना पसन्द करूंगा। वे यह हैं कि जिस समय हमारा एकीकरण हुआ उस समय हमारी लाएबेलिटीज थीं ३९७.२९ लाख यानि यह रकम हमें लोगों को देनी थी। हमने आगे जाकर १ अप्रेल १९५० का हिसाब लगाया तो यह धन ५५२.९५ लाख हुआ। यह थोड़ा बढ़ा भी है, मैं इस बात को मानता हूं। सन् १९५१ में यह ६७२.४६ लाख हो गया और १.४.५२ को ९३२.११ लाख होगया। इस प्रकार हमारा ओवर ड्राफ्ट बढ़ता ही गया। हमने ओवर ड्राफ्ट को कम करने की कोशिश की। इसलिय यह कोई कर्ज लेकर किया हो, ऐसी बात नहीं है और जो साहब यह कहते हैं कि राजस्थान सरकार सारे काम कर्जा लेकर चला रही है, उनका यह कहना गलत है। हमने १ करोड़ या डेढ करोड़ का कर्ज उन उन रकमों के सिलसिले में लिया है जो भारत सरकार से हमें मिलने वाली थी। फिर भी मैं यह कहूंगा कि हमें भारत सरकार से कुछ लेना बाकी है, वह रह जावेगा। अभी जब हमारी स्थिति कमजोर हुई और हमारे पास लिक्विडेड फंड नहीं थे तो हमको मदद लेना जरूरी था। इसलिये हमने १॥ करोड़ लेकर अपनी स्थिति को सुधारा, वह ठीक नहीं। हमारा प्रान्त भारत सरकार का कर्जदार था, वह कर्जदारी खत्म हुई।

१ अप्रेल १९५३ को हमारे ओवर ड्राफ्ट ८८२.११ लाख हो गये। इसके बाद में इस साल ५० लाख ओवर ड्राफ्ट खत्म कर दिये। इस प्रकार अब हमारे ओवर ड्राफ्ट ८३२.११ लाख रह जाते

Page No.64

[श्री जयनारायण व्यास]

हैं। यह मैं फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमने राजस्थान का एकीकरण शुरू किया उस समय ३१७.२९ लाख की लाएबेलेटीज थीं और अभी ८३२.११ लाख ओवर ड्राफ्ट हैं। यह बहुत बढा हुआ ओवर ड्राफ्ट नहीं है। यह पांच करोड़ और कुछ लाख जो हैं यह ओवर ड्राफ्ट हुए हैं। वह भी फालतू खाते के ओवर ड्राफ्ट नहीं हुए बल्कि अच्छे काम के लिए हुए हैं और वह इन्वेस्टमेन्ट की तरह का काम है, बल्कि इन्वेस्टमेन्ट है। करीब ढाई करोड़ का अनाज हमारे पास पड़ा हुवा है। इसलिए इसको ओवर ड्राफ्ट मानने की कोई बात नहीं है।

इसके अलावा ६ करोड़ रुपये हमने ऐसे केपिटल एक्सपेन्डीचर में लगाया है जो मूलधन हमें कुछ न कुछ हमेशा देता रहेगा, ब्याज से भी ज्यादा आमदनी हमारी करता रहेगा।

तो इस तरह जो ओवरड्राफ्ट हमारा है वह ओवर ड्राफ्ट नहीं होकर मूल पूंजी की तरह हमारी रकम लगी हुई है। कोई महाजन भी अपना रुपया बेंक में रखना पसन्द नहीं करता और लाभदायक कामों में डालता है राजस्थान सरकार ने अपना रुपया लाभदायक कामों में लगाया है जिससे ब्याज की बनिस्पत कितनी ही अधिक आमदनी हमें मिलेगी।

अनाज से हमें कोई ज्यादा आमदनी नहीं मिलेगी, इसकी ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। आमदनी से भी ज्यादा कीमती मनुष्यों की जान और मनुष्यों का हित हमारी नजरों में है। अगर लोगों को भूखों मरने से बचाने के लिये लाभ को छोड़ भी दिया जाय तो कोई बुरी बात नहीं होगी।

एक दूसरी बात और यह है कि ओवर ड्राफ्ट से हम कोई आपत्ति में आ गये हों ऐसी स्थिति नहीं है। इस पर भी यह कहा जाता है कि यह बजट घाटे का बजट है। इसमें बचत बिल्कुल नहीं है, इसमें मुनाफा बिल्कुल नहीं है। मेरा खयाल है कि बजट में दिये गये आंकडों को गौर से देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि अगर हम चाहते तो इसको मुनाफे का बजट भी बना सकते थे। नफे का बजट उसूलन वही रियासतें कर सकती हैं जिनको बहुत अधिक मुनाफा हो। परन्तु जिन रियासतों को आगे जाकर निर्माण कार्य करने हों और अपनी आमदनी बढ़ाने के काम करने पड़ते हों ऐसी रियासतों को अपना मुनाफे का बजट बनाने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसी रियासतें घाटे का बजट रखें तो भी वाजिब ही है, पर हम घाटे का बजट यों नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसा करने पर लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाने को तैयार रहते हैं कि दिवाला निकाल दिया है।

३०००००० रुपया हमने फेमिन में दिया है और वह डिपोजिट की तरह दिया है। हालांकि हम फेमिन के कामों के लिए चालू खर्चे में एक करोड़ और कुछ लाख रुपये खर्च कर रहे हैं फिर भी हम ने इसके लिए ३० लाख रुपया डिपोजिट की तरह दिया है।

महाराज केसर सिंह जी ने कहा कि रुपया बचत करके कोई भी काम करना चाहिये ताकि वह रुपया फेमिन और अन्य मुसीबत के कामों में काम आ सके। मैं उनको सूचना दूं कि ३० लाख रु० हमने

[श्री जयनारायण व्यास]

फेमिन के कामों के लिये फेमिन के मद में जमा किया है। १५०००००) रुपया हमने रेवेन्यु इवीलाजेशन फंड में रखा है। तो इस तरह यह ४५ लाख रुपया तो चालू खर्च में नहीं है बल्कि जो काम हमारे आगे चालू होने वाले हैं उनके लिये रख रखा है। इस रकम को हम अलग रख कर ४५ लाख की बचत का बजट भी हम बता सकते थे।

बिजलीघर में हमने ज्यादा रकम खर्च की है। वह इसलिये कि हमें मुनाफा हो। बिजली में ज्यादा रुपया लगाने से एक नतीजा हुआ है कि हमें जो पहले बिजली से घाटा होता था वह अब कम हो गया है।

मैं पूंजी जो हमारी जमा थी सिर्फ उसके बारे में कहना चाहता हूं। हमने पूंजी न सिर्फ ज्यादा जमा कराई है बल्कि ऐसे काम में भी लगाई है जो नफा देनेवाली है और लोक कल्याणकारी भी है।

श्री यादवजी ने कहा था कि यह तो १९ करोड़ की आय का बजट है न कि २२ करोड़ का है। वे शायद केपिटल एक्सपेन्डीचर को भूल गये हैं। यह दोनों तरह से खर्च होता है। रिजर्व में भी और जमा पूंजी में भी। इसको सीरियसली लेने की बात नहीं है और जो खर्च होगा तो उसके बदले में रकम खड़ी होगी और दूसरी चीज खर्च में ही पड़ जायगी। फर्ज करो कि मैं अपनी बीबी को २०० रु० माहवार देकर कहता हूं कि इन्हें खर्च करो और साथ ही यह भी शर्त लगा देता हूं कि आपको १००रु. के तो बरतन खरीदने पड़ेंगे और १०० रु० से रोटी खर्चा चलाना पड़ेगा। तो १०० रुपये तो रेकरिंग एक्सपेन्डीचर में चले जायेंगे पर सौ रुपये के जो बरतन खरीदे जायेंगे वे तो चार पांच साल तक चलने वाले हैं लेकिन रोटी के रुपये तो उसी महीने में खर्च होने वाले हैं। वह रकम अलग है जो इस साल खर्च होनेवाली है और वह अलग है जो इस साल खर्च होने वाली है पर हमेशा रहनेवाली है और उससे आमदनी होनेवाली है।

हमको श्री यादव जी की तरफ से जो यह कहा गया है कि जनकल्याणकारी कामों के लिये सिर्फ ६ करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह धोखे का बजट है और इसमें १२ करोड़ रुपया जनकल्याणकारी कामों में खर्च होने की बात गलत कही गई है। उस संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। १२ करोड़ ४० लाख रुपयों की बात बिल्कुल सही कही गई है और वह रकम जनकल्याणकारी कामों में ही खर्च होगी। आपने जो हिसाब लगाया है वह उन कामों के लिये है जो सोशियल सर्विसेज में आता है जैसे शिक्षा, औषधालय या जो भी जन कल्याणकारी काम हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो दूसरे काम हैं जैसे इरिगेशन अर्थात् सिंचाई का काम, ज्यादा बिजली देना आदि जनकल्याणकारी काम हैं या नहीं ? ये व्यक्तिगत कल्याण के लिये हैं। यह कोई मोटर खरीदना नहीं है। इस बारे में बाद में जिक्र करूंगा। इरिगेशन (सिंचाई) का खर्चा जनकल्याणकारी है। यह मैं बताना चाहता हूं कि वह कितना जनकल्याण कर सकता है। हमारे इरिगेशन में सन् ५०-५१ में ८७ लाख और कुछ हजार, ५१-५२ में ६ लाख ९३ हजार और ५२-५३ में ४७ लाख ५० हजार रुपया जो खर्च हुआ है क्या उसे कहा जा सकता है कि यह खर्चा जनकल्याणकारी नहीं हुआ। यह कितना जनकल्याणकारी है, इसका अन्दाजा उन आंकडों से मालूम हो सकता है। अब तक जितना काम हो चुका है उससे ४५ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो चुकी है या होने वाली है। ४५ हजार एकड़ की सिंचाई होना और उसमें १५ हजार

[श्री जयनारायण व्यास]

टन अन्न उत्पन्न होना यदि जनकल्याणकारी नहीं है तो कौनसा काम जनकल्याणकारी हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। ये सारी योजनाएं जो हमने चलाई हैं सन् ५४-५५ में समाप्त होने वाली हैं। इससे ५ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और १ करोड़ ६० लाख टन अन्न पैदा होगा। यदि यह खर्चा जनकल्याणकारी नहीं है तो दूसरा जनकल्याणकारी कार्य क्या हो सकता है ? मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आंकडे बताये गये हैं उनमें भाखरा और चम्बल के आंकड़े शामिल नहीं किये गये हैं। उनका जिक्र बाद में यदि आप चाहेंगे तो करूंगा। ऐसा लगता है कि अब तक हमारे मेम्बर साहबान राजस्थान की दृष्टि से चीजों को कम देखते हैं। जो बात हो जाती है या होने की तरक्की पर है उनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती। मैं आपका जिन प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है या जिनका काम प्रोग्रेस पर है उनके फिगर्स बता सकता हूं। यदि आप वैसे ही जो कुछ मैं कहता हूं उसको ठीक मानें तो ठीक है। जो जनकल्याणकारी काम हैं वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं यह बता रहा हूं। इरिगेशन में सन् ५३-५४ में ७१,६२,३८० रु० खर्च होंगे। इसमें पहले हमारे यहां ५०-५१ में ६९,४४,९६८ रु०, ५१-५२ में ४१,२०,२२० रु० और ५२-५३ में ४६,१३,२५० रु० खर्च हुए हैं। अब तक जो काम पूरे हो चुके हैं उनसे अब तक ३४३९० एकड़ जमीन का काम पूरा होगा व ६२७८० एकड़ का काम चल रहा है। यानि वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं और जो फूड पोटेनशियलिटी है वह ११,३२५ टन की हो चुकी है और २०,९९० टन की होने वाली है। पूरी स्कीम को छोड़कर इस साल की अर्ज करता हूं। हमारे यहां ५०-५१, ५१-५२, ५२,५३ और ५३-५४ में १ करोड़ २१ लाख २९ हजार ३ सौ ६० रुपये खर्च हुए और कंपलीट ४५,३९० एकड़ जमीन आयगी। वर्क इन प्रोग्रेस ३,९७,७६० एकड़ जमीन पर है। इससे १४,९५५ टन तो चालू हो गया है और १२६२४० टन होने की प्रोग्रेस है, वह चालू हो जायगी। पूरी स्कीम के अलावा अब तक की बात अर्ज करना चाहता हूं। ४१ बांध हैं जिनमें ये सारे रुपये खर्च हुए हैं। जवाई बांध भी इनमें शामिल है। लेकिन उससे भी ज्यादा काम दूसरे बांधों में हुआ है। भाकरा नांगल इसमें शरीक नहीं है।

भाखरा नांगल में २९ करोड़ रुपये खर्च होंगे और अब तक ५५ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। सन् ५३-५४ में १३२ लाख रुपये और लगेंगे। हमको ९ लाख २० हजार एकड़ जमीन इस बांध से सिंचाई के लिये मिलेगी। चंबल प्रोजेक्ट में ३३ करोड़ रुपये लगेंगे। इसका कारण यह है कि भाकरा से हमको १५ हजार किलोवाट बिजली मिलेगी। लेकिन चंबल से १ लाख किलोवाट बिजली मिलेगी। ३० लाख रुपये अब तक चंबल प्रोजेक्ट में खर्च हो चुके हैं। मेरे खयाल से इस खर्च को जनकल्याणकारी काम के लिये समझा जायगा।

अब मैं सड़कों और मकानों की और तवज्जह दिलाना चाहता हूं। मै तो हर मकान को जन-कल्याण कारी समझता हूं चाहे वे हमारे यहां गांधीनगर में बने हैं तो वहां कुछ क्लर्कों और अफसरों को रहने के लिये जगह मिल सकी है और रिफ्यूजीज़ के लिये मकान बने हैं तो उनको रहने की जगह मिली है। ऐसे मकान जो जनकल्याण के लिये हैं और ऐसी सड़कें जो जनकल्याण के लिये हैं उनके लिये ११८.४० लाख रुपया खर्च हो गया है और अब तक १७७५ मील सड़क नयी बनी है जिसमें १४२ मील मेटल्ड रोड़ है ५४६ मील ग्रेवल रोड है और १०१७ मील फेयरवेदर रोड़ है। इसके अलावा डामर का काम किया जाता है और दूसरे इम्प्रूवमेन्ट अलग हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रान्त है और उसमें सड़कों की बहुत कमी है इसलिये सड़कों को धीरे २ यदि बनावेंगे तो बन जावेंगी।

[जयनारायणव्यास]

मैं मानता हूं कि राजस्थान बड़ा प्रान्त है और यहां काफी सड़कें होनी चाहियें। पहले से ही यहां सड़कों की बहुत कमी है। अगर सड़कें धीरे २ बढ़ती हैं तो इसी तरह से बढ़ेंगी। जिस समय राजस्थान बना उस समय पूरी सड़कें नहीं थी। पुरानी सड़कें जो थीं उनकी मरम्मत हो रही है और ज्यों ज्यों आर्थिक स्थिति ठीक होती जा रही है त्यों त्यों सड़कें भी बनती जा रही हैं।

श्री जसवन्तसिंह—सड़कें कहां कहां हो रही हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—इस सम्बन्ध में मैं आपको बताऊंगा और खासतौर पर बीकानेर के सम्बन्ध में मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं सड़कों का खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जिनके बारे में आपकी शिकायत है।

(कुछ सदस्यों द्वारा बाधा)

चूंकि माननीय कुंवर जसवन्तसिंहजी ने यह पूछना चाहा है कि सड़कें कहां कहां हो रही हैं तो मैं पसन्द करूंगा कि उनको भी तसल्ली हो जाय और मैं सदन को भी इससे वाकिफ कर दूं। जो नई सड़कें बनी हैं उसकी सूचना मैं आपको दे देना चाहूंगा।

१. जयपुर और टोंक सड़क।
२. मदनगन्ज से किशनगढ़।
३. खैरतल-मंडी से लछमनगढ़ सड़क।
४. जयपुर-अलवर रोड।
५. जयपुर-किशनगढ़ रोड।
६. शाहपुरा से नीम का थाना।
७. गंगापुर से लालसोट।
८. गंगानगर से पदमपुर।
९. मेंहदीपुर सड़क
१०. बांदी कुई से राजगढ़
११. अलवर से भरतपुर।
१२. अलवर से बैराठ।
१३. गोविन्दगढ़ टाउन से रेलवे स्टेशन।
१४. बैराठ से लछमनगढ़।
१५. शार्दूलगढ़ जंक्शन से शार्दूलगढ़ टाउन।
१६. मंडावरी सड़क।
१७. नाथद्वारा स्टेशन से नाथद्वारा टाउन।
१८. उदयपुर से चित्तौड़।
१९. उदयपुर रेलवे स्टेशन से प्रतापनगर।
२०. कांकरोली से चारभुजा।

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

१६. निम्बाहेड़ा से चित्तौडगढ़ ।
१७. भरतपुर से बयाना रोड ।
१८. देसूरी से नारभजा ।

श्री जसवन्तसिंह--ये सड़कें तो बजट में रखी हुई हैं ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--आपने पूछा था कि कहां कहां सड़कें बनी हैं । कोई गुप्त काम तो नहीं हो रहा है, अतः मैंने आपको बता दिया ।

श्री जसवन्तसिंह--मेरा सवाल तो यह नहीं था ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मेरे खयाल से तो आपका मतलब यही था । बजट के अलावा भी कहीं बनी हैं या कहीं बनेंगी, तो मैं कहूंगा कि कहीं नहीं बनेंगी । जो रकम बजट में रखी गई है और जिस सड़क के लिए रखी गई है वह सड़क भी दिखा दी गई है सड़क नहीं बनी है या नहीं बनेगी, यह तो सवाल दूसरा है ।

(श्री जसवन्त सिंहजी खड़े होकर पुनः बैठ गये)

श्री जसवन्तसिंह--आप जारी रखिए । मेरा खयाल तो दूसरा ही था ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--अगर वह मेरी समझ में आजायगा तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा । तो इस प्रकार ३४ ग्रेवल्ड सड़कें हैं । जो फेयर वेदर रोड्स बनी हैं और मैं आपको उनकी तादाद बताऊं, वे १४ हैं । टार की गई सड़कों की सूची भी मैं आपको बताऊं, किन्तु मेरे खयाल से सारी तफसील देना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसा मालूम पड़ता है कि विरोधी दल के नेता ने थोड़ा संतोष कर लिया है । सड़कें जो बनी हैं और खास तौर से बीकानेर में, वे उनके समझ में आगई हैं ।

(हंसी)

श्री जसवन्तसिंह--यह मैं नहीं मानता ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--अब मैं आपको पॉवर हाउसेज़ के बारे में अर्ज करना चाहता हूं ।

एक सदस्य--आपने जोधपुर की सड़कों का नाम नहीं बताया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--सब ही जगह बनी हैं ।

('सिवाय जोधपुर के' इस प्रकार की सदन में आवाज)

तो अब मैं आपको पॉवर हाउसेज़ के बारे में कहना चाहता हूं । पॉवर हाउसेज़ की तरक्की के लिये १ करोड़ ४ लाख रुपया खर्च किया गया है । मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें भी शायद बीकानेर का हिस्सा ज्यादा होगा, ८ लाख के करीब बीकानेर में खर्च किया गया है । पॉवर हाउस वहां का ठीक

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

नहीं था और उसे ठीक-ठाक करवाया गया। भरतपुर के पॉवर हाउस में पांच लाख खर्च किया गया। अलवर के पॉवर हाउस में कमी बेशी करने में एक लाख रुपया खर्च किया गया। मीटर्स मंगवाये गये उनमें ३॥ लाख रुपया खर्च किया गया। हाई टेन्शन वायर लगाया गया उसमें पांच लाख रुपया खर्च किया गया। आपको यह मालूम होना चाहिये कि पांच हजार नये कनेक्शन दिये गये हैं। कोटा में ६० हजार रुपया खर्च किया गया और ४० हजार का खर्चा और किया जाना है। इस प्रकार कोटा में १ लाख रुपया खर्च होगा।

इसी तरह से डिस्पेन्सरीज बनी हैं, स्कूल्स बने हैं। मैं थोडा सा स्कूल्स के बारे में अर्ज करूंगा और मुझे उम्मीद है कि उससे माननीय कुं० श्री जसवन्त सिंह जी और सरदार श्री गुरुदयाल सिंह जी को सन्तोष होगा। गंगानगर में स्कूल्स के लिये १ लाख ४ हजार रुपया खर्च हुआ।

श्री जसवन्तसिंह—गंगानगर, रायसिंह नगर वगैरह जगहों में बीकानेर सरकार द्वारा जो स्कूल बनाये हुये थे और जिनकी छतें नहीं बनाई गई थीं वे अभी वैसी ही हैं। राजस्थान सरकार ने तो छतें भी नहीं बनाई हैं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जो जो स्कूल्स इन्कम्पलीट हैं उनके लिये इस बजट में खास तौर पर प्रोवीजन रखा गया है ताकि अगले साल आप लोगों को उनकी छतों पर जाकर बैठने का मौका मिलेगा।

(ट्रेजरी बेन्चेज की ओर से करतल ध्वनि)

डिस्पेन्सरी के हिसाब में भी गंगानगर को १ लाख रुपया मिला है।

श्री जसवन्तसिंह—तो क्या दवाइयां नहीं मिलेंगी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—बिना दवाई के तो डिस्पेन्सरी ही नहीं चलती है। हमारी थोडी सी बदकिस्मती है कि आसानी से यह कह दिया जाता है कि दवाइयां नहीं मिलती हैं। बहुत कीमती दवाइयां नहीं मिलें, यह बात तो ठीक हो सकती है। वहां केवल डाक्टरों और नर्सेज का ही प्रदर्शन होता हो और दवाई नहीं मिलती हो, यह बात नहीं है। यह तो एक अतिशयोक्ति हो हुई। कलाकार होने के नाते जो मुझे धन्यवाद दिया गया तो यह भी अतिशयोक्ति हो है और अतिशयोक्ति भी एक कला है।

(हंसी)

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—ग्लिसरीन भी क्या कोई दवा नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अगर यह बात आप पहले ही मेरे ध्यान में ला देते तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हल हो सकती थीं और जांच होकर एक्शन भी लिया जा सकता था। माननीय सदस्य के यह बात ध्यान में नहीं थी। ग्लिसरीन का फोवा लाकर सदन में लगा दिया गया।

Page No.70

श्री **हिम्मतसिंह**--गला साफ हो जायगा ।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--धन्यवाद । मकानात जो बने हैं, जयपुर में बने है और शायद इन पर भी एतराज हो सकता है कि ये जयपुर में ही क्यों बने हैं ? काफी रुपया लगा है और वाजिब लगा है । गांधीनगर नहीं बनाते तो क्या करते ? १ करोड़ रुपया गांधी नगर में लगेगा ।

मेडिकल कॉलेज म भी रुपया लगाना पड़ेगा । बिजलीघर आदि बढ़ाना, बांध बंधवाना एवं माइनर ईरिगेशन में जो खर्चा हुआ है यदि उस खर्चे को कल्याणकारी खर्चा नहीं कहा जायगा तो मेरी समझ में नहीं आता तो हम किसको कल्याणकारी खर्चा मानते हैं ? इन सब कार्यों को मिला कर हिसाब लगाया जाय और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि १२ करोड़ और कुछ लाख का इसमें खर्चा हुआ है, और इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है और नहीं थी । मैं आशा करता हूं कि अगर आपको कोई भ्रम रह गया था तो इन बातों के बतलाने के बाद वह निकल जायगा । मैं मकानात की तफसील में नहीं जाना चाहता फिर भी यदि आप चाहें तो मैं बता सकता हूं ।

मेम्बर्स में एक प्रवृत्ति पाई गई है और वह यह है कि गंगानगर में खर्चा हुआ है या नहीं, टोंक में खर्चा हुआ या नहीं । भीलवाडा में खर्चा हुआ है या नहीं, जिस तरह से कि हाउस ऑफ कोमन्स में पद्धति है कि "ओनरेबल मेम्बर्स फ्रोम सच एन्ड सच कॉन्स्टिट्युएन्सी" हमारे मेम्बर्स कह सकते हैं । मिस्टर भीलवाड़ा, मिस्टर गंगानगर, मिस्टर टोंक एन्ड मिस्टर सो एन्ड से ।

(हंसी)

मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वे अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी की फिक्र करते हैं । कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी के लोगों को पता चलता है कि हमारी कॉन्स्टिट्युएन्सी की तरफ से बोलते हैं । फिर भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमको केवल अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी की दृष्टि से ही नहीं देखना है किन्तु सारे राजस्थान की दृष्टि से देखना है । जैसलमेर में लोकस्ट आ गया है और डूंगरपुर वाले कहें कि हमारे यहां तो लोकस्ट पर खर्चा नहीं रखा गया है । लोकस्ट आया ही नहीं है तो फिर खर्चा किस बात का । फेमीन है डूंगरपुर में और गंगानगर वाले कहें कि फेमिन के लिये खर्चा नहीं रखा गया है । तो जहां जहां जिस चीज की जरूरत होगी वहां वहां उस चीज का खर्चा रखा जावेगा । एक साल म किसी बात का ज्यादा खर्चा हो सकता है तो दूसरे साल में दूसरी बात के लिये खर्चा रखा जाता है । मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज करूंगा कि..........

श्री **खेतसिंह**--ओन ए पोइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, शेरगढ़वाले भी इसलिये कहते हैं कि मन्त्री महोदय अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज के बारे में ज्यादा फिक्र करते हैं ।

श्री **जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)**--मेरा ऐसा खयाल है कि उनके (मन्त्रियों के) अन्दर स्थानीयता की भावना नहीं है । मन्त्रियों के ऊपर ही जाकर यह बात रिफलेक्ट हो जाती है । अन्दर

Page No.71

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)]

की जो तस्वीर है उसका चिलका (प्रतिबिम्ब) दूसरी जगह पर पड़ रहा है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने सारे मन्त्रियों का हिसाब-किताब सम्हाल लिया है। पी. डब्ल्यू. डी. का हिसाब सम्हाला तो मालूम हुआ कि सारी सड़कें अलवर से बाहर ही हुई हैं, सिविल सप्लाइज का हिसाब सम्हाला तो मालूम हुआ कि डूंगरपुर से बाहर ही खर्चा हुआ है, जयपुर में रहने वालों का सम्हाला तो मालूम हुआ कि जयपुर से बाहर ही खर्चा हुआ है। यह खुश किस्मती है या बद किस्मती है कि जहां जहां के जो मन्त्री हैं उनके हल्के में खर्चा नहीं हो रहा है।

एक सदस्य—तो परस्पर कोऑपरेशन करके ही ऐसा किया जा रहा होगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं आशा करता हूं कि आप भी म्युचुअल कोऑपरेशन रखियेगा। (करतल ध्वनी)

यह सारे राजस्थान का जो खर्चा है वह कोऑपरेशन से ही होना चाहिये। गंगानगर, कुचामन आदि जगहों पर बिजली घरों के एक्स्टेन्शन में खर्चा हुआ है।

("जोधपुर में नहीं हुआ है" इस प्रकार की आवाज) जोधपुर में भी हुआ है, बीकानेर में भी हुआ है, जयपुर में भी हुआ है। खर्चा अनुपात से ही होता है। और हुआ है। सारा का सारा शहरों में ही नहीं हुआ है।

अब मैं उन बातों पर कुछ कहना चाहूंगा जो बातें खास तौर पर सदस्य महोदयों ने कही हैं। एक बात कुंवर जसवन्त सिंहजी ने जागीरें खालसे होने के सिलसिले में कही है और उन्होंने यह कहा है कि यह साम्यवाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को पनपा देगा और आपको (राजस्थान सरकार) आमदनी नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, अगर टैक्स पे नहीं करता है तो गवर्नमेन्ट बराबर सख्ती के साथ कदम उठायगी और सख्ती से रुपया वसूल करेगी और यह फिक्र करने की जरूरत नहीं प्रतीत होती है कि खालसे से रुपया कम आयगा।

इसलिये इसके लिये फिक्र करने की जरूरत नहीं है और यह भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि खालसे से भी लगान कम आवेगा। मेरे भाई सुखाड़िया ने कहा था कि यदि वसूल भी किया तो कोई ज्यादा वसूल नहीं करेंगे केवल बकाबा ही वसूल करेंगे। इस वास्ते इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।

मैं समझता हूं कि यही बात ट्रिब्यूट और दूसरी चीजों के बारे में भी कही जा सकती है।

फोर्मर राजस्थान में रिजम्प्शन की बात से हमें १० लाख रुपया मिल जावेगा। वहां दर असल रिजम्प्शन से मतलब जागीरों के रिजम्प्शन से नहीं है, रैवेन्यू पॉवर्स से मतलब है। यही मतलब समझना चाहिये। और अगर इस बारे में कोई गलत फहमी पैदा हो गई हो तो वह मिट जानी चाहिये।

Page No.72

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री]

एक्साइज ड्यूटी के बारे में अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं; बल्कि सच तो यह है कि अलग अलग तरह की रायें हैं।

माननीय महारजी हैं। वे मेरे ख्याल से शराब में आनन्द नहीं लेते; घर में ले लेते हों, यह अलग बात है। पर उन्होंने सूचना दी है और दुहाई तक दी है महात्मा गांधी की। गांधी जी के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुये बताया है कि बहुत शर्म की बात है कि उन महात्मा के अनुयायी होकर भी हमारे शासन में अभी प्रोहिबिशन नहीं हुआ। हम भी इस शर्म की बात के साथ उनसे सहमत हैं। हमें भी शर्म महसूस होती है कि हम एक दम से इसे बन्द नहीं कर सके। इसकी हमें भी शर्म है। मैं उनके साथ सहमत हूं।

ऐसा हम नहीं कर सके, इसके दो कारण हैं। एक व्यवहारिक कारण है। एक दम अगर कर देते हैं तो जिनको पीने की आदत है वे यहां भले ही प्रोहिबिशन की बात करें पर वे घर जाकर पी लेंगे, लुक छिप कर शराब आवेगी और सील्ड बोतल का भाव भी बढ जावेगा जैसा कि कुंवर साहब जसवन्त सिंह जी ने कहा। तो यह सब भी नहीं करना चाहते। इसको धीरे धीरे करना चाहते हैं। इध प्रहिबिट कर दें और उधर पुलिस का बजट बढ़ावें, यह भी पसन्द नहीं करते और साथ ही यह बात भी छुपाना नहीं चाहते कि हम अपनी आमदनी भी इस समय कम करना नहीं चाहते। इसको भी धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। जिस तरह हम कस्टम को धीरे धीरे समाप्त करना चाहते हैं उसी तरह इसको करना चाहते हैं। इसलिये सदस्यों से और खास कर के विरोधी पक्ष के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि अगर वे इसमें मेरी मदद करेंगे तो मुझे आमदनी कम हो जावेगी तो भी अफसोस नहीं होगा।

एक्साइज की बात कही गई कि २५ लाख की रकम ज्यादा है और ठेके की बात का विरोध किया गया है। यह उसूल की बात है कि ठेका ठेके से दिया जावे या बिना ठेके के। बिना ठेके के दिया जावेगा तो फेवेरेटिज्म की बात हो जावेगी। मान लीजिये कि मैं एक्साइज का मन्त्री हूं तो किसी न किसी को तो देना ही होगा और इस तरह किसी को भी दे दिया तो वह फिर मेरा साला बन जावेगा कि यह तो साले को दे दिया है।

श्री जसवन्तसिंह—अगर ठेका नहीं दिया जावेगा तो इसके माने यह नहीं कि एक अमुक व्यक्ति को ही काम करने के लिये दिया जावे और साला नहीं होते हुए भी साला बना दिया जावे। एक गारन्टी सिस्टम भी है जो दूसरे प्रान्तों में भी प्रचलित है और उस सिस्टम से साले-बहनोई बनने का कोई सवाल नहीं होता।

श्री जयनारायण व्यास—(जारी) शक शुबाह इसलिये होता है कि दुकानें पचास हैं और मांगने वाले २०० हैं, अब १५० बच जाते हैं वे तो कोई न कोई बात करेंगे ही। जैसे सुखाड़ियाजी की बात कही कि अपने साले को नायब तहसीलदार बना दिया। बिना उनकी बीबी को पूछे ही साला तो बना ही है न और वही आंशका इसमें भी है। इसलिये नीलाम का ढंग ठीक है। इसमें कोई भी ले जावें।

Page No.73

[श्री जयनारायण व्यास]

एरियाज के बारे में कहा गया , खास तौर से शहरों की जमीनों के एरियाज के बारे में कहा गया था। मैंने जो कहा इस बारे में उसे गलत समझा गया है। यह बात जरूर कही थी कि एक एक रुपये में सेठों को भी दे दी गई थी और सात-सात रुपये में देते हैं तो वह भी ठीक है। बीकानेर के महाराजा गंगासिंहजी जैसा चाहते थे जिसे चाहते थे दे सकते थे ; इसमें निश्चय ही कोई शुबाह नहीं करने वाला था; पर जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर भी बन जावे तब भी उसके हुक्म से जमीनें नहीं दी जा सकतें, यह मैं भी स्वीकार करता हूं और यह भी कह दूं कि इस तरह से दी भी नहीं गई हैं। केवल उसी रेट के हिसाब से दी गई हैं जो रेट कि डेवलपमेन्ट बोर्ड ने मुकर्रर की हैं। उसी रेट पर सब को दी जाती हैं, इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिये।

यह हो सकता है कि जमीन हो थोड़ी और मांगने वाले हों ज्यादा, तो कुछ ही आदमियों को देनी पड़ेगी। इस पर सोचा जा सकता है कि कैसे दी जाए इनको। नीलाम करके जमीनें देने की बात हो तो यह भी तय किया जा सकता है। फिर भी, इस पर भी कोई न कोई तो ऐतराज करने वाला होगा ही। पर अभी तक जो हुआ है वह सरकार के मन्त्रियों के व्यक्तिगत हुक्म से नहीं बल्कि एक तरह से सार्वजनिक प्रस्ताव के तौर पर हुआ है।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में माननीय कुंवर जसवन्त सिंह जी ने जो बात कही है, मैं मानता हूं, कि कभी कभी कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सिलसिले में बद-इन्तजामी हो सकती है और इसकी वजह से जो बूढ़ी औरतों या बच्चों को कष्ट हो सकता है। ऐसे कोई स्पेसिफिक केसेज हों तो इसके बारे में मैंने राजस्व मन्त्री जी से पूछा पर उनके पास कोई ऐसा केस आया नहीं। मैं समझता हूं कि न भी आया हो तब भी हमारा फर्ज है कि इस पर हम पूरा पूरा ध्यान दें। इस बारे में आपने सजेशन दिया है कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मामले में सहानुभूति से विचार करने के लिये हर डिविजन के आधार पर और केन्द्र के आधार पर कुछ सलाह देने वाले भी होने चाहियें जो ठिकानों से वाकफियत रखते हों। मेरी राय है कि यह सुझाव स्वीकार करने योग्य है और हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई आपत्ति जैसी बात नहीं रहेगी। (करतल ध्वनि)

ट्रान्सफर के बारे में चारों तरफ से यह कहा जा रहा है कि ट्रान्सफर्स हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सरकार में नहीं होता तो मैं यही समझता कि जयपुर से जोधपुर और पोकरन जाने वाली मोटरें ट्रान्सफर शुदा आदमियों से भरी जाती हैं और बीकानेर से मेड़ता रोड तक जो रेलवे की आमदनी होती है वह सिर्फ ट्रान्सफर शुदा व्यक्तियों से होती होगी। इसके लिये मेरा निवेदन है। बात यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तभी हम ट्रान्सफर करते हैं, जैसे अभी लेन्ड रेकर्डस का दफ्तर तोड़ा गया तो कुछ रद्दोबदल करनी पड़ी। इसी प्रकार किसी पुलिस कर्मचारी को हम किसी जगह के लिये उपयुक्त समझते हैं तो उसकी ट्रान्सफर की जाती है। लेकिन महज ट्रान्सफर करने के लिये ट्रान्सफर हो जाय यह चार्ज लगाना ठीक नहीं जंचता। यह कह देना अतिशयोक्ति है कि कोई भी आदमी सफेद टोपी पहिन कर जाते हैं तो कमिश्नर कलेक्टर वगैरह उनसे डरने लग जाते हैं,

श्री जयनारायण व्यास]
जैसे वे मिट्टी के ही बने हुए हों और अपना काम करवा लेते हों (एक आवाज "सही बात है") अगर यही बात होती तो आज आपको सब तरफ सफेद ही सफेद टोपियां नजर आतीं।

श्री जसवन्तसिंह—इसका तो आपको ख्वाब ही आयगा।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब मैं एक बात जो खास तौर पर मिनिस्टरों के खर्चे के लिये कही जाती है उस बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मैंने थोड़ा हिसाब लगाने की कोशिश की। मुझे पता चला है कि प्रति रुपया दो पाई से भी कुछ कम खर्च होता है। यह आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह आमदनी और खर्चा दोनों हिसाब से है?

श्री जयनारायण व्यास—यह आमदनी के हिसाब से है। यदि खर्चे के हिसाब से केलक्युलेट किया जायगा तो और भी कम खर्च मालूम होगा। यह बात थोड़ी कम समझ में आई कि मोटर के लिये तीन हजार रुपये चार्ज किये गये। इसके लिये पहले केबीनेट ने तय किया कि मोटरों पर खर्च ज्यादा हो रहा है इसलिये नहीं कि मोटरें ज्यादा चलती हैं बल्कि इसलिये कि मोटरें बुजुर्ग हो चुकी हैं, अपनी तरह से चलती हैं और अपनी तरह से ही खाती-पीती हैं। अब यह तय हुआ कि सब मिनिस्टरों को छोटी मोटरें दे दी जायं और कम से कम खर्च करने की कोशिश की जाय। (हिअर हिअर) इस तरह से जो अपनी मोटर रखना चाहेंगे उनको २५०) रुपया अलाउन्स दे दिया जायगा। यह इसलिये किया गया है कि मिनिस्टरों की मोटरों पर जो खर्चा होता है उसका एक तरीका हो जायगा। इसी सिलसिले में, श्री गोपीलाल यादव ने कहा था कि बहुत बड़ा बिजली और पानी का खर्चा मिनिस्टरों की कोठियों पर होता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि बिजली और पानी का खर्चा नियत है। यदि उस नियत सीमा से ऊपर खर्च हो जाता है तो मिनिस्टरों को देना पड़ता है। बिजली के लिये ७५ रुपये और पानी के लिये २५ रुपये से ज्यादा खर्च होता है तो मिनिस्टर को अपनी जेब से खर्च भरना पड़ता है। यह बात मुझे इसलिये भी याद है कि मुझे भी कभी इस सम्बन्ध में चैक काटना पड़ा है। अब मिनिस्टरों को ७५ गैलन से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जायगा। इससे ज्यादा यदि वे खर्च करेंगे तो उसका पैसा वे खुद भरेंगे। यह जो अलाउन्स ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं वे इसलिये बढ़ाये गये हैं कि मोटरें अलग हो जाती हैं। तीन हजार रुपये का खर्चा जो मिनिस्टरों की मोटरों के लिये बताया गया है उसमें स्टाफ कार का ही खर्चा शामिल है। स्टाफ कार का होना बहुत जरूरी है। कागजों को इधर-उधर ले जाना, किसी मेहमान को इधर-उधर ले जाना, यह सब स्टाफ कार द्वारा होता है। इसलिये जो खर्चा बताया गया है वह बहुत खर्चा नहीं है।

श्री रघुराजसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि जो ७५ गैलन पेट्रोल रखा गया है उसमें क्या ट्रैवलिंग भी शामिल है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—नहीं; ट्रैवलिंग मोटर से हो या रेलवे से हो या हवाई जहाज से हो वह इसमें शामिल हो नहीं सकता। उसके लिये तो अलग से नियम हैं।

Page No.75

श्री जसवन्तसिंह--माननीय मुख्य मन्त्री ने रेलवे और हवाई जहाज को इसमें कैसे शामिल कर लिया ? यह शक उनको कैसे [illegible] समझता हूं कि ७५ गैलन जो रखा गया है वह क्या माननीय मन्त्री कम समझते हैं। ढाई गैलन प्रति[illegible]न का खर्चा होता है जिसका मतलब यह है कि सारे दिन भर घूमते रहेंगे ।

श्री जयनारायण व्यास--(अपना भाषण जारी रखते हुए) विरोधी पक्ष के नेता शायद नहीं समझ सके। ट्रैवलिंग का खर्चा तो अलग होता है। ट्रैवलिंग का खर्चा, चाहे वह मोटर के जरिये हो या रेल के जरिये, इससे अलग है। ट्रैवलिंग के लिये अलग गुंजाइश रखी गई है। मोटरों के लिये ७५ गैलन का खर्चा इसलिये रखा गया है कि १० मील के अन्दर अन्दर जब जाते हैं तो उसका अलग अलाउन्स नहीं दिया जाता। इसलिये ढाई गैलन प्रतिदिन से कम में काम नहीं चल सकेगा। यदि इससे ज्यादा खर्चा होगा तो खुद अपने जेब से भरेंगे ।

श्री हिम्मतसिंह--अगर मिनिस्टर दो-दो मोटरें रखेंगे तो ।

श्री जयनारायण व्यास--अगर घर से वे रखना चाहें तो दो-दो की जगह चार-चार मोटरें रख सकते हैं. सरकार तो सिर्फ एक ही देगी ।

एक यह भी सवाल किया गया कि मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ायी जा रही हैं। इसके लिये उनसे मेरा निवेदन है कि उनको इस विषय में फिकर करने की जरूरत नहीं है........

श्री गोपीलाल यादव--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलायेंगे कि एक मील के पीछे कितना पेट्रोल खर्च होता है ?

श्री जयनारायण व्यास--यह सवालों का समय नहीं है. क्वेश्चन आवर में सवाल करें तो उत्तर दिया जा सकता है।

पंच वर्षीय योजना के विषय में कुछ मेम्बरों ने कहा कि इस पर खर्च होने वाले रुपयों में से ८० फी सदी रुपया फिजूल चला जायगा। यह जो ८० फी सैकडा रुपया फिजूल खर्च हो जायगा यह बात मेरे १०० फी सैकडा समझ में नहीं आई ; मैं इसका जवाब देने में असमर्थ हूं।

श्री एच. के. व्यास के एक प्रश्न का जवाब देना मैं पसन्द करूंगा। उन्होंने खास तौर से उसूल की जो एक बात कही है वह यह कि जो छोटे टैक्स लगाये जाते हैं वे ज्यादातर इन्डाइरेक्ट हैं इसलिये यह उसूल के खिलाफ है, इसके लिये मेरा निवेदन है कि बहुत सारे इन्डाइरेक्ट टैक्स लगने से आम लोगों को नुकसान होता है। इन्डाइरेक्ट टैक्स में इस बात का खयाल रखा जाय कि ऊंचे तबके के लोगों पर ज्यादा टैक्स लगें और नीचे लोगों पर कम तो यह उसूलन, इन्डाइरेक्ट टैक्स न होते हुए भी इन्टेन्शनली बुरी चीज नहीं। डाइरेक्ट टैक्सेशन की बात ले लीजिए। हिन्दुस्तान की ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर की बात कहना चाहता हूं। रूस में पहले स्टेट फोर्मिंग पैदा किया गया। वह स्टेट फोर्मिंग कामयाब नहीं हुई। उसके कामयाब नहीं होने का कारण यह था कि लोगों ने ज्यादातर इसमें दिलचस्पी

[श्री जयनारायण व्यास]

नहीं ली जो कि वे अपने अपने फार्म्स पर लेते थे। अपने [illegible] र थे उनको वे क्यों बढ़ायें? रिपोर्ट यहां तक थी कि वे जानवरों को काट काट कर खाने ल[illegible]किन उसके बाद में कलेक्टिव फार्मिंग में बीज का पैसा होता था वह काटा जाता था? सोशियल सर्विसेज का पैसा है वह काटा जाता था, स्टेट के दूसरे चार्जेज थे वे लिये जाते थे। यह तरीका है, मैं मानता हूं कि अगर हिसाब लगाकर रूस को भी देखा जाय तो डाइरेक्ट टैक्सेज इससे भारी पड़ते थे। यहां तक है कि जब फाइव इयर प्लान पहले पहल चला तो फाइव इयर प्लान में एक नारा था 'Brown bread and black tea' यानि रूखी रोटी खाओ लेकिन फाइव इयर प्लान को पूरा करो। मैं समझता हूं कि आज हमारे यहां भी जरूरत इस बात की है कि हम भी बहुत कुछ बान्ध बना रहे हैं जिनसे यहां की तरक्की होगी। तो जिस तरह रूस के लोगों ने बिना शक्कर के चाय पीकर अपनी योजनाओं के लिये काम किया और उसे पूरा किया उसी तरह से हमें उसे पार पटकना (पूरा करना) चाहिये।

एक बात एजुकेशन के बारे में जो कही वह भी मैं बता दूं। एजुकेशन के बारे में यह बात कही कि राजस्थान सरकार ने खुद ने मन्जूर किया है कि हम एजुकेशन में बड़े पिछड़े हुए हैं और जब हम एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं तो कैसे कहते हैं कि हम वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। हमने मन्जूर किया और अब मंजूर करते हैं कि करीब करीब ३ करोड़ खर्च देते हैं एजुकेशन के ऊपर लेकिन हमें संतोष नहीं है। हम अपने आपको बैकवर्ड मानते हैं। दूसरी रियासतों के मुकाबिले में मेरी मान्यता यह है कि जहां तक वह पहुंची हुई है उनके मुकाबले में हम पिछड़े हुए हैं। आप जितनी संस्थाएं चला रहे थे और आज चला रहे हैं वह पहले की हालत से ज्यादा अच्छी हैं। किन्तु दूसरी प्रगतिशील और धनवान रियासतों के मुकाबले में पिछड़ी हुई हैं। अगर धनवान रियासतों से पिछड़ी हुई हैं तो उससे अफसोस नहीं करना चाहिये, बल्कि प्रेरणा लेनी चाहिये कि हम आगे बढ़ें। रूस और अमेरिका के माली हालत में रूस का एक आदमी अमेरिका के औसत आदमी से पिछड़ा हुआ है लेकिन अमेरिका का आदमी प्रगतिशील और रूस का आदमी प्रतिक्रियावादी है। अगर यही वस्तु राजस्थान के लिये मान ली जाय तो फिर मेरा ऐसा ख्याल है कि कॉम्युनिस्ट कन्ट्रीज को मानना पड़ेगा, कॉम्युनिज्म को मानना पड़ेगा। मैं तो फिर भी मानता हूं कि पिछड़े हुए होने की बात है तो हम अपनी स्थिति को सुधारें, आगे बढ़ें।

अध्यक्ष महोदय, शायद मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन मूल में जो आक्षेप लगाये गये थे मैंने उनका उत्तर दिया है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके मारफत सदन को कि यह कभी धोकादेही का बजट नहीं है, कोई दिवालिया बजट नहीं है, कोई प्रतिक्रियावादी बजट नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील बजट है, जिस प्रगतिशीलता के जरिये से हम उस तरफ जाना चाहते हैं। जो रास्ता जिस तरफ महात्मा गांधी ने हमें बताया है, उस तरफ हमारा खर्चा भी हो रहा है। अभी भी कुछ खर्चे ज्यादा हैं, अभी भी बहुत सारे खर्चे जो हैं उनके लिये मैं जरूर कहूंगा कि उनको सोचूंगा और अभी भी जो खराबियां हैं उनको मिटाने के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सारे बजट की नियत आगे बढ़ने की है। इस प्रकार आगे बढ़ना हमारा कल्याणकारी राज्य की तरफ जाना है, स्वार्थी राज्य की तरफ नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मित्रों के आरोपों का उत्तर देता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

आगे की बैठकों का समय निश्चित करना

श्री अध्यक्ष--Now we [illegible] take Demands from tomorrow. So in order to meet the desires of various Members we will have double sessions from tomorrow. On the 30th we will have a brief session from 10.00 A.M. to 1.00 P.M. and tomorrow we will meet at 8.15 A.M. and the time of the afternoon sitting we can decide to be from 3 or 4.

श्री हिम्मतसिंह--8.15 to what time ?

श्री अध्यक्ष--12.30 P.M.

श्री गोपीलाल यादव—4.30 to 6.30 will be better.

श्री अध्यक्ष--4.00 to 6.00 will be. . . . . .

श्री गोपीलाल यादव—4.30 to 6.30 will be more convenient.

श्री अध्यक्ष--If we fix at 4.30, we should mean that. All right.

एक सदस्य--Let it be 4.00 to 6.00 P.M.

श्री अध्यक्ष—Well, let it be 4.00 to 6.00 P.M.

We now adjourn for tomorrow at 8.15 A.M.

(सदन की कार्यवाही १२-३० मध्यान्ह पर, दिनांक २६-३-५३ के ८.१५ प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

सभा भवन,
जयपुर।
दिनांक--२५ मार्च, १९५३.

मनसाराम पुरोहित
सचिव ।